राजस्थान विधान सभा

८५वीं बैठक, सोमवार, दिनांक-१८ अक्टूबर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-१० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २०१२ से २०१५

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-प्रश्न संख्या २०१३ का उत्तर बाद में दिया गया है एवं प्रश्न संख्या २०१२ के लिये परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या २०१६

राजस्थान की कालेजों की एम. ए. कक्षाओं में अनाधिकृतरूप से पढ़ने वाले राज्य-कर्मचारी

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) What is the number of M.A. students in all the Post Graduate College of Rajasthan ?

(b) How many students are Government servants. who are still studying in the Colleges and are they doing so against the instructions of the Government.

(c) Is it a fact that the Principals and the higher authorities have deliberately overlooked the matter and did not conduct enquiries.

(d) Is it true that a report of such a case has been made to the Minister about a University Law College Student.

(e) Has the Government made necessary enquiries in that matter ?

(f) If so, what steps, by the Government, have so far been taken in that case ?

[क्रमशः]

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(a) 497.

(b) None reported.

(c) Government have no reason to think so.

(b) Yes.

(e) Yes.

(f) Question does not arise,

प्रश्न संख्या २०१७

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २०१८

महाराजा कॉलेज जयपुर के पुस्तकालय में कोर्स की पुस्तकें

श्री हिम्मतसिंह अटरू—Will the Minister for Education be pleased to state:

(a) How many course books are there in the Library of Maharaja's College at Jaipur ?

(b) Is it a fact that there are a few standard books for the Post-Graduate classes of Physics and Mathematics which have been issued to the Professors and the students are unable to use those books even for a couple of days ?

(c) Are the Post Graduate students of Mathematics required to copy the important Articles and solved questions from those books ?

(d) Will the Government make a suitable arrangement for the same and provide facility to the Students in the matter of library books which are not available in the market ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(a) There are 1568 course books in the Library of the Maharaja's College, Jaipur.

Page No.3

[श्री भोलानाथ]

(b) No, It is not a fact.

(c) Prescribed books for use at homes are issued to teachers only. They are to be purchased by students for use at their houses. They can in many cases be read for over 12 hours every day in the Reading Room. Reference books, however, can be had both by teachers and students for use in the college only.

(d) The students are generally expected to purchase their own course books. Notes have to be taken from reference books or even prescribed books by those students who do not want to purchase them.

(e) A proposal for construction of a big library room has already been made to the Government .giving increased facilities to the students. Every effort has been made and is being made continuously to get out-of print and useful books in the Library

प्रश्न संख्या २०१६

(प्रश्नकर्ता श्री चांदमल मेहता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २०२०

कोटा शहर के पेट्रोल पम्प्स को शहर से हटाया जाना

श्री हिम्मतसिंह अठरू—Will the Minister for Local Self Government be please to answer:-

(a) How many Petrol Pumps were there inside the walled city of Kotah?

(b) Have these pumps been removed outside the walled city area ?

(c) What are the grounds on which they havebeen removed and by whom were the orders for their removal issued ?

(d) Are there still any pumps inside the walled city ? If so, why ?

(चुप्पी)

कु० श्री जसवन्तसिंह—Sir, what has happened to the reply of the Government ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) कोटा शहर के शहरपनाह के अन्दर ४ पेट्रोल पम्प स्थित हैं ।

(ख) हां, चार पम्प में से तीन पम्प कोटा शहर के शहरपनाह के बाहर हटा दिये गये हैं ।

(ग) पेट्रोल पम्प पम्पर इन्सपेक्टर ऑफ इण्डिया आगरा की आज्ञा के अन्तर्गत हटाये गये हैं । क्योंकि इण्डियन पेट्रोलियम एक्ट के रूल्स के अन्तर्गत पेट्रोल विध्वंसात्मक वस्तु होने के कारण वर्तमान स्थानों पर जहां आबादी है कायम नहीं रक्खे जा सकते हैं ।

(घ) अब केवल एक पेट्रोल पम्प कोटा शहर के शहरपनाह के अन्दर कार्य कर रहा है, जो भी नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया जाकर हटवाया जा रहा है ।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—कब तक हट जावेगा ?

श्री रामकरण जोशी—जल्दी ही हट जावेगा ।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—औरों के साथ साथ क्यों नहीं हटा यह ?

श्री रामकरण जोशी—इसके लिए शायद बाहर का स्थान दूसरा अलॉट नहीं हुआ था ।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—जो बचा है वह कहां पर है ?

श्री रामकरण जोशी—यह मुझे मालूम नहीं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोहब्बतसिंह ।

प्रश्न संख्या २०२१

सिरोही कॉलेज में १९५२ तथा १९५३ में हाई स्कूल तथा इन्टर के उत्तीर्ण विद्यार्थी

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state:—

What was the percentage of the successful candidates of Arts and commerce at the High School and Inter Examinations in the years 1952 and 1953 respectively in Sirohi College ?

Page No.5

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—इन्टर कॉलेज और हाईस्कूल परीक्षा-फल ५२ में ४६ प्रतिशत और ५३ में ६३ प्रतिशत रहा। इन वर्षों में कॉमर्स नहीं पढाई जाती थी क्योंकि इन्टर परीक्षा के लिए कॉलेज ही ५३ में बना था।

श्री मोहब्बतसिंह—इन्टर की परीक्षा गये साल हुई, क्या यह सही है और कॉमर्स के स्टूडेन्ट्स बैठे भी थे?

श्री भोलानाथ—आपने सवाल ५२-५३ के लिए किया है। यह तो मामला ५४ का है।

श्री मोहब्बतसिंह—गई साल का मतलब ५३ से ही होता है।

श्री भोलानाथ—ऐसा नहीं है। मार्च-अप्रेल में तो इम्तिहान होते हैं और साल जनवरी में ही शुरु हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २०२२

सरूपगंज के गुलाम हुस्सैन हाजी द्वारा बिना निर्यात कर दिए कोयला निर्यात सम्बन्धी जांच

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Separate Revenue be pleased to state:—

(a) Whether the Government has been able to complete the enquiry relating to export of coal by Messrs. Gulam Hussain Haji of Sarupgang without paying the customs duty on the export of coal ?

(b) It not, how long is it likely to take to comlete the enquiry ?

(c) Is it a fact that deliberate delay is caused in this case by the pressure of the coal contractor ?

(d) Who are the Govt. officers responsible for allowing the said contractor to export coal from Sirohi District without prying the lagitimate customs duty in the ordinary routine course?

(e) What steps has the Government so far taken against these officials

(f) Who was the Officer who detected this case ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—(a) Enqury is almost complete. Some concluding action only remains to be taken.

(b) Final orders are expected to be passed by the end of the current month.

(c) No.

(d) Since final orders have not yet been passed. it will not be proper at this stage to say anything on this point.

(e) Departmental enquiry has also been concluded on this point and the case is under C. C. E' s. consideration. He expects to pass orders on that within a fortnight.

(f) Shri DanSing, the present Assitant commissioner at Sirohi has got this case registered.

श्री मोहब्बतसिंह—"(d) Who are the Government Officers responsible for allowing the said contractor to export coal from Sirohi District ?

श्री भोलानाथ—"(d) Since final orders have not yet been passed, it will not be proper at this stage to say anything on this point-"

श्री मोहब्बतसिंह—(डी) का उत्तर दिया ही नहीं है। क्या कोई रेस्पोन्सिबल नहीं है ?

श्री भोलानाथ—क्या कहा आपने, सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष—गवर्नमेंट अफसर रेस्पोन्सिबल है या नहीं, इसका उत्तर दिया तो है 'नहीं' में।

श्री मोहब्बतसिंह—यह कैसे हो सकता है ? इजाजत नहीं दी, तो बगैर कस्टम दिये कोल निकाल दिया।

क्या कारण हैं कि फिर गवर्नमेंट अफसर जिम्मेदार नहीं है ?

श्री भोलानाथ—किसका उत्तर ?

श्री मोहब्बतसिंह—(डी) का।

श्री भोलानाथ—(डी) का जवाब यह है :

"Since final orders have not yet been passed it will not be proper at this stage to sayanything on this point."

कु० श्री जसवन्तसिंह—सिरोही में कोल की खान कहां है ?

श्री भोलानाथ—लकड़ी का कोयला है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—लकड़ी के कोयले को कोल कहते हैं या चारकोल ?

श्री भोलानाथ—यह तो आप पूछने वाले से पूछ लीजिये।

श्री हिम्मतसिंह—जवाब देने वाले से नहीं पूछा जावे क्या ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हिम्मतसिंह।

प्रश्न संख्या २०२३

राजस्थान एम्पलोयमेंट एक्सचेंज द्वारा नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को नौकरी दिलाना

राज श्री हिम्मतसिंह अटरू—Will the Minister for Labour be pleased to state:—

(a) What services have so far been performed by the Regional Employment Exchange in providing adequate employment to the needy persons in Rajasthan ?

(b) How many persons have so far been registered in the Employment Exchange and how many of them were provided with jobs through this Department?

(c) What is the number of Refugees, Sindhis and Local persons, who were provided with jobs ?

(d) Is it a fact that recommendations are made in providing employment through this Department ?

[श्री हिम्मतसिंह]

(e) Is it a fact that those persons who are not acquainted with any body in this Department, could not get employment even for six months or more ?

(f) Is it also a fact that only Sindhis, Punjabis or refugees are provis through this Department and others are not considered at all ?

(g) Does the Regional Employment Exchange of Rajasthan provide employment for vacancies outside Rajasthan also. If so, how many persons have been provided with jobs in other States or the central Government ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मन्त्री)—(क) एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज ने यथा शक्ति सब प्रकार के काम चाहने वालों को जिनका नाम रजिस्टर्ड है, काम दिलाया है ।

(ख) मनुष्यों की संख्या जो रजिस्टर्ड है और जिनको काम दिलाया गया है निम्न प्रकार है :–

वर्ष	संख्या रजिस्ट्रेशन	संख्या नियुक्ति
१९५३	२४,८७९	२७४३
१९५४ जनवरी से अगस्त तक	१८,४८१	१६२२

(ग)

वर्ष	डिसप्लेस्ड परसन्स	संख्या नियुक्ति
१९५३	१९०	इस प्रकार का कोई विवरण नहीं रखा जाता ।
१९५४ अगस्त तक	१२७	

(घ) नहीं ।

[च] यह कहना सही नहीं है ।

[छ] यह भी सही नहीं है ।

(ज) हां, परन्तु उसी दशा में जब कि मांग है ६ मनुष्य सन् १९५३ में, और ४ मनुष्य १९५४ के अगस्त तक राजस्थान के बाहर काम पर लगाये गये ।

[श्री रामकरण जोशी]

केन्द्रीय सरकार के जो सरकारी विभाग राजस्थान में हैं उनकी मांग की पूर्ति की संख्या ऊपर (ख) में नियुक्तियों की संख्या में सम्मिलित है।

श्री खेतसिंह—इस एम्लोयमेंट एक्सचेन्ज ने कितने एक्स सोल्जर्स को एम्प्लोयमेंट दिलाया ?

श्री रामकरण जोशी—यह तो अलग से प्रश्न कीजिये।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित)

कोई प्रश्न पब्लिक इन्टरेस्ट में हो और कोई करना चाहें तो करें।

श्री भैरोंसिंह—श्री चांदमल मेहता मुझे कहकर गये हैं साहब।

श्री अध्यक्ष—No proxy. श्री चांदमल मेहता।

श्री रामकरण जोशी—चेयर को तरफ से पूछ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—Sorry.

प्रश्न संख्या २०१३

वर्तमान वर्ष में छात्रों को पाठ्य पुस्तकें समय पर न मिलना इत्यादि

श्री दिलीपसिंह [कांग्रेस]—२०१३ नं० का प्रश्न लोकल करेक्टर का नहीं है, सारे राजस्थान से ताल्लुक रखता है। इसलिए इसका जवाब दिला दीजिये तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—No Proxy. So we finish the questions, and not the question hour.

(विराम)

Then we came to supplementary Grants.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह (प्रश्न २०१३) पब्लिक इन्टरेस्ट का है।

श्री अध्यक्ष—This is the discretion of the Ministers, whether they want to give a reply in the public interest or not. It is their discretion.

श्री भोगीलाल पंड्या—२०१२ का पूछ रहे हैं या २०१३ का। २०१२ का अगर पूछते हैं तो मैं जवाब दूं।

[प्रश्न संख्या २०१३ इस प्रकार है]

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि इस वर्ष छात्रों को पाठ्य पुस्तकें वक्त पर नहीं मिल पाई हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि पुस्तकों की कमी की वजह से पाठ्य पुस्तकों में ब्लेक मर्केट चला है ?

(ग) क्या पुस्तक प्रकाशकों ने प्रकाशन के संबन्ध में कुछ शर्तों की अवहेलना की है ?

(घ) यदि हां, तो किन किन शर्तों की ओर उसके सम्बन्ध मे क्या एक्शन लिया गया ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—२०१३ का जवाब दे देता हूं।

(क) हां, यह सही है कि बहुत सी नई पाठ्य पुस्तकें छात्रों को स्कूल के खुलने तक नहीं मिल पाईं।

(ख) ऐसी कोई शिकायत शिक्षा विभाग के सामने नहीं आई।

(ग) हां।

(घ) कुछ पुस्तक प्रकाशकों ने छापने की गल्तियां की। कुछ ने छपाई जैसी चाहिये थी वैसी नहीं की, कुछ ने ब्लोक्स खराब छापे और कुछ ने सफे बढ़ा दिये। इन लोगों पर इन अपराधों के लिए जुर्माने किये गये। कुछ की पुस्तकें समय पर बाजार में नहीं आईं, उनकी जमानतें जब्त की गईं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सच है कि जिन लोगों को सप्लाई का ठेका दिया गया था वे लोग पब्लिशर नहीं थे, जिनके कोई किताबों की दुकानें नहीं थीं।

Page No.11

श्री भोलानाथ—जिनको ठेका दिया गया था उनसे जमानतें ले ली गई थीं, इस बात की कि वक्त पर पुस्तकें सप्लाई करेंगे।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ठेका लिया था सप्लाई करने का, जिन लोगों को सप्लाई करने का ठेका दिया गया था उनके पास किताबों की दुकानें थीं क्या, जहां कि वे किताबें पब्लिश करा सकें।

श्री भोलानाथ—इस बात की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि किताबें छपाने के लिए पब्लिशर होना चाहिये।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सच है कि उन लोगों ने जो किताबें दीं तो उनकी कुन्जियां भी जबर्दस्ती उन्होंने बुकसेलर्स को सप्लाई कीं ?

श्री भोलानाथ—हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या ऐसी शिकायत अगर सरकार के सामने रखी जायगी तो सरकार जांच करेगी ?

श्री अध्यक्ष—'अगर' का कोई सवाल हो नहीं है।

श्री भोलानाथ—जी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ऐसे कितने प्रकाशक थे जिन्होंने कि इसकी अवहेलना की ?

श्री भोलानाथ—Publishers who were fined for transgressing the conditions regarding printing, get up, etc. are 18.

कु० श्री जसवन्तसिंह—८० या १८ ?

श्री भोलानाथ—Eighteen. One eight.

कु० श्री जसवन्तसिंह—उनमें से कितनों की जमानतें जब्त की गईं ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल तो पहले भी पूछा गया है।

श्री भोलानाथ—

मेसर्स	श्री शिवलाल अग्रवाल, आगरा	४६८ रु० १२ आ० ० पा०
,,	प्रभात प्रकाशन मन्दिर, जयपुर	२,३४३ रु० १२ आ० ० पा०
,,	,,	९८१ रु० ४ आ० ० पा०
,,	शिक्षा पुस्तक मन्दिर, जयपुर	३१२ रु० ८ आ० ० पा०
,,	केशरीशरण अग्रवाल, जयपुर	७,८१२ रु० ८ आ० ० पा०
,,	युनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर	७८१ रु० ४ आ० ० पा०
,,	किताब घर, जयपुर	४६८ रु० १२ आ० ० पा०
,,	हंसराज खन्ना एन्ड सन्स, देहली	४६८ रु० १२ आ० ० पा०
,,	गुलाबसिंह एन्ड सन्स, देहली	६०९ रु० ६ आ० ० पा०
,,	पीताम्बर बुक डिपो, देहली	२५०० रु० ० आ० ० पा०
,,	साहित्य सदन, देहली	२,५०० रु० ० आ० ० पा०
,,	सूरज बलराम शरण एन्ड सन्स, देहली	५ रु० ० आ० ० पा०
,,	मूलराज एन्ड सन्स, देहली	२५० रु० ० आ० ० पा०
,,	भूतड़ा ब्रदर्स, जोधपुर	२,३४३ रु० १२ आ० ० पा०
,,	वर्धमान पुस्तक भण्डार, आगरा	८,५६३ रु० ० आ० ० पा०
,,	(जमानत)	२,५०० रु० ० आ० ० पा०
,,	फ्रन्टियर पब्लिकेशन्स, जोधपुर	४,००० रु० ० आ० ० पा०
,,	इन्डियन प्रेस लिमिटेड	८४३ रु० १२ आ० ० पा०

श्री जसवन्त सिंह—क्या यह ऐसा किया जायगा कि जमानतों के जो रुपये जब्त किये गये है, वह वापिस नहीं लौटाये जायेंगे।

श्री भोलानाथ—जब्ती के मायने हैं वापिस नहीं लौटाना।

कु. श्री जसवन्त सिंह—वापिस इसलिए लौटाया जाय कि वे दरख्वास्त दें और पैरों पड़े तो शायद दया आ जाय।

श्री भोलानाथ—शर्त पूरी नहीं की तो यह जब्त किये गये है, न कि पैरों पड़ेंगे तो देखा जायगा।

(हंसी)

श्री **सोहनलाल भटनागर**—पुस्तकों की लिस्ट किस माह में एप्रूव की गई थी?

श्री **भोलानाथ**—ठीक तारीख तो मालूम नहीं, लेकिन स्कूल खुलने के पहले मन्जूर की गई थी।

श्री **सोहनलाल भटनागर**—क्या पाठ्य पुस्तकों के नहीं मिलने का एक कारण यह भी है कि वह लिस्ट देरी से मिली थी?

श्री **भोलानाथ**—हां, यह मैंने मन्जूर किया है।

कु० श्री **जसवन्तसिंह**—उन प्रकाशकों की की गई तो क्या सरकार की गलती के कारण पुस्तकें समय पर नहीं दे सकें?

श्री **भोलानाथ**—जिस वक्त शर्तें तय की गई थीं उस उक्त उनके तारीख का अन्दाजा था, इसलिए सरकार की गलती का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। जो कन्डीशन्स तय की गई थीं वे कन्डीशन्स फुलफिल करनी चाहिए। सरकार की गलती का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री **हिम्मतसिंह**—लड़कों का कितना हर्जाना हुआ पढ़ाई का?

श्री **भोलानाथ**—मेंज़रमेंट तैयार किया जा रहा है।

श्री **सोहनलाल भटनागर**—क्या माननीय मंत्री महोदय को पता है कि अब भी कितने ही विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं मिली हैं?

श्री **खेतसिंह**—क्या सरकार आयन्दा के लिए सदन को यह आश्वासन देगी कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी?

श्री **भैंरूसिंह**—क्या सरकार ऐसे लोगों को ठेका दे सकती है कि जो ऑलरेडी पब्लिशर्स नहीं थे?

श्री **अध्यक्ष**—अनुपूरक अनुदानों की मांगे।

सन् १६५४-५५ के अनुपूरक अनुदानों के ब्योरे की प्रस्तुति

श्री **टीकाराम पालीवाल**—Mr. Speaker, Sir, I beg to present a statement of supplementary Grants and appropriations of, the State Government for the year 1954-55.

अनुपूरक मांग संख्या ५१-सामुहिक विकास योजना

श्री टीकाराम पालीवाल—I beg to move that a supplementary sum not exceeding Rs. 16,25,000-be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LI, Major Head 63B-Community Development Projects.

प्रस्तुत किये गये सन् १९५४-५५ के अनुपूरक अनुदानों के व्योरे पर विचार-विमर्श करने सम्बन्धी वाद-विवाद

कु० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, would there be no genera discussion on this ? He has presented an Appropriation Bill.

श्री जयनारायण व्यास—The Minister has placed on the table the statement of Grants which are to be presented. The Appropriation Bill is always placed after the Demands are accepted or rejected. That will come later on. These are three stages:—

(1) A Statement of grants to be presented or laid on the table of the House.

(3) Grants given one by one,

(3) Appropriation Bill considered and passed. We are going by these stages.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I agree with the Hon'ble Chief Minister that according to procedur the Appropriation Bill naturally comes in the last, but in the meanwhile when the Statement is placed, there is a general discussion. Then we come to the Demands one by one and in the end the Appropriation Bill comes, otherwise there will be no opportunity to speak generally on the administration. These are the only occasions which provide opportunity for speaking generally on it. I may be making a mistake but I would like the Chair to enlighten whether general discussion on a Statement takes place or does not take place ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि यह चीज़ जो टेबल पर रखी जाती है उस पर डिस्कशन नहीं होता है, हर डिमान्ड पर और हर अप्रोप्रियेशन बिल पर हो सकता है, इसलिये हर डिमान्ड पर आप अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं और उसके

[श्री जयनारायण व्यास]

बाद में एप्रोप्रियेशन बिल पर कह सकते हैं। मेरे मित्र पार्लियामेन्ट के सदस्य रह चुके हैं। अपने यहां गई साल में भी आप देख चुके हैं कि स्टेटमेन्ट पर बहस नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष—Clear or I should make it clearer.

One thing I wanted to know from the Treasury Benches is whether any new service has been introduced in these Supplementary Demands ?

श्री टीकाराम पालीवाल—No. new service particularly. Only there is a fresh provision about the Board of Economic Survey.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Board of Economic Survey is a new thing.

श्री जयनारायण व्यास—बोर्ड ऑफ इकोनोमिक सर्वे कोई नई चीज नहीं है। इकोनोमिक कमेटी पहले से ही बनी हुई है, उसका बजट भी पास किया जा चुका है। उसी के अंतर्गत बोर्ड ऑफ इकोनोमी बनाकर इकोनोमिक सर्वे किये जाने की बात है। यह नयी चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड यदि सदन के सामने उन विषयों पर प्रस्तुत की जाती है, जिनके ऊपर साधारण वाद-विवाद बजट प्रस्तुत करते समय हो गया है तो उन मदों के ऊपर, बजट के ऊपर और अतिरिक्त सप्लीमेन्ट्री डिमांड पर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता। किन्तु यदि उन पृथक मांगों के अंतर्गत कोई ऐसी मांग रखी जाती है जो नई योजनाओं के लिये रुपये लिये जाते हैं, या नई डिमान्ड पेश की जाती है तो उसके लिये स्वाभाविक हो जाता है कि सदन में वाद-विवाद करने का अवसर मिले। ऐसी संसदीय परंपराएं हैं जो पार्लियामेन्ट में भी है और हमारे यहां भी उनका पालन किया गया है। मैं पिछली अपने सत्र की कार्यवाही की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा जब कि ऐसा ही विरोधी दल के नेता ने प्रश्न उठाया था और स्वयं उन्होंने जवाब दिया था कि यदि ऐसा है तो there will be no general discussion.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हो सकता है, मुझे याद नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इसलिये याद दिलाने के लिये ही तो मैं कह रहा हूं। तो जैसा कि सदन के नेता ने बताया हर एक डिमान्ड के कट मोशन पर बहस कर सकेंगे और यदि कोई ऐसी मांग आ जाय जिस पर बहस करना आवश्यक हो तो एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस कर सकते हैं।

जो मांगें सदन के सामने माननीय श्री टीकारामजी पालीवाल ने रखी हैं वे प्रस्तुत हैं, वाद-विवाद के लिये।

Page No.16

[श्री अध्यक्ष]

अनुपूरक मांग संख्या ५१–सामुहिक विकास योजना

मेरे सामने अभी ७ . ५५ पर श्री भैंरूसिंह विभजन सं० १६, द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव आये हैं । क्योंकि वे इतने शोर्ट नोटिस पर आये हैं, इसलिये उनको सकुलेट नहीं किया जा सकता , फिर भी मैं पढ़ दूं । यदि किसी माननीय सदस्य को आपत्ति हो तो आपत्ति करें , नहीं तो नहीं करें ।

डिमान्ड नं० ५१ के बारे में कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :

" That the demand for grant No . LI. Major Head 63B-Community Development Projects be reduced by Re. 1/- (to discuss the unsatisfactory and improper methods of Government in selecting areas for the purpose of development, lack of working efficiency and control over the expenditure incurred in this behalf).

यह उनका कटौती प्रस्ताव है, जिसे मैंने सदन के सामने रखा है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—Is it in time ?

श्री अध्यक्ष—मैंने बताया कि ७. ५० पर १८ अक्टूबर को यह कटौती प्रस्ताव आया

श्री टीकाराम पालीवाल—It is not in time.

श्री भैंरूसिंह—मैंने कल सुबह दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष—उस पर १८ अक्टूबर, १६५४ की तारीख है ।

श्री भैंरोंसिंह—तरीख शायद गलत लग गई हो ।

श्री अध्यक्ष—कल सबेरे दफ्तर नहीं खुला था ।

श्री भैंरूसिंह—इसलिये मैंने इसे चपरासी को दे दिया था ।

श्री टीकाराम पालीवाल—देने वाले आदमी को भी गलत दिया गया और तारीख भी गलत लिखी गई ।

श्री भैंरोंसिंह—तारीख भूल से लिखदी गई होगी ।

श्री अध्यक्ष—You can give it to any shopkeeper in the market.

श्री भैंरू सिंह—चपरासी को पूछा जाय कि मैंने जिस आदमी को भेजा था उसने दिया या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—Confess what is correct.

श्री टीकाराम पालीवाल—And, therefore, I say that such things can not be encouraged.

श्री अध्यक्ष— If the Hon'ble Member insists, then I will not dare to put it before the House. This is not in time. It is only the spirit of accommodation of the Treasury Benches that they can accommodate for the sake of discussion otherwise as a matter of right the Hon'ble Member can not be accommodated.

श्री टीकाराम पालीवाल—There is no guestion of accommodation, Sir.

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, यह तय होना चाहिए कि यह आज आया था या कल आया ।

श्री अध्यक्ष—If it is objected to then the objection will prevail. I have no discretion only to exercise my discretion.

It is immaterial. Yesterday was Sunday. If the Hon'ble Member had delivered it yesterday to any peon or clerk or officer of this House it will be deemed to have been received today. It must be delivered when the office is open.

श्री जवानसिंह—माननीय मन्त्री महोदय ने इसको एकेमोडेट नहीं करने की इच्छा पहले ही जाहिर कर दी थी, इसलिए अब कोई सवाल ही नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष—There can be no debate on this

श्री भैंरू सिंह—यह ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पर कभी चर्चा ही नहीं की गई । बजट के समय भी दो तीन साल से कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई । इसलिये मन्त्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि अकोमोडेटिंग नेचर से इस पर चर्चा करने का मौका दें ।

श्री तनसिंह—आपने मन्त्रीजी को अकोमोडेट किया है, न कि मन्त्रीजी ने अकोमोडेट किया है । रूल ७६ के अनुसार इसके लिए आपको अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष—But that is judicious and equitable.

श्री तनसिंह—To ask the Minister is perhaps not judicious.

श्री अध्यक्ष—Not that. I have just appealed if he can accommodate otherwise the rules are very clear.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—He seems to be very stiff about it.

श्री अध्यक्ष—I am in sympathy with the Minister because sometimes by th s sympathy I am very much inconvenienced and so is my office.

श्री जसवन्तसिंह—परेशानी की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—If the amendments orcut motions ro eceived so late are allowed it is to take this House as a Post Office for being delivered here, It becomes very inconvenient and uncomfortable to circulate all these cut-motions or amendments at the reck of time. The Hon'ble Members who want to press their amendments should be very vigilent about their rights and should not take protection under the leniency of the chair or under the leniency of the Treasur y Benches.

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे निवेदन यह करना है कि ये कट मोशन्स देरी से पेश हुए, उसका कारण यह है कि जिस ऑर्डर में डिमान्ड्स रखी जायेंगी उसकी सूचना कल रात को मिली थी इसलिये जल्दी नहीं दे सके।

श्री अध्यक्ष—Immaterial. The demands were circulated long ago. Any way, I put it to vote. The order is immaterial.

(विराम)

Discussion can only be made by cut-motions and there is no other way. If the Hon'ble Member wants to make a preliminary speech he (Shri Pandiya) has a right to do so.

श्री टीकाराम पालीवाल—मुझे कोई ज्यादा स्पीच नहीं देनी है, क्योंकि यह एक बहुत ही जाना हुआ विषय है।

श्री अध्यक्ष—So the question is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 16,25,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March,

[श्री अध्यक्ष]

1955, in respect of Demand for Grant No. LI, Major Head 63B-Community Development Projects."

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

अनुपूरक मांग संख्या ४३-भू-राजस्व

श्री भोगीलाल पंड्या—Sir, I beg to move, "That a supplementary sum not exceeding Rs.1000/- granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demaand for Grant No. XLIII, Major Head 7-Land Revenue.

श्री अध्यक्ष—There is another amendment by Shri Bhairon Singh on this that the Demand for grant No , XLIII Major 7-Land Revenue be reduced by Rupee 1 (to discuss the failure of the Government in providing employment to those who have been drawn out of employment due to Resumptions of Jagirs).

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इस पर कोई चर्चा होती तो उत्तर दे सकता था परइस पर पहले प्रश्न पूछे गये हैं और काफी सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछे गये हैं। उनके उत्तर दिये जा चुके हैं और स्टेटमेंट देकर इस बारे में साफ कर दिया गया है। इसलिये इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं रहती।

श्री अध्यक्ष—आप एतराज करते हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—इस बारे में यह सूचना मिली थी कि एक्स जमींदार और एस्टेट्स के बारे में इस प्रकार का एक्सप्लेनेटरी नोट आ जायगा और इसके बाद सदन में बहस की जा सकेगी। इस प्रकार का नोट सदन के सदस्यों के सामने नहीं आया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि इस पर बहस करने से इस प्रकार का मौका मिलेगा कि इससे सदन को जानकारी हो सकेगी।

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले मुख्य मन्त्री जी ने इस पर काफी प्रकाश डाला था, अब मैं आवश्यकता नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष—It is only a matter of Rs. 1000/-.As compared to fourteen lacs, one thousand is nothing.

प्रश्न यह है कि १०००) की सप्लीमेंटरी ग्रान्ट नं० ४३, मेजर हैड ७, लैंड रेवेन्यु की जो श्री भोगीलाल जी पंड्या ने रखी है, उसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

अनुपूरक मांग संख्या ५०—दुर्भिक्ष

श्री भोगीलाल पंड्या—Sir, I beg to move, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,00,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. L, Major Head 54-Famine."

श्री अध्यक्ष—There is another cut motion over this Demand. "That the Demand for Grant N L, Major Head 54-Famine for a sum of Rs. 2, 00, 000-/ be reduced by Re. 1/- [to discuss the failure of the Government to provide relief to the desiring famine striken people ." क्या कहते हैं इस बारे में आप ?

श्री भैरोंसिंह(दांता रामगढ़)—इस पर तो और भी हैं । तन सिंहजी के और जवान सिंहजी के ।

श्री जवान सिंह—I don't know whether they are sailing in the same boat.

श्री अध्यक्ष—This (Shri Bhaironsingh's) will go into the same boat (श्री भोगीलाल पंड्या से) इसके बारे में क्या कहते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वह तो आ जायगा ।

श्री अध्यक्ष—इसको रिजेक्ट करें या एडिमिट करें ?

Page No.21

श्री भोगीलाल पंड्या—इसको एडमिट कर लीजिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह— That is the spirit that we want.

श्री अध्यक्ष—This appeal had an effect but very remote.

श्री जवानसिंह—Mr, Speaker Sir, I beg to move That the demand for Gran No, L for a sum of Rs, 2,00,000/- in respect of Major Head 54-Famine be reduced by Rs, 1|- (to discss the failure of the Government to provide necessary relief to the famine striken people)."

इस बात को इस सदन के सदस्य मंजूर करते हैं कि हमारे राजस्थान में दुर्भिक्ष हर साल, और हर साल नहीं तो कम से कम दूसरे तीसरे साल में तो पड़ ही जाता है और ऐसी परिस्थिति हो तो उसका मुकाबिला करना सरकार का फर्ज हो जाता है। सदन को अवश्य यह याद होगा कि हमने मौजूद साल के बजट में इस बात के लिए प्रोविजन दिया था कि अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए इसमें आवश्यक रूप से धन-राशि जमा कर ली जावे और इसका सदुपयोग जनता के उपकार के लिए किया जावे, उन लोगों को राहत पहुँचाने के लिए किया जावे, जो अकाल से पीड़ित हैं। पर यहां हमको यह देखना है कि जो भी धन-राशि अकाल पीडितों के लिए उस एरिया में खर्च की जाती है, जहां पर कि इसकी जरूरत है तो उसका सद्व्यय होता है या नहीं ? मैं सदन का ध्यान इस ओर माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये आकर्षित करना चाहता हूँ।

गत वर्ष अकाल पड़ा और जालोर बाड़मेर तथा और और इलाकों को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किया गया। परन्तु वहां पर जो धन राशि खर्च की गई है उससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है। वहां की जनता को उससे कोई लाभ नहीं पहुँचा है और सब धन राशि बेकार गई है, पानी में गई है। अगर उस धन राशि को बिना काम लिए ही जनता को यों ही दे दिया जाता तो उन मजदूरों से बिना काम कराये ही यों ही दे दिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता बनिस्पत इसके कि ऐसे कार्यों के कराने में वह धन राशि खर्च की गई, जिसका कोई भी फायदा जनता को नहीं मिला। इसके लिए मैं आपका ध्यान सडकों की ओर बाड़मेर इलाके में जो सडकें बनी हैं उनकी ओर ले जाना चाहता हूँ। जहां सरकार ने वर्षा होने से पहले काम चलाया, और उस काम को चलाने के लिए जो धन राशि स्वीकार की गई, और खर्च की गई, उसका अपव्यय किया गया है। जितनी कि सडकें बननी चाहिये थीं उसका दो–तीन प्रतिशत भी काम नहीं हुआ है। हमें मालूम है कि बहुत पुराने वक्त में ऐसे काम जैसे बंध बंधाने का काम, नदी, नाले, नहर बंधाने का काम, सड़कें बनाने का काम ऐसे ही मौकों पर, ऐसे काम पुराने जमाने में किये जाते थे और वे काम बहुत ठोस हुआ करते थे और उनकी बनाई हुई चीजें अब भी मौजूद हैं, लेकिन परेशानी इस वक्त में यह है कि इस वक्त अकाल पीड़ित क्षेत्रों में जितना भी धन व्यय किया जाता है वह इस खयाल से नहीं किया जाता है कि उसका फायदा बाद में भी जनता को मिले, वह इस खयाल से किया जाता है कि इस वक्त में लोगों को फायदा

Page No.22

[श्री जवानसिंह]

मिले । अगर सरकार का यह दृष्टिकोण है तो मैं यह कहूंगा कि यह गलत है । हमें यह मानना पड़ेगा कि जो पैसा खर्च किया जाता है उसका सदुपयोग हो और अकाल के बाद भी जनता को काफी फायदा मिले । केवल सड़कों के किनारे पत्थर इकट्ठे करवाना या मिट्टी इकट्ठी करवाना जो अकाल के समय कराई जावे और वह काम अधूरा पड़ा रहे और पैसे सरकार के खर्च हो जावे, इससे तो ज्यादा लाभ होने का नहीं । जब बाद में सदन में यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या इन सड़कों को कराया जावेगा तो, माननीय अध्यक्ष, यह एक बड़ी परेशानी की बात है, उत्तर दिया जाता है कि आने वाले अकाल में सड़क और तालाबों का काम पूरा हो सकेगा जो उस अकाल में पूरा नहीं हो सका है । मैं तो यह कहूंगा कि पब्लिक के काम को हाथ में एक दफा लेने के बाद उसको पूरा कराना सरकार का फर्ज है । अगर उन क्षेत्रों की तरफ, जहां कि विशेष रूप से अकाल पड़ा करता है, दो-तीन साल विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जावेगा तो वहां के आदमियों के लिए जीना मुश्किल हो जावेगा । और उस पिछले जमाने और नये जमाने में कोई अन्तर नहीं होगा । अगर उनके लिए कोई साधन नहीं दिये जावेंगे और उनको पैसे नहीं दिये जावेंगे और हमेशा के लिए उनकी परेशानी को दूर नहीं किया जावेगा, तो उनकी परेशानी हमेशा के लिये कायम रहेगी और उनको यह अनुभव नहीं होगा कि हम प्रजातंत्र के युग में हैं ।

इसके अलावा हमारा जो रुपया ऐसे कार्यों में खर्च होता है वह उन्हीं लोगों के इलाकों में खर्च होता है जो इन्फ्लुएन्शल लोग हैं । इसलिये मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । जहां अकाल क्षेत्र घोषित होते हैं वहां पर बहुत कम मात्रा में रुपया खर्च किया जाता है और अमुमन सदन में बैठनेवालों को विदित है कि प्रभावशाली व्यक्ति अपने उधर के एरिया को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित करवा देते हैं और उन पर प्रचुर मात्रा में धन राशि खर्च करवाई जाती है, चाहे उस धन राशि का सदुपयोग हुआ हो या नहीं, इस बात की कोई खबर नहीं रखता । चूंकि सरकार में उनका असर था इसलिये वह धन राशि उस हिस्से के लिये खर्च की गई । यह पैसे खर्च करने का जो आधार है वह बिलकुल गलत है और इसको हमें बन्द करना चाहिये और करना होगा । सरकार को इस बात का खयाल रखना होगा कि भविष्य में लोगों की परेशानी को दूर करने के लिये कूए खुदवाए जाते हैं उनको पूरा करवाया जावे । पानी पीने के लिये लोगों को मिलना मुश्किल होता है इसके लिये परेशानी उठानी पड़ेगी । पानी पर लोगों की जिन्दगी के साधन निर्भर हैं । इसलिये अगर सरकार इसका ध्यान रखेगी तो लोगों को परेशानी नहीं होगी । अगर इस प्रकार से हम जो पैसा अकाल क्षेत्रों में खर्च करेंगे तो जनता के लिये ज्यादा फायदा होगा । बस यही मेरी नम्र प्रार्थना है । अतः इस कट मोशन द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इन पर अवश्य खयाल करेंगी और इन आधारों पर पैसा खर्च करेंगी ।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा कट मोशन इस प्रकार है :

[श्री तनसिंह]

"That the Demand for Grant No. 1 Major Head 54- Femine be reduced Rs. 1/- (To discuss the failure of the Government to afford proper remedies to scarcity areas) "

अभी तक राजस्थान का जो दुर्भिक्ष के समय सहायता का कार्य किया जाता है, उसमें मुझे एक बड़ा भारी दोष मालूम होता है और वह यह है कि सहायता के कार्य के पैसे सैद्धान्तिक या वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग में नहीं लिये जाते और उसका नतीजा यह होता है कि जितना रुपया खर्च होता है उतनी सहायता और फायदा, जितना रुपया खर्च होता है उससे पहुंचना चाहिये, जनता को नहीं पहुँचता। इसका कारण यह है कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में सहायता के लिए रुपया व्यय किया जाता है, तो उसमें दो बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये, नहीं रखा जाता। एक तो यह कि उन रुपयों से गरीब लोगों को मजदूरी मिले और दूसरा यह कि उन रुपयों से न केवल उन लोगों को मजदूरी मिले बल्कि ऐसे स्थाई कार्य किये जावें जो पब्लिक के लिये लाभकारी हों। जहां जहां दुर्भिक्ष के क्षेत्र हैं उन सब स्थानों में एक चीज की कमी है और वह है पानी की कमी। इसके बाद दूसरी कमी होती है वह चारे की और घास की। लेकिन चारे या घास को पहुंचाने की बात सरकार के सामर्थ्य के बाहर की है। क्योंकि उसके पास इतना कम पैसा है कि इसका प्रबन्ध नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी पानी की सुविधा के लिये सहायता के लिये कार्य कर सकती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो भी कार्य किया जा रहा है वह तालाबों को खुदाने के लिये किया जाता है। इस प्रकार तालाबों की खुदाई में रुपया अधिकांश व्यय किया जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि दुर्भिक्ष के समये तालाबों में पानी की कमी रहती है और अगर पानी काफी तादाद में आता तो दुर्भिक्ष ही क्यों पड़ता। जब वर्षा नहीं होती तभी तो दुर्भिक्ष पड़ता है। इसलिये इन तालाबों की खुदाई में जो पैसा खर्च होता है वह गरीबों को मजदूरी मिलने के अतिरिक्त कोई स्थाई रूप से कार्य करने के लिये खर्च को लिए होता, नजर नहीं आता। सरकार को चाहिये तो यह, कि जहां कूओं में पानी मिल सकता हो वे गहरे कराये जावें और जहां कूए नहीं हों वहां पर कूए खुदवाए जावें ताकि आनेवाले दुर्भिक्ष में तो वहां के लोगों को पीने के पानी की कठिनाई न हो। हमारे यहां कूए ऐसे होते हैं जिनमें वर्षा के समय पानी आजाता है और जब वर्षा कम होती है तो कूओं में पानी नीचे चला जाता है और सूख जाता है। ऐसी हालत में जब अकाल होता है तो उसमें कूओं की खुदाई का काम किया जावे इससे लोगों को मजदूरी भी मिल जावेगी और इसके साथ २ हमेशा के लिये दुर्भिक्ष से मुकाबला करने के साधन भी मिल जावेंगे।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि रुपये कितने दिये जाते हैं, मैं तो यह अंदाज लगाता हूं कि जितने रुपये इस कार्य के लिये मिलने चाहियें नहीं मिलते। इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि जिस व्यक्ति को जितने रुपये मिलने चाहिये, उतने नहीं मिलते। उसको मिलने चाहियें, चाहे दूसरे लोगों के मुकाबले में कम ही मिलें या ज्यादा मिले। मेरा तो इसलिये यह ख्याल

[श्री तनसिंह]

है कि पैसा बहुत कम मिलता है और इससे वह किसी काम में नहीं आ सकता। इसकी मैं मिसाल दे सकता हूं। जैसे लोगों को तकावी के लिये रुपये दिये जाते हैं। फेमिन रिलीफ के अवसर पर दी गई तकावी का मेरा खुद का अनुभव है और इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों को दस दस रुपये और किसी को १५ रुपये व किसी को २० रुपये दिये गये। अब आप भी अन्दाजा लगा सकते हैं कि जब ऐसे समय में दुर्भिक्ष पड़ा है, ईश्वर का प्रकोप है तो उस समय १५ या २० रुपये की सहायता जो तकावी के रूप में मिलती हैं, क्या उससे किसी आदमी को मेटीरीयल गेन हो सकता है ? वह व्यक्ति अधिक समय तक उन रुपयों से फायदा उठा सकता है। वह फायदा नहीं उठा सकता। वह बिल्कुल असंभव बात है। इसलिये क्या अवश्यकता है कि लोगों को १०, या १५ रुपये तकावी के रूप में दिये जावें ? आवश्यकता तो इस बात की होती है कि उन लोगों को आवश्यकता के अनुसार सहायता दी जानी चाहिये। मगर यह नहीं किया जाता और, १०, १५ रुपये हर एक व्यक्ति को दे दिये जाते हैं जो प्रार्थना-पत्र पेश करता है। वह इसलिये ऐसा किया जाता है कि तहसीलदार इस बात का निर्णय नहीं कर सकता है कि किस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। इसलिये जितनी भी अर्जियें गांव वालों की आती हैं १०,या १५ रुपये सामान्य रूप से बांट कर एक अच्छी गवर्नमेंट की मिसाल रखती है। मेरा खयाल है कि इसके बजाय आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को चाहे थोड़ी सहायता दी जावे लेकिन इतनी दी जानी चाहिये जिससे वे आसानी से दुर्भिक्ष का मुकाबला कर सकें।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह है सड़कों के विषय में, कहा यह जाता है कि इतना हमने फेमीन रिलीफ में सड़कों के लिए कुछ इलाकों को दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रुपये देने के पहले कागजों की घुड़ दौड़ शुरू होती है और जब तक रहती है कि दूसर बरसात कभी कभी आ जाती है। पहले दुर्भिक्ष पड़ता है। जिस इलाके में पड़ता है, उसके लिए पहले मिनिस्टर उनके सम्बन्धित अधिकारियों से पूछते है, फिर कलेक्टर और तहसीलदार जांच करके रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद में मंजूरी होती है। तब कहीं रुपया जाता है। तब वह वास्तविक खर्च के लिए रुपया अगर किसी कार्य में आकर खर्च किया जाना होता है, तब तक उसके पहले पहले दुर्भिक्ष का अधिकांश समय चला जाता है, और वक्त थोड़ा सा रह जाता है। जब रुपया वहां पहुँचता है और वास्तविक रूप से कार्य शुरू होना चाहिए, बरसात शुरू हो जाती है। तो कहा यह जाता है कि इतने रुपयों की तो हमने मंजूरी दे दी, काम शुरू हुआ किन्तु मजदूर नहीं मिल पाये। यदि मजदूर दुर्भिक्ष पर या अकाल की सहायता पर ही आश्रित हों तब तो आपकी शिकायत दुरुस्त है, किन्तु मैं निवेदन करूं कि मजदूर आपकी सहायता पर आश्रित नहीं हैं और वे तो बरसात पर आश्रित हैं। वे बारह महीने के धंधे को छोड़ कर वे दो महीने की मजदूरी पर क्यों आवेंगे ? इसके लिए ऐसे समय में और ऐसी जगहों में जहां कि अकाल आम तौर पर पड़ता है, योजनाएं पहले ही बन जानी चाहिए और उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए यदि वास्तविक रूप से अकाल

[श्री तनसिंह]

पड़ जाय तो वह रुपया भेज देना चाहिए। रुपया जब वहां पहुँचेगा और समय पर पहुँचेगा तो लोगों को सहायता भी मिल जायगी।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अकाल क्षेत्र, मान लीजिये कि बाड़मेर का इलाका है और वहां सड़क बनाने का विचार है। आपने एक कोने से दूसरे कोने तक सौ मील की सड़क बनाने का विचार कर लिया और उसमें रुपया भी काफी खर्च होने का अन्दाजा है, लेकिन उस सम्बन्ध में जो प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लम्बी सड़कों को लेकर यह खयाल किया जाता है कि इससे सारे इलाके में सहायता पहुँच जायगी जो कि नामुमकिन है। एक साथ एक ही सड़क पूरी नहीं हो सकती है और न ही पूरे अकालग्रस्त लोगों को सहायता मिल सकती है। मानलीजिये कि उस सड़क पर एक ठेकेदार को ठेका दिया गया है या दो ठेकेदारों को ठेका दिया गया है। एक जगह के बजाय दोनों ओर से काम कराया जाय, फिर भी उससे सारे इलाके को सहायता नहीं मिल सकती है। एक ओर से उसको शुरू करना और फिर उसको छोड़ देना और यह कहना कि इतने रुपये रखे हैं, तो इससे वास्तविक रूप में फायदा पहुँचेगा,-गलत है। इसलिए पहले योजना बनाई जाय कि इतना खर्च हो सकता है और उस कार्य को पूरा करने के पश्चात् यदि रकम बच जाय तो उसको अन्य सहायता के कार्यों पर खर्च किया जा सकता है। जो योजना बनाई गई है मुमकिन है उस इलाके में कम अकाल पड़ जाय और रकम कम खर्च हो तो दूसरी जगह भी उसको सहायता के कामों में खर्च किया जा सकता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय बतावेंगे उससे स्पष्ट हो जायगा कि बाड़मेर में कुछ इलाकों में जितनी सहायता दी गई है, उतना रुपया कभी खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि वह रुपया समय, पर नहीं पहुँचा और यदि समय पर पहुँचा है तो एक सड़क को बनाने में ही थोड़ा खर्च हो गया बाकी बचत ही रही। मैं आपको एक जगह के लिए अर्ज करूं कि बाड़मेर से लेकर गुड़ा तक बनने वाली सड़क बनाने का विचार था। उसके लिए मेटीरियल सनावड़ा में इकट्ठा कर लिया। मंजूरी हो गई। ठेकेदार वहीं पहुँचा और कई बातें हैं जिनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन जो फैक्ट्स हैं वह मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूँ। वहां मेटीरियल पड़ा हुआ है। एक बरसात पड़ चुकी और दूसरी भी शुरू हो जायगी, काम कुछ नहीं हुआ। दूसरा मैं बाड़मेर से सिणदरी आने वाली सड़क के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। वह १७ और १८ मील चवा तक हो बन कर रह गई है। अब कहते हैं वह पूरी तब होगी जब दूसरा अकाल पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अकाल को बुलाने के लिए क्या बाध्य किया जाय जब कि चारों ओर से सहायता सहायता का शोर हो रहा है और सहायता समय पर मिलती ही नहीं, जो सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, या आधी बनी न बनी अधूरी रह गई है उनको पूरा नहीं किया जाय और नई सड़कें फिर प्रारम्भ कर दी जांय ?

[श्री तनसिंह]

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में यह बताया था कि इस बार बाड़मेर जैसलमेर और शेरगढ़ की तरफ अकाल है । लेकिन वह कहां तक है ? कुछ एरिया निकाल कर रखा गया हो ऐसा हो सकता है किन्तु है उन्हीं के स्टेटमेंट के भरोसे पर मुझे मालूम होता है कि सारा का सारा एरिया अकाल-ग्रस्त घोषित किया जा रहा है । ऐसी अवस्था में यदि यह बात है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बार पानी की और घास की कमी के साथ साथ एक बात की और कमी महसूस हो रही है बरसात समय पर न होने के कारण घास की कमी है । जो लोग उस इलाके के बाहर अपने मवेशी को चराने के लिए लेजाने चाहते हैं उनको गवर्नमेंट की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती है जिससे कि उन लोगों को मालूम पड़ सके कि हमें किस क्षेत्र में मवेशी लेजाना चाहिए, कौनसे मार्ग से लेजाना चाहिए, कौनसा मार्ग उनके लिए उपयुक्त होगा ? क्या इस ओर सरकार द्वारा प्रबन्ध किया गया ? उनको मवेशी लेजाना पड़ता है, जिस मार्ग से वे लेजाते हैं वह लम्बा पड़ता है और अकालग्रस्त कौनसा २ क्षेत्र है ? उस सारे क्षेत्र में कौनसा मार्ग होगा, और कहां कहां घास की मंडियां मिल सकती हैं । तो इस सारी बातों को सरकार की ओर से निश्चित किया जाना चाहिए था और इस तरह से उनको वास्तविक सहायता भी मिल सकती थी ।

मैं इतना ही निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष, आपके मार्फत माननीय मन्त्रीजी से कि वे भविष्य में इस प्रकार की चीजों को करें जिससे लोगों को अधिक सहायता मिल सके और रुपयों का भी स्थायी रूप से उपयोग हो सके । मैं इतना ही निवेदन करूंगा ।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष, अकाल के सम्बन्ध में दो लाख की मांग सदन के सामने विचारार्थ व स्वीकारार्थ प्रस्तुत हुई है उसके सम्बन्ध में अभी मेरे से पूर्व दो वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । मैं उन विचारों से सहमति रखते हुए, जो पूरक मांगों के लिए कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिए अपने विचार सदन में प्रस्तुत करूंगा ।

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान की यह बदकिस्मती ही समझ लीजिये कि जब से यह सरकार बनी है उससे लेकर अब तक राजस्थान के इस बजट में इस प्रकार की मद आवश्यक सी हो गई है । उम्मीद तो यह थी कि ईश्वर भी इस प्रकार की सरकार को सहायता देगा, लेकिन न मालूम क्यों ? यह मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता की बड़ी बदकिस्मती है जिसके कारण हमें ईश्वरीय प्रकोप के कारण तो अधिक बोझा उठाना पड़ेगा किन्तु उसके साथ साथ उसको दूर करने के लिए भी अपने आपको ज्यादा लगाना पड़ता है । माननीय अध्यक्ष, सरकार की ओर से इस बात का प्रयत्न किया गया कि इस वर्ष राजस्थान में इस प्रकार की समस्या का स्थायी हल निकाला जाय और इस प्रकार का स्थायी हल निकले इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की ओर से सदन के माननीय सदस्यों

[श्री भैरोंसिंह]

की राय जाननी चाही थी। कई सदस्यों ने सरकार के सामने राय समर्पित की और सरकार से अपेक्षा की थी कि उनकी राय पर किसी न किसी प्रकार की कार्यवाही होगी। यह मैं नहीं कह सकता कि जो राय कई माननीय सदस्यों ने सरकार के सामने प्रस्तुत की थी उनका भविष्य क्या है, क्या होगा और क्या होने वाला है ?

लेकिन जिस प्रकार की मांग को लेकर आज सदन में चर्चा की जा रही है वह मांग इस वर्ष अकाल के सम्बन्ध में न होकर गये वर्ष जो लोग अकाल से पीड़ित थे जिन जिन लोगों को जिस प्रकार के रिलीफ की आवश्यकता थी वह उन लोगों के संबन्ध में है।

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान के चार डिस्ट्रिक्ट ही ऐसे थे जिनमें इस रकम का उपयोग किया। चार डिस्ट्रिक्ट ही बदकिस्मत समझे गये जिनके कुछ गांवों में गतवर्ष अकाल की समस्या थी। अकाल के सम्बन्ध में जहां तक सरकार को जानकारी का प्रश्न है, मैंने यह अच्छी तरह से अनुभव किया है, सरकार इस संबन्ध उस में एरिया में किसी प्रकार का अकाल है या नहीं या किसकिस जगह अकाल है, किस किस जगह किस हद तक अकाल पीड़ितों को सहायता देने की आवश्यकता है, इसको गंभीरता से सोच कर कोई नीति निर्धारित करें। इस प्रकार की बात न देखने को मिलती और न सुनने को मिलती है और न हम रिलीफ वर्क्स के कार्य रूप में होते देखते हैं। लेकिन देखने में यह आया है, जिस जगह अकाल है या नहीं, जिस जगह अकाल के कारण सहायता पहुँचानी है अथवा नहीं। इन बातों को नहीं देखा जाता है। देखते यह हैं कि किन स्थानों में किन किन महान् व्यक्तियों का निवास स्थान है, नेता किस्म के लोग उस गांव में रहते हैं या नहीं; चाहे उस गांव में अकाल हो या नहीं। वे नेता किस्म के लोग सरकार पर दबाव से या जो आज कल हथकन्डे अपनाये जाते हैं उनसे सरकार पर इस बात का दबाव डालते हैं कि वे इस बात को कन्विन्स कराते हैं कि हमारे यहां अकाल की स्थिति है। इसलिये अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये इतनी धनराशि की आवश्यकता है। सरकार को सूचना देते हैं कलेक्टर तहसीलदार या एस. डी. ओ वे नेता किस्म के लोग इन अधिकारियों को भी कन्विन्स करा देते हैं अपने हथकन्डों से दबाव से तो वे अधिकारी कन्विन्स हो जाते हैं और मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। इस प्रकार से मजबूरी के कारण सरकार के ऑफिसर सरकार को अपनी राय दे देते हैं। फिर सरकार योजना बनाती है कि हम किस प्रकार इन लोगों को राहत पहुँचा सकते हैं। उसके बाद में यह नहीं देखा जाता कि कहां अकाल कितना है और कितनी धनराशि की आवश्यकता है ? पर धनराशि खर्च करने का जहां तक सवाल है कि धनराशि को किस प्रकार से खर्च किया जाय, उसमें इस बात का कन्सीडरेशन रखा जाता है कि कौन कौन से गांव में किस किस किस्म के लोग हैं, नेता लोग जिस गांव में है, उसी गांव में अधिक रुपया खर्च किया जाता है। यह कोई नहीं देखता कि किस किस गांवों में अकाल ज्यादा १५,२० गांवों में अकाल कहां ज्यादा है, या किसी चार पांच गांवों में अकाल की स्थिति ज्यादा है। चार पांच गांवों में अकाल की स्थिति ज्यादा गंभीर होने के कारण होना तो यह चाहिये कि उन गांवों में रकम ज्यादा खर्च होनी

Page No.28

[श्री भैरोंसिंह]

चाहिये, होता क्या है, चाहे कहीं अकाल की स्थिति गंभीर हो लेकिन खर्च होगा वह रुपया ज्यादा एक गांव में जिस गांव में नेता लोग ज्यादा रहते हैं. या जिन गांवों में नेता लोगों का प्रभाव हो बस यही एक दृष्टिकोण रखा जाता है, अकाल के रुपये खर्च करने का। मैं मिसाल की तौर पर आपके सामने गंगानगर का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। गंगानगर डस्ट्रिक्ट में भादरा तहसील में हनुमानगढ़ आदि पन्द्रह बीस गांव ऐसे थे जहां अकाल की स्थिति घोषित की गई। वहां सरकारी अधिकारियों ने जांच की, जांच करके उन्होंने रिपोर्ट दी कि १५,२० गांवों में अकाल है। उन्होंने यह यहां ज्यादा नहीं कहा कि फलां फलां गांव में ही अकाल की स्थिति ज्यादा है, अत: सहायता होनी चाहिये। हुआ यह कि वहां के लिये ४४ हजार रुपया अकाल की सहायतार्थ स्वीकृत हुआ। उसी डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक फेफाणा गांव है जहां सिर्फ एक गांव में २४ हजार रुपया खर्च हुआ और बाकी के १४ गांवों में २० हजार रुपया खर्च किया गया। अभी जैसा कि मैंने कहा कि अकाल का रुपया खर्च करने में यह देखा जाता है कि कौन आदमी, कौन नेता ऐसा है जो सरकार को कन्विन्स करा कर इस प्रकार से रुपया स्वीकार करा सके ? लेकिन यह कन्सीडरेशन रखा जाता है। जब फेफाणा गांव में २४ हजार रुपये खर्च होते हैं इसका खास कारण है। जब कि फेफाणा में कोई अकाल की ज्यादा समस्या नहीं थी, सब १५ गांवों में समान समस्या थी। लेकिन केवल एक ही गांव में ४४ हजार रुपया खर्च होना यह बताता है कि यहां कुछ प्रमुख खासियत है। हमारी वर्तमान सरकार में यहां के निवासी एक मंत्री महोदय हैं, और उन्हीं के कारण यह सहायता दी गई और खर्च भी उन्हीं के गांव में हुआ। भादरा तहसील का कोई गांव ऐसा नहीं जिनके लिये सहायता मन्जूर नहीं की गई, उनको सहायता न मिली हो। केवल वहां यही सहायता मिली हो यह बात नहीं, उस गांव के लिये कूओं के लिये तकाबी लॉन भी वहां दिया गया। पंचायत आदि से यदि रुपया मिलता हो तो वह भी वहां के लिये ले लिया गया। इस तरह से एक एक कूओं की मरम्मत के लिये दो-दो, तीन-तीन बार लॉन लिया गया और उनमें से एक भी कूआ तैयार नहीं हुआ। उसके हिसाब की जांच किसी ने नहीं की। आज केवल कन्सीडरेशन होता है, उन लोगों के कहने पर जो अपने आपको नेता मानते हैं। अत: मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के कन्सीडरेशन को छोड़ कर आम जनता के रिलीफ का विचार किया जाय, न कि किसी एक स्थान विशेष का। इस प्रकार की धनराशि का जो खर्च करने का तरीका सरकार ने रखा है वह बिल्कुल गलत है। इन रुपयों के खर्च करने में ऐसे लोगों का अवश्य सहयोग लिया जाना चाहिये। जिन लोगों की उन गांवों के विषय में विशेष जानकारी हो उनसे सरकार को मदद लेनी चाहिये। अगर इन रुपयों के खर्च के लिये हर गांव में कमेटियों द्वारा इनके वितरण की सुविधा होती तो आज यह कहने का मौका नहीं मिलता। आज जिस प्रकार देखा जाता है कि इन कमेटियों में उन्हीं लोगों को नोमिनेट किया जाता है जो कि सरकार के पिट्ठू हों, लेकिन होना यह चाहिए कि जो लोग समाज सेवी हों, जो सरकारी पैसों का दुरुपयोग होने से बचा सकें, उन व्यक्तियों के सहयोग से कमेटियों का निर्माण होना चाहिए ताकि वे प्लान चॉक आउट करें कि इस रुपये का खर्चा किस प्रकार होना चाहिए। जो कुछ भी रुपया डिपार्टमेंट द्वारा इस कार्य में खर्च होता है वह एक प्रकार से उसका दुरुपयोग ही होता है। उससे राहत का काम जनता को देखने को नहीं मिलता है।

Page No.29

[श्री भैरोंसिंह]

आज होता यह है कि जो लोग गांव के लीडर बने हुए हैं, गांव के मुखिया लोग जो सरकार के साथ हैं वे सारी की सारी धन राशि ले आते हैं गांव के लिए खर्च करने की दृष्टि से, गांव वालों की सेवा करने की दृष्टि से और बाद में होता यह है कि उन पैसों को वे अपने खुद के काम में ले लेते हैं और हिसाब किताब बना देते हैं। और फिर उसको डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में भिजवा देते हैं कि यह रुपया इस प्रकार से खर्च हुआ। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार मैंने पहले किया कि यह डिपार्टमेंट हमारे यहां अब स्थायी होता जा रहा है क्योंकि यह डिपार्टमेंट हमारी इस सरकार के आने के बाद एक प्रकार से स्थायी होता जा रहा है। अतः इसके कार्य को यदि ठीक ढंग से चलाना है तो हमें ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे जनता का एक पैसा जो इस काम में खर्च होता है उसका सदुपयोग हो सके। खासतौर से जहां अकाल की समस्या है वहां इस रुपये का खर्च हो और वास्तव में जनता को राहत मिल सके। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि किस एरिया में अकाल की स्थिति भयंकर है और उन एरियाज़ में किस प्रकार की राहत की आवश्यकता है और किस प्रकार की राहत पहुँचाकर वे उनकी सेवा कर सकते हैं ? मैं आपके सामने इस संबन्ध में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। जिन जिन गांवों में इसके लिए मदद पहुँचाई गई, जितना भी पैसा अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए खर्च किया गया अगर उस इलाके में आप चल कर देखें, अपनी आत्मा में विश्वास रखकर उसे देखें तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार इस डिस्ट्रिक्ट में इस अकाल की सहायता के लिए दिये गये रुपये का दुरुपयोग हुआ है। यह पैसा उन लोगों को मिला है, उन गांवों में खर्च हुआ है जहां किसी प्रकार का अकाल नहीं था। अगर माननीय मन्त्री इस बात की जांच करना चाहते हैं तो माननीय मन्त्री मेरे साथ चलें, मैं उनको ऐसे आदमियों के पास ले जाऊंगा जिनके नाम से पैसा लिया गया किन्तु खर्च नहीं हुआ। इस तरह से उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के कहने के बावजूद भी ऑडिटर द्वारा अकाउन्ट्स देख लिये गये और उन अकाउन्ट्स को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में भेज दिया गया और उन पर डिपार्टमेंट्स के अधिकारी के दस्तखत भी होंगे। अगर वे दुबारा उन आंकड़ों की जांच करें और मैं तो उनसे निवेदन यहां तक करूंगा कि एक दफा ऑडिट हो भी गये हों तो उनकी पुनः जांच करवाई जाय तो पता चलेगा कि किस प्रकार पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग हुआ है ? जिन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ एक्शन लेकर एक्जेम्पलरी पनिशमेंट का उदाहरण पेश करें, ताकि आयन्दा किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह इस प्रकार पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग कर सके। उनके दिल में इस प्रकार दहशत हो जायगी कि अगर वे पैसों का दुरुपयोग करेंगे तो इस प्रकार की सजा मिल सकती है। इस तरह से यह जो पैसों का दुरुपयोग होता है वह भी रुक जायगा।

इस मद में तीन बातों में पैसा खर्च हो रहा है—

पहला है सिविल वर्क्स थ्रू रेवेन्यु एजेन्सी, दूसरा है ग्रेच्युटस रिलीफ एवं तीसरा है, वाटर सप्लाई अरेन्जमेन्ट्स। ये तीनों इस प्रकार की मदें हैं कि सिवाय ग्रेच्युटस के अगर

[श्री भैरोंसिंह]

इन दो मदों की जांच की जावे तो इसमें तो हमें इस स्तर से देखना पड़ेगा और यह जांच करनी पड़ेगी कि जिस जिस रुपये को जिस जिस मद में खर्च करना बताया गया है वह वास्तव में हुआ है या नहीं।

आज कल गांवों में एक अजीब हालत है वाटर सप्लाई के बारे में। कूआ है, पर कूए में पानी कम है और पानी की कमी के नाम पर गांव के मुखिया के नाम से एक दरख्वास्त आती है और वह दरख्वास्त उस अधिकारी के पास पहुँचती है जो इसके लिए अधिकृत है। तो वह अधिकारी उस कूए पर दो हजार रुपये की मन्जूरी करता है। कूआ खुदा हुआ है, पानी उस में बहुत काफी है, कूआ अच्छी तरह से बना हुआ है, कोई मरम्मत तक की भी उसमें जरूरत नहीं, पानी की भी उस कूए में कोई कमी नहीं, पर दो हजार की स्वीकृति हो जाती है और दो हजार के खर्चे का अकाउन्ट बता दिया जाता है कि किस बात में यह रकम खर्च हुई, वह खर्च बताई जाती है कि मरम्मत में इतना लगा, रहट लगाई गई, गहरा किया गया आदि आदि। वास्तव में उसमें पानी है या नहीं, मरम्मत के लायक है या नहीं, रहट पहले से लगाई गई है या नहीं, इसकी किसी को जांच करने की आवश्यकता नहीं। जो अकाउन्ट्स दे दिया उसमें दो हजार खर्च किया हुआ बता दिया और इसलिए खर्च किया कि गांव में पानी की कमी थी, रुपये दे दिये, कुछ मरम्मत कराई गई, कुछ रहट लगाई गई और पानी लेवल पर लाया गया और हिसाब पास कर दिया और फिर उसको स्वीकार कर लिया गया। इसमें आवश्यकता इस बात की है कि उसकी ऑन दी स्पॉट जांच की जावे और जिस वक्त दरख्वास्त दी जावे, रुपया स्वीकार किये जाने से पहले जाच की जावे और एक व्यक्ति द्वारा नहीं जैसा मैंने सजेस्ट किया है वैसे गांव के प्रमुख आदमियों की एक कमेटी के मार्फत पैसा दिया जावे। क्योंकि रुपये का सबसे ज्यादा अगर दुरुपयोग हो सकता है तो इन रहटों की मरम्मत में हो सकता है। वहां जाकर इसका अन्दाज नहीं लगा सकते बाद में। यह तो पहले जांच करनी चाहिये कि पांच, सात सौ रुपया मरम्मत में जो लगाया गया है वह दर असल लगाया गया है या नहीं, रहट सीमेंट का लगाया है या लकड़ी का लगाया है व इसमें कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी गहरी मिट्टी निकली है आदि आदि पर इसकी कभी जांच नहीं की। और न बाद में इसकी जांच हो सकती है और इसकी जांच न होने के कारण ही लोगों के दिमागों में कूओं के जरिये पैसा देने की और उसे अपने काम में लेने की एक प्रकार की प्रवृत्ति सी बन गई है। तो जो अकाल पीड़ितों को राहत दी जाती है उसमें अन्य मदों को छोड़ कर बार बार जिस मद में रुपया दिया जाता है वह है ये कूए और इसके लिए निरन्तर प्रयास किया जाता है कि हम कूओं के नाम पर ज्यादा से ज्यादा धन कैसे मन्जूर करावें?

हमें इस बात की जांच करनी चाहिये कि अव्वल तो ऐसे कूए हैं या नहीं कि जिनके जरिये पानी मिल सकता है। इसके बाद अगर कूए नहीं हैं तो फिर जांच करनी चाहिये कि इस कूए में कितने रुपयों की आवश्यकता है और कितने रुपये इसमें अब तक लगाये जा चुके हैं,

[श्री भैरोंसिंह]

अगर कोई कुआ ऐसा पहले का पाया जावे तो। फिर यह भी देखना चाहिये कि इस पैसे का यहां कोई सदुपयोग होगा या नहीं। इसके बाद जांच से अगर यह भरोसा हो जावे कि दर असल यहां पैसा लगाने की आवश्यकता है तो पैसा वहां लगावें और फिर मैंने इसके लिए निवेदन किया कि यह पैसा-वितरण करने का काम ग्रामीणों की कमेटियों के थ्रू किया जावे, न कि एक व्यक्ति या किसी एक आदमी के मार्फत कि जो इस पैसे को इस गलत तरीके से हड़पना चाहता हो। ऐसे व्यक्तियों के समूह के मार्फत जो अलग अलग विचारधारा के होने के कारण यह पूरी पूरी तरह से देख सकेंगे कि इसका दुरुपयोग तो कोई न करे। तो ऐसा करने से इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा और पैसा बच सकेगा।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है सिविल वर्क्स थ्रू रेवेन्यू एजेन्सी के बारे में। यह भी एक ऐसा काम है कि जिसको कोई भी कहीं पकड़ नहीं सकता। कहा यह जाता है कि हमें इस प्रकार की छोटी छोटी योजनाएं बनानी चाहिये और बनाई जाती हैं ऐसी योजनाएं और कहा जाता है कि हमें इसमें इस प्रकार से पैसा लगाना है। पर ये योजनाएं भी कागजों पर ही बनती हैं, कागजों पर ही होती हैं व और पेमेन्ट भी इनका कागजों के रूप में ही होता है। लेकिन इसमें भी शंका है कि पेमेन्ट जिनके नाम से दिया गया कागजों में दर्ज है, वह पेमेन्ट भी उनको मिला है या नहीं, लेकिन उनके नाम से जरूर है, दस्तखत हैं; फिर चाहे वे झूठ हों या सच हों इसकी परवाह नहीं। दस्तखत जो होने चाहिये वे हैं, दस्तखत न हों तो गलत सलत अंगूठे ही बनाये जाते हैं।

सड़कों के सम्बन्ध में सरकार कहती यह है कि अकाल में बेकार लोगों को एम्प्लॉयमेन्ट देने के लिऐ निर्माण करते है। पर लोगों को एम्प्लॉयमेन्ट कितना मिलता है, यह हम आप सब जानते हैं। यह ठीक है कि किसी भी स्थान पर सड़क अगर बनेगी तो एम्प्लॉयमेन्ट मिलेगा। इसके आस पास लोग जो मजदूरी करने वाले हैं वे अवश्य जावेंगे, पर मजदूर जाते हैं दस और हाजरी होती है बीस की और तनख्वाह मिलती है बीस को। अब अगर इसकी जांच होती है दो चार महीने या छः महीने बाद में और रजिस्टर हाजरी का देखते हैं तो रजिस्टर हाजरी में दर्ज है बीस की हाजरी और बीस को ही पेमेन्ट मिला है, यह भी दर्ज है। लेकिन एक्चुअल स्पोट पर जाकर न तो किसी अधिकारी ने आज तक इसे देखा है और न किसी मन्त्री महोदय ने, जो कि आज दौरे करने के लिए दूसरे दूसरे प्रान्तों में भी सबसे अधिक मशहूर हैं, पर उन्होंने भी कभी ऐसे किसी काम को जाकर नहीं देखा, न चेक हो कभी किया कि जिसके जरिये से कह सकें कि जितना हाजरी पहले दिन थी उतने ही मजदूर काम पर गये थे, जिन अफसरों के नाम पर तनख्वाह ले लेते हैं, जिन गरीब मजदूरों के नाम पर तनख्वाह ले लेते हैं, मजदूरी ले लेते हैं, उनकी उसी समय जांच की जाती। पर आज इतने अरसे बाद उनके झूठे वाउचर बना कर पैसा ले लिया जाता है और आज जांच करने पर तो सारे कागजों को ही उन्होंने ठीक ठाक कर दिया है, उनसे आज कुछ पता नहीं चल सकता, यह तो ओन दी स्पोट ही पर जाकर जांच करने की बातें हैं। पर ऐसी जांच नहीं होती है। ये मिनिस्टर जब दौरा करते हैं तो कैमरामेन साथ ले जाते हैं, कहीं कुदाली हाथ में लेकर प्रदर्शन करते हैं तो चाहते हैं कि वह कैमरामेन उनकी फोटो लेकर अखबारों में प्रकाशित करा दे और इस प्रकार की झूठी प्रशंसा के

[श्री भैरोंसिंह]

लिए दौरे करते हैं, पर अगर वे इस दृष्टि से दौरों में न जाकर इस दृष्टि से जावें कि उन गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेन्ट मिलता है या नहीं, जितने आदमियों के नाम रजिस्टर में हाजरी में दर्ज हैं वे उतने आदमी अपना वेतन, अपनी मजदूरी पाते हैं या नहीं ? इस बात की वे जांच करें तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के दुरुपयोग जो इस पैसे के होते हैं वह काफी हद तक रुकेगा और काफी रुपया बचेगा । अब दूसरी बात...

श्री अध्यक्ष—दूसरी ही दूसरी बात आ रही है ।

श्री भैरोंसिंह (१६)—(जारी) सोरी साहब, तीसरी है । तीसरी बात है ग्रेटीच्युअस रिलीफ । यह रिलीफ इस प्रकार की है या नहीं इसको हम आज भी जांच कर सकते हैं। लोगों के नाम से दिये गये पैसे के हिसाब की जांच यदि हम आज भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं । इसमें सबसे बड़ी मुद्दे की चीज़ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी को सौ रुपये दिये, इसलिये दिये कि वह कोई ऐसा काम कर ले कि जिससे वह अकाल की इस गम्भीर परिस्थिति से बाहर निकल सके । पर यह आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस सौ रुपये में से सौ रुपये उसके पास नहीं पहुँचते । इस सौ रुपये को प्राप्त करने के लिये उसको कुछ खर्च करना पड़ता है । पांच पर्सेन्ट, दस पर्सेन्ट या बीस पर्सेन्ट और कहीं तो आपको मालूम होगा कि पचास-पचास पर्सेन्ट भी खर्च होता है । यह खर्च होता है वहां जो कि रुपया देता है या जिसकी मार्फत इस प्रकार के धन की दरख्वास्त दी जाती है । दरख्वास्त देता है कोई कहीं तो उसे कहा जाता है कि यदि तुम्हें सौ रुपये दिला दें तो दस पर्सेन्ट या बीस पर्सेन्ट कमीशन उसमें से हमें देना होगा वकालत का । हम तुम्हारे वकील बनकर जावेंगे, जितने की आवश्यकता है उतना दिलवा देंगे पर इसमें से हमारी वकालत के रूप में इतना इतना पर्सेन्टेज, दस पर्सेन्ट या बीस पर्सेन्ट या पचास पर्सेन्ट जितने पर भी सौदा तय हो जाय, देना होगा । इस प्रकार के गांव के या गांव के समूह के नेताजी या पांच-दस वकील जो सरकारी अधिकारियों के पास पहुँचते हैं और जिनकी वहां तक पहुँच होती है, उसकी तरफ से दरख्वास्त अधिकारियों को देते हैं और कहते हैं कि वास्तव में इसको रिलीफ के इन रुपयों में से इस काम के लिए इतने रुपयों की जरूरत है और उस दरख्वास्त पर उसी वक्त मन्जूरी हो जाती है और फिर वह रुपया भी उनके नाम पर वे ही ड्रॉ करते हैं और जब तकसीम करते हैं तो जो कुछ मुआवजा उनका होता है, दस पर्सेन्ट, बीस पर्सेन्ट या चालीस या पचास पर्सेन्ट, वह काट कर बाकी का उनको दे देते हैं और इतना ही नहीं, मैं मिसाल के तौर पर यह भी अर्ज कर दूं कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में तो यहां तक भी है कि जिनकी तकावी दी जाती है उन तक को भी यह मालूम नहीं है कि हमारे नाम से कोई तकावी मन्जूर हुई है ।

(ऑर्डर सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना कह कर केवल यही सिद्ध करता हूँ कि इस मामले में कितना और किस तरह का करप्शन फैसला हुआ है, यही केवल बतलाना चाहता हूँ । तो सारी परिस्थिति यह है ।

[श्री भैरोंसिंह]

इस प्रकार का रुपया तकसीम करते वक्त सरकार इस बात का पूरा पूरा भरोसा दिलावे कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे आत्माभिमान के साथ इस बात का प्रबन्ध किया जावेगा कि इस रुपये का दुरुपयोग नहीं होगा। इस बात का गौरव, आत्म-विश्वास सरकार जनता में पैदा करे और इस प्रकार के आत्म-विश्वास को जनता तक पहुँचाने पर और यह कहने पर कि इस प्रकार का गलत काम चाहे सरकारी अधिकारी करें या और कोई करे उन पर सरकार सख्ती से कार्यवाही करेगी और खास कर पैसे का दुरुपयोग करेंगे तो सरकार एग्ज़म्प्लरी पनिशमेन्ट तक देगी। अगर ऐसा सरकार ने किया तो इससे जनता का बड़ा हित होगा और सरकार का भी इस प्रकार का कदम बहुत शोभनीय होगा।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, यह अकाल का विषय सारे राजस्थान के लिए तो इतना विषम और गम्भीर, मैं कहूँगा शायद नहीं हो सकता, परन्तु बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर व जयपुर का कुछ हिस्सा जो शेखावाटी के नाम से प्रसिद्ध है वहां पर अकाल कोई एक नई चीज़ नहीं है। शायद ही कोई ऐसा साल निकले जब यहां पर कभी वर्षा की कमी या कभी घास की कमी या कभी पानी की कमी न होती हो। हर साल दुर्भिक्ष किसी न किसी रूप में यहां होता ही है। पांच या सात साल के बाद में एक साल ठीक हो सकता है।

परन्तु मामूली तौर पर, चार-पांच साल ऐसे होंगे कि जब कि वहां की रहने वाली जनता को और खास तौर पर ग्रामीण जनता को दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ता है।

तो राजस्थान बनने से पहले जो भिन्न भिन्न रियासतें वहां थीं और जिनको दुर्भिक्ष का सामना प्रायः हमेशा ही करना पड़ता था, तो वहां पर करीब एक तरह के सैट रूल्स बन चुके थे, कि जिनके आधार पर ही बगैर किसी मेहनत के और किसी तरह से सरकार द्वारा जोर लगाये ही, जो इस काम में सरकारी लोग थे वे अपने आप कार्यवाही शुरू कर दिया करते थे।

मैं मसलन निवेदन करूं कि अगर सावन-भादवे के महीने में बरसात नहीं हुई तो सितम्बर लगते ही जिले के अधिकारियों को इस बात का आदेश था कि वह दुर्भिक्ष का सामना करने के लिए स्कीम बनाना शुरू कर दें। जब से जनतन्त्रवाद राजस्थान में स्थापित हुआ है, तब से शायद जनता के प्रतिनिधि यह खयाल करते होंगे कि अगर हम अधिकारियों से सलाह लें तो हमारी इज्जत में फर्क आयेगा या किसी दूसरे कारण से जो इस स्थिति की जानकारी रखते हैं उनसे पूछो, पर उनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। पिछले साल तो हमारे यहां सौभाग्य से ठीक साल था, परन्तु इसके पहले संवत् २००६ में बीकानेर में इस प्रकार का दुर्भिक्ष था, जो सैंकड़ों वर्षों के बाद या कम से कम काफी वर्षों में ऐसा

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

दुर्भिक्ष जानने में नहीं आया । मगर अफसोस की बात यह रही कि दिसम्बर के महीने तक यहां की सरकार तो दूर रही वहां के जिलाधीश और दूसरे कर्मचारी या अधिकारी थे उनको यहां तक मालूम नहीं था कि क्या करना चाहिए, क्या स्कीम चालू करनी चाहिये ? कहां खर्चा करना है, कोई स्कीम उन्होंने तैयार की या नहीं ? यहां तक हालत पहुँच गई थी कि माननीय राजस्व मंत्री दिसम्बर के महीने में तशरीफ लाये और जब हम लोगों ने इस बात का निवेदन किया कि यह जो व्यवस्था की गई है यह चीज संतोष जनक नहीं है । तो उस वक्त बड़ी जल्दी से भाग दौड़ में जो कुछ कर सके, मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ, और यह भी मैं नहीं कहना चाहता कि सरकार की तरफ से कुछ प्रयत्न नहीं होते, सरकार अपनी ताकत के मुताबिक, अपने सामर्थ्य के मुताबिक रुपया भी खर्च करती है और कोशिश भी करती है, पर नतीजा क्या निकलता है ? कुव्यवस्था के कारण और तजुर्बा नहीं होने के कारण या जो तजुर्बा रखने वाले हैं उनकी सलाह इस कारण से नहीं लेने के कारण कि अगर उनकी सलाह ली जायगी तो उनकी इज्जत में फर्क आवेगा और आजकल के जनता के प्रतिनिधि हैं वे यह समझते हैं कि उनकी जानकारी ईश्वर से ज्यादा है वह उस इलाके के साथियों से सलाह पूछेंगे तो उनको पोजीशन में फर्क आवेगा । तो यह दृष्टिकोण है, चाहे माननीय मंत्रीजी माने या नहीं माने, लेकिन यह दृष्टिकोण जरूर है । और यह सलाह भी उन्हीं से ली जायगी, जो उनके राजनैतिक दल के साथी होंगे, इसमें मैं कोई भी राजनैतिक दल के लिए नहीं कहना चाहता हूं । लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में यह व्यवस्था हो गई है । स्वराज्य मिलने के बाद ऐसे मामलों में जब राजनैतिक दलों से सलाह मशविरा इन बातों में नहीं लिया जाता है । इसका नतीजा बुरा पड़ता है जनता पर ।

माननीय अध्यक्षजी, हालत यह होती है कि जल्दी में न तो व्यवस्था बनती है । रुपया भी खराब होता है और जनता को किसी प्रकार की राहत भी नहीं मिलती है । दूसरे व्यवस्था ऐसी बन जाती है, दुर्भाग्य से या किसी कारण से, जो रूलिंग पार्टी है और जिस पार्टी का बहुमत होने से सरकार बन सकती है, और किसी कारण से उस इलाके के उनके प्रतिनिधि राज्य सभा या विधान सभा में चुनकर नहीं आये तो उन लोगों के लिए एक समस्या बन जाती है कि वहां की गरीब जनता को किसी तरह से राहत मिल जाय । बीकानेर जिला एक ऐसा जिला है जहां ४-५ साल तक कमी रहती है, या दुर्भिक्ष पड़ जाता है और ६-७ साल के बाद में जमाने का समय आता है । तो सम्वत् २००६ में एक बहुत भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था, और जनता मदद के लिए और सहायता के लिए त्राहि त्राहि कर रही थी और सरकार के द्वारा और सरकारी अधिकारियों के द्वारा और मिनिस्टरों के द्वारा बहुत दौड़ धूप लग रही थी कि किसी तरह से राहत दी जाय और एक फौरन हुक्म यह निकाला गया था कि बीकानेर जिले में बीकानेर से अबोहर के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा एक डिफेन्स सड़क बनाई जा रही है । वह नौ लाख रुपये की योजना फौरन अमल में लाई जाय और वहां की जनता को राहत दी जाय । माननीय अध्यक्षजी, मैं दुख के साथ निवेदन करूं कि क्योंकि विधान सभा में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होने के कारण यह योजना सिर्फ कागजों में रही और वह तो

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

राजस्थान सरकार को पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। वह तो भारत सरकार से ९ लाख रुपये की मन्जूरी हुई थी। सारे साल भर में ६ लाख रुपयों में से सारे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम ४-५ लाख रुपये लगने वाले थे और जिससे काफी राहत मिलने वाली थी, उसमें से ५ हजार भी खर्च नहीं किये गये और वह पड़े ही पड़े कागजों में घोड़े दौड़ाते रहे।

इसी तरह एक बीकानेर से पुगल सड़क बनने की योजना तैयार की गई थी, क्योंकि वह इलाका बहुत बुरी तरह से पीड़ित था अकाल से। वहां पर देखने को यह मिला कि कागदों में तो वह रही योजना, मगर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया और जब हम लोग जो कि उस दुर्भाग्यशाली इलाके से आये हैं, सरकार को बराबर तंग करते रहे तो यही राजनैतिक दल के कार्यकर्ता उस इलाके में घूम-घूम कर, (इसकी जांच सरकार करा सकती है)- यह कहने लगे कि आपने कांग्रेस के प्रतिनिधि को चुनकर विधान सभा में नही भेजा, अब किस मुंह से मदद मांगने के लिए कांग्रेस सरकार के पास आते हैं। तो, माननीय अध्यक्षजी, आपके द्वारा इस सदन से निवेदन करूं और माननीय मंत्रीजी जो इस वक्त राजस्व के काम को देखने के लिए उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करूं कि अगर हमारा यह दृष्टिकोण रहेगा तो मैं यह कहूंगा कि यह हमारे प्रान्त का ही नहीं हमारे देश का दुर्भाग्य भी है। चाहे चुनकर किसी दल का कोई व्यक्ति क्यों न आये, मगर अकाल जैसे, दुर्भिक्ष जैसे भयंकर मामले में अगर राजनैतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक बहुत बड़ी हानि हम कर रहे हैं, जनतन्त्रवाद और हमारे देश की। हम रुपया जितना चाहे सरकार को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि यह दुरुपयोग में रुपया काम में लाया जाता है या सदुपयोग में। अगर इस बात में सिर्फ राजनैतिक दृष्टिकोण से एक अकाल ग्रस्त जनता को रुपया बांटेंगे तो मैं कहूंगा कि यह बड़े दुख की बात है और शोक का विषय है।

अब सड़कों का मामला तो दूर रहा, लेकिन तालाबों और कुओं के लिए वहां पर जो कुछ बरताव वहां की जनता पर, अकाल ग्रस्त जनता के साथ हुआ, वह एक शोचनीय बात थी। एक ऐसे स्थान का आपको उदाहरण दूंगा कि जिस स्थान का नाम गजनेर है, जो करीब २० मील दूर बीकानेर से है। वहां के तालाब में एक छिद्र पड़ गया और जो थोड़ा बहुत पानी गांव के लोगों को पीने के लिए मिलता था वह पानी उस छिद्र के द्वारा बाहर निकलने लगा। हम जो उस इलाके से आने वाले थे, उन्होंने कमिश्नर, कलेक्टर और सरकार को इतना कहा कि थोड़ी बहुत पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो वे इन्कार तो नहीं करते हैं क्योंकि उनकी व्यवस्था ऐसी है कि हां अवश्य करेंगे। फिर भी, माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करूं कि वह कार्य कभी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो पीने का पानी था वह पानी निकल गया बाहर तालाब से। फिर पब्लिक से रुपया मांग कर किसी तरह से उसकी मरम्मत हम लोगों ने करवाई, और वहां की पब्लिक में इस बात की आदत नहीं है कि ऐसे सार्वजनिक कार्य में वह पैसा लगावे, क्योंकि उसको इस बात की आशा रहती है कि यह सरकार का काम है इसलिये सरकार ही इस पर खर्च करे। खैर किसी तरह से थोड़ी बहुत

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

मरम्मत की गई। उसके बाद इस साल जब ठीक वर्षा हुई तब यह नतीजा निकला कि जो मरम्मत हुई थी, उससे चार गुना दरार पड़कर पानी निकल गया और इस वर्ष भी यह तालाब खाली हो गया है। हम कहें किससे ? हमारी कोई सुनता ही नहीं है। सरकार के जो प्रतिनिधि इस इलाके में आते ,उनको कम से कम जनता को राहत देने की कोशिश करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, पानी मारवाड़ और बीकानेर में इतनी अमूल्य वस्तु है कि १०-१०-या १५-१५ मील दूर जाकर ऊंटों पानी लाया जाता है और जिन गरीब लोगों के हास ऊंट नहीं वे सिर पर उठाकर पानी लाते हैं और जानवरों को पानी पिलाने के लिये २-३ दिन तक तिरसे और प्यासे रखते हैं और फिर ३-४ दिन बाद ५-१० या १५ मील दूर जाकर उनके लिये पानी की व्यवस्था की जाती है। बीकानेर रियासत के समय में तालाबों की मरम्मत की जाती थी और १०,१५ मील की दूरी से तालाबों में पानी लाने की व्यवस्था करने के लिये नहरों की व्यवस्था की गई थी। इन नहरों के जरिये पानी तालाबों में आ सकता था। लेकिन चार पांच साल से अजीब समस्या हमारी राजस्थान सरकार ने पैदा करदी है। मैं कटु आलोचना करने की नीयत से नहीं कह रहा हूं। विरोधी पक्ष का नेता होने के कारण मैं कोई बात कहूं उस पर आप गौर नहीं करें, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। जनता के लिये यदि आप कोई काम करेंगे तो जनता आपकी आभारी रहेगी। कहां तक करेंगे, क्या करेंगे? यह देखने की बात है। लेकिन हमारी समस्याओं को समझने की कोशिश कोई नहीं करता है। जान-बूझ कर नुकसान करने की बात नहीं है, लेकिन एक बात है वह यह है कि बीकानेर के लिये ये कर्म-चारी विदेशी के समान हैं। लोकल कंडीशन्स क्या हैं, क्या नहीं हैं, यह नहीं जानते हैं ? जो अंग्रेज बीकानेर में आते थे वे स्थिति को ज्यादा समझते थे बनिस्पत सरकार के कर्मचारियों के जो कि बीकानेर में काम करते हैं, और सरकार के मन्त्रीयों के। यह एक बड़े दुःख का विषय है !

हमारे बीकानेर में १०-१० या १५-१५ मील से तालाबों में नहरों द्वारा पानी लाने की व्यवस्था है और यहां तक है कि कुछ मील की दूरी पर वर्षा हुई है और चाहे तालाब में एक बूंद भी नहीं गिरी है? तो भी इन नहरों के जरिए पानी तालाबों में आ जाता है। पिछले साल सुन्दर वर्षा हुई, और इस साल भी शुरू में अकाल नजर आ रहा था, लेकिन सितम्बर में बहुत अच्छी वर्षा हो गई।....

श्री हंसराज आर्य—आपने देखा नहीं है कि अकाल पड़ चुका है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अकाल तो पड़ चुका है, मैं भी जानता हूं। आप राजनीतिज्ञ हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, इसलिये ज्यादा समझ सकते हैं और मैं दूसरी पार्टी का होने से नहीं समझ सकता, यह मुमकिन हो सकता है।

श्री हंसराज आर्य—यह जिम्मेदारी है।

Page No.37

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं यह नहीं कहता हूं कि अकाल नहीं पड़ रहा है। वर्षा सितम्बर में हुई है और बहुत अच्छी हुई है। माननीय सदस्य मेरा भाषण सुनना पसन्द नहीं करते हैं तो भी उनको इम्पेशेन्ट नहीं होना चाहिए। कृपा करके मुझे बोलने दें तो अच्छा हो।

श्री हंसराज आर्य—मैं बड़े गौर से सुन रहा हूँ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—सितम्बर के महीने में ईश्वर की कृपा से बहुत फर्स्ट क्लास वर्षा हो गई। यदि यही कृपा जुलाई और अगस्त में होती तो अकाल नहीं पड़ता। अकाल है लेकिन अकाल होते हुए भी अकाल की भिन्न-भिन्न श्रेणियां होती हैं और सितम्बर की वर्षा ने कम-से-कम हम लोगों को बचा लिया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले साल की वर्षा और सितम्बर की वर्षा ऐसी वर्षा थी कि जिससे सब तालाब पानी से भर जाते यदि तालाबों की हालत अच्छी होती। इतनी वर्षा होते हुए भी तालाब कहीं आधे भरे, किन्हीं में थोड़ा पानी आया और कुछ भर भी गये। लेकिन अधिकांश तालाबों में पानी नहीं पहुँचा। इसका स्पष्ट कारण यह है कि जो नहरें ८-१० मील से तालाबों में पानी लाती हैं उनके लिए राजस्थान सरकार में रेंडटेपिज्म इस प्रकार आ गया कि उनकी मरम्मत कौन करता। पहले यह काम पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा होता था लेकिन अब इर्रिगेशन विभाग द्वारा होता है। उदयपुर डिवीज़न में तो इर्रिगेशन के अफसर रहते हैं, और वहां सारी-की-सारी रकम खर्च होती है। लेकिन बीकानेर में इर्रिगेशन का काम नहीं है, इसलिए वहां कोई अफसर भी नहीं है। नतीजा यह हुआ कि जिन नहरों की मरम्मत पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा हो जाती थी, लेकिन अब बगैर मरम्मत के रह जाती हैं। जनता ने जब पी. डब्ल्यू. डी. वालों से कहा तो उन्होंने कहा कि यह हमारा काम नहीं है इर्रिगेशन वालों का है और इर्रिगेशन वाले कहते हैं कि हमारे पास उतना ही पैसा है जो उदयपुर और दूसरे स्थानों के लिए काफी है। बीकानेर के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे मन्त्रीजी जो महकमों का काम करने वाले हैं वे नहीं समझ सकते कि जो अधिकारी भेजे जाते हैं वे वहां की लोकल स्थिति को समझते हैं या नहीं। यदि आप अकाल को रोकना चाहते हैं तो आप पहले ऐसे आदमियों को रखें जो लोकल कण्डीशन को-जान सकें। मन्त्रीजी दौरे पर जावें तो अपने राजनैतिक दल के अलावा दूसरे दल वालों से भी उनको मिलना चाहिए और जिस जगह से आये हैं वहां की स्थिति को समझकर यह न समझें कि दूसरी जगह की स्थिति भी वैसी ही होगी। हमारा राजस्थान इतना बड़ा प्रान्त है कि दूसरे प्रान्त उसकी टक्कर नहीं ले सकते। यहां पर अलग-अलग जगहों की अलग-अलग स्थिति हो सकती है। हमारी स्थिति भी भिन्न है।

मुझे इस बारे में और अधिक नहीं कहना है। तीन चार मिनिट के लिए इजाजत दें तो कुछ जरूरी बातें कह कर अपना भाषण समाप्त कर दूं।

दूसरी समस्या जो हमारे सामने है वह यह है कि ऐसे मामूली अकाल के विषय में भी हमारे दुर्भाग्य से यह राजनैतिक दृष्टिकोण किसी-न-किसी कदर से हमारे सामने आ जाता है। ईश्वर की नाराजगी होती है तभी तो अकाल पड़ता है। लेकिन दुःख का विषय यह है कि मनुष्य ने ईश्वर

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

का स्थान ले रखा है। जहां अकाल नहीं होता है वहां अकाल कर देते हैं और जहां अकाल होता है, वहां यह कह देते हैं कि यहां अच्छी वर्षा है, इसलिए पब्लिक को राहत देने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करूं कि हमारे यहां बीकानेर डिवीजन में यदि इस बात को देखा जाय तो बीसियों जगह ऐसी स्थिति होती है। अकाल होते हुए भी यह कह देते हैं कि अकाल नहीं है और वर्षा होते हुए भी कह दें कि वर्षा नहीं है। जागीर एरिया जहां आ गया है, वहां ये सोचते हैं कि अच्छा साल समझा गया तो वहां रकम वसूल करेंगे तो वहां अकाल घोषित कर दिया जाय ! मैं गंगानगर जिले का जिक्र करते हुए यह निवेदन करूंगा कि वहां के कलेक्टर और डिवीजन के कमिश्नर कहते हैं कि अमुक—अमुक गांवों में बिल्कुल अकाल नहीं है। अच्छी वर्षा हुई है और अच्छी फसल हुई है लेकिन सरकार द्वारा यह घोषणा कर दी जाती है कि इन गांवों में अच्छी वर्षा नहीं है, इसलिए जागीरदारों को रकम वसूल करने की इजाजत नहीं है।

तो यह भी एक ऐसी समस्या पैदा हो जाती है कि जो न तो प्रजातन्त्रवाद को मदद देने वाली है और न हमारी स्टेट को मदद देने वाली है।

अब अकाल के बाद में, अकाल के दरम्यान हमारे साथ जो उपेक्षा की जाती है, यह मैं नहीं कहता कि जान-बूझ कर हमारे साथ उपेक्षा की जाती है, पर अधिकांश तो यह होता है; हमारे मन्त्री महोदयों की जानकारी नहीं रखने की वजह से, हमारे अधिकारियों की जानकारी न होने की वजह से, और रेडटेपिज्म की वजह से ! ये तीन कारण तो हैं हो जिनकी वजह से हमारे साथ उपेक्षा की जाती है। साथ ही एक और कारण है, वह यह है कि ऐसे पवित्र कार्य के अन्दर भी राजनैतिक दृष्टिकोण। अकाल सहायता के बाद तकावी देने का सवाल आ जाता है इस सम्बन्ध में अगर हमारी सरकार निश्पक्षता से देखे तो राजनैतिक दलों का जहां तकावी के बारे में हाथ होता है। एक आदमी को चार-चार दफा तकावी लेने और देने की बात सिद्ध की जा सकती है। और जहां इस तकावी की आवश्यकता है और वह ऐसे दल का है कि जिसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो उसको रोने चिल्लाने पर भी तकावी नहीं मिलती है। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस तरह की त्रुटियों को दूर करे और जो टूटे फूटे तालाब हैं, नहरें हैं, बन्ध आदि हैं उनके बारे में व्यवस्था करेंगी तो हम सरकार का बड़ा आभार मानेंगे और जनता का भी इससे बड़ा हित होगा।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि एक मेरे मित्र ने, जब कि मैं बोल रहा था बीच में बोलने का कष्ट किया और साथ ही मैं यह समझ रहा हूं कि उन्होंने यह समझाने की कोशिश की। मैं यह कह रहा हूं कि बीकानेर में अब बहुत अच्छा जमाना हो गया है। हो सकता है कि उनको मेरे से ज्यादा प्रेम बीकानेर से हो। मैं भी बीकानेर का रहने वाला हूं। तो थोड़ा बहुत प्रेम मनुष्यता के नाते मेरा भी है। मैं अर्ज करूं कि वहां अकाल की ओर मदद देने की बड़ी आवश्यकता है। परन्तु ईश्वर की कृपा से दो चार महीने के लिए पीने के पानी की खास तौर से जानवरों के लिए पानी की समस्या हल हो गई है। घास की समस्या ऐसी हो गई थी कि जब तक बरसात नहीं हुई थी तब तक हम देख रहे

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

थे कि क्या होगा। काट कर घास चराने की व्यवस्था तो नहीं हुई है पर जानवरों को तीन चार महीने तक घास चराने की व्यवस्था हो गई है। पर खाने पीने का सवाल है, हमारे बीकानेर जिले के आदमी इतने हार्डी और मजबूत हैं कि उन्हें ज्यादा दिक्कतें नहीं हो सकतीं। वहा ईश्वर की कृपा से ५ आने, ६ आने, ७ आने और ८ आने तक की व्यवस्था हो गई है, फिर भी लोगों को सरकार की ओर से मदद की बड़ी आवश्यकता है और सरकार ने जो अकाल व्यवस्था के लिए खर्चा रखा है, वह राजनैतिक दृष्टिकोण को दूर रखकर और सिर्फ एक ही दल के लोगों से बातचीत कर के ही तय नहीं करेगी बल्कि सभी तरह के लोगों की राय लेकर बिना किसी राजनैतिक दृष्टिकोण या दलबन्दी के ख्याल से खर्च करेगी और राजस्थान की जनता जो यह समझ रही है कि राजस्थान की सरकार हमारे साथ सौतेली मां का सा व्यवहार कर रही है, जनता के दिलों में जमी हुई इस भावना को दूर करने की कोशिश करेगी।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष,......

[श्री खेतसिंह (कांग्रेस सदस्य) के विरोधी दल की बैंचेज़ के पास की बैंचे पर आकर बैठने पर]

श्री जवानसिंह—ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, क्या कुछ ऐसे भी सदस्य हैं, जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, इस सदन में ?

श्री भैरूंसिंह—केवल ऐसे सदस्य ही नहीं हैं कि जिनका स्थान निश्चित नहीं हैं बल्कि ऐसे सदस्य भी हैं, जिनका निश्चित मत भी नहीं है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—But still they will like to speak.

(हंसी)

श्री खेतसिंह—मैं इतना नहीं समझ रहा था कि खड़े होते ही मुझ पर इतनी छींटा-कशी होगी, यह मेरे माननीय मित्रों का मुझ से खास प्रेम है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह छींटा-कशी नहीं है, आपके खड़े होते ही प्रेम उमड़ पड़ा।

श्री भैरूंसिंह (१६)—आपके पुराने साथी हैं, इसलिए प्रेम उमड़ पड़ा।

(हंसी)

श्री खेतसिंह—अच्छा, पुराने साथी हैं इसलिए प्रेम उमड़ पड़ा।

मैं अकाल पर बहुत कम बोलकर ही बैठ जाऊंगा। हमारे राजस्थान के लिए अकाल कोई नई बात भी नहीं है। एक न एक इलाके में आये वर्ष अकाल पड़ता ही रहता है। पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अकाल घर बसाये रहता है। उनमें मुख्यतयां जैसलमेर है। और उसके आस पड़ोस के इलाके भी ऐसे ही हैं। चाहे वहां वर्षा हो जाय फिर भी वहां अकाल रहता है। इसकी वजह यह है कि टिड्डी का भी वह इलाका घर है। राजस्थान में सब से ज्यादा टिड्डी पैदा करने वाला इलाका है तो वह जैसलमेर, फलोदी और शेरगढ़ है।

(शब्द 'शेरगढ़' पर हंसी)

जैसा कि स्टेटमेंट को पढ़ने से पता चलता है कि जोधपुर और इसके पश्चिमी इलाके फेमिन स्ट्रिकन एरिया नहीं है, बल्कि बीकानेर के कुछ हिस्से बाड़मेर, जालोर और झुंझुनू इलाके है, मेरी समझ में नहीं आता......

श्री अध्यक्ष—These are supplementary Demands.

श्री खेतसिंह—सप्लीमेंटरी हैं, लेकिन उसमें भी इनको सम्मिलित करना आवश्यक था।

श्री अध्यक्ष—Money spent is being asked for.

श्री खेतसिंह—उन इलाकों के लिए मांगना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—खर्च नहीं हुआ और मांगना चाहिये था।

(हंसी)

श्री खेतसिंह—और......

श्री अध्यक्ष—अधिक नहीं बोलना है।

श्री खेतसिंह—पहले अकाल का कार्य शुरू किया गया था। उसको देखा जाय तो पता चलेगा कि ५ या ७ माइल का कार्य होकर ही बन्द कर दिया गया है। बरसात का मौसम आ गया और वहीं कार्य को छोड़ दिया गया। केवल ७ मील का टुकड़ा ही बन कर रह गया। अभी वे सड़कों

[श्री खेतसिंह]

के टुकड़े किसी भी गांव से कनेक्टेड नहीं हैं। सड़कों के उन टुकड़ों को देख कर वहां की जनता राजस्थान सरकार की मजाक उड़ाती है।

मैं माननीय मन्त्री जी से अपील करूंगा कि वे इन सड़कों को गांवों से कनेक्ट करा दें।

श्री अध्यक्ष—आप किस डिमांड पर बोल रहे हैं ?

श्री खेतसिंह—श्री जवानसिंह जी ने जो कट मोशन रखा है, उस पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—पहले उनको देख लीजिये।

श्री खेतसिंह—आप इन्टरप्ट नहीं करें तो मैं अभी सब बता दूंगा।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—I will interrupt if the Hon'ble Member speaks irrelevant.

श्री खेतसिंह—जो फेमिन का कार्य फरवरी और मार्च में शुरू होना चाहिए था वही कार्य जून में किया जिससे कि बरसात जल्दी हो जाने से काम वहीं बन्द करना पड़ा। अगर जनवरी या फरवरी माह में यह काम शुरू कर दिया जाता तो वहं कार्य काफी हो जाता। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आयन्दा इस तरह का फेमिन रिलीफ शुरू करें तो वह वर्क जनवरी में ही शुरू कर दें। ताकि जोलाई में वर्षा शुरू होने से पहले कुछ कार्य हो सके और अकाल पीड़ित जनता को कुछ राहत मिल सके।

इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि अकाल क्षेत्र के लिये जब आप फेमिन की डिमान्ड लें तो उन इलाकों को कभी न भूलिये, जहां अक्सर अकाल पड़ता रहता है। बस इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हंसराज आर्य—माननीय अध्यक्ष, अभी अकाल के बारे में चर्चा चली उसके बारे में मुझे कुछ अर्ज करना है। अभी यह कहा गया कि अकाल के काम में रुपया खर्च नहीं किया गया और हाउस में तकावी की जो मांग की गई है, अकाल के लिये उसके बारे में दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बे मुद्दे की बातें कही हैं। उनके बारे में मुझे बहुत कुछ जानकारी है और उनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने बीकानेर के अकाल को लेकर कुछ चर्चा की। यह अच्छा होता अगर वे उन इलाकों की बातें करते जिनकी उनको जानकारी हो। बीकानेर के सम्बन्ध में जो चर्चा उन्होंने की है, वह सब सुनी सुनाई बातों के आधार पर की है। मैं यह कहूँगा कि जिस

Page No.42

[श्री हंसराज आर्य]

इलाके का उन्होंने जिक्र किया है, उस इलाके को जाकर उन्होंने आंख से कभी नहीं देखा है। उनके नजदीक झुन्झुनू था उसके सम्बन्ध में वे कह सकते हैं। मगर उसे छोड़ कर एक दम गंगानगर (बीकानेर) में आये इसके माने कुछ और नजर आते हैं।

श्री भैंरू सिंह (१६)—कूद कर जाने का मतलब यह है कि वहां पर ऐसा हुआ है।

श्री हंसराज आर्य—यह आपकी गलत भावना है।

श्री भैंरू सिंह—इसकी जांच कराई जावे तो मालूम होगा, जांच करा ली जावे।

श्री हंसराज आर्य—मैं आपको इसके लिए चैलेंज करता हूं।

श्री भैंरू सिंह—यह चैलेंज सरकार के सामने रखें।

श्री हंसराज आर्य—उसके बारे में ऐसी बात नहीं है। वहां जो अकाल का काम चल रहा था वह बहुत सुन्दर ढंग से चल रहा था। कोई व्यक्ति जांच करा सकता है। माननीय अध्यक्ष, आपने खुद ने भी वहां पर देखा था कि किस ढंग से वह काम चल रहा था.........

श्री अध्यक्ष—I would rather like to vacate the Chair.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—And put the Hon'ble Member in the Chair.

श्री अध्यक्ष—मैं यह कह दूं कि आप प्रमाण में मुझे ला रहे हैं।

श्री हंसराज आर्य—आपने भी वहां आकर देखा था।

अब उन्होंने (श्री भैरोंसिंहजी ने) पूरे डिस्ट्रिक्ट की चर्चा नहीं करके एक गांव विशेष का नाम लिया। उन्होंने बताया कि सहायता में ४४ हजार रुपये एक गांव को केवल अकाल सहायता के दिये गये यह गलत है, वहां पर उस गांव में एक पैसा भी कुए, जोहड़े की बाबत खर्च नहीं किया गया। यह कहना बिल्कुल गलत है। मैं यह कहूंगा कि वहां यानी फेफाना गांव में तकावी बांटी गई है, और तकावी हर गांव में बांटी है और वह आबादी के अनुपात से, जमीन और आदमियों की संख्या के लिहाज से बांटी गई। मैं इस बात को मानता हूँ कि उन्होंने एक गांव का ही नाम लिया। इसमें भी कोई रहस्य है। किसी चेले ने एक बाबाजी से पूछा, बाबाजी यह कुतिया क्यों चिल्लाती है? तो उस बाबाजी ने कहा कि कुतियां के कहीं दर्द है। उस वाली बात है। इसीलिये उन्होंने एक विशेष गांव का नाम लिया। यह भी गलत है। तो इससे साफ मालूम होता है कि उनके भी किसी हिस्से में

[श्री हंसराज आर्य]

दर्द है। नोहर की तहसील में १४ गांव उन्होंने अकाल में बताये। मगर मैं यह कहूँगा कि उनको वहां की सही जानकारी नहीं है। नोहर की तहसील में १६३ गांव हैं, और यह सारी की सारी तहसील अकाल क्षेत्र घोषित की गई और सभी गांवों में अकाल सहायता का काम चला और तकावी के रुपये भी दिये गये। इसलिये यह कहना कि फलां गांव में कोई पैसा नहीं दिया, यह बात गलत है।

दूसरी बात यह अर्ज करनी है कि माननीय आॅपोजिशन के नेता ने यह कहा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बात का प्रचार करते हैं कि तुम लोगों ने वोट देते समय कांग्रेस को वोट नहीं दिये, इसलिए तुम्हारे यहां काम नहीं होगा। यह बात भी निराधार है। इसके अलावा यह कहना की एक आदमी को तीन तीन और चार चार बार तकावी दी गई यह भी गलत है। यदि उस व्यक्ति का या स्थान का नाम बताते कि फलां व्यक्ति को ३ या ४ बार तक तकावी दी गई तो ज्यादा अच्छा होता। मैं यह कहूँगा कि चार बार की बात को छोड़िये, दो बार भी किसी को तकावी नहीं दी गई। हां, यह हो सकता है कि बाप और बेटा अलग अलग रहते हों और बाप को भी तकावी दी गई और बेटे को भी दी गई हो। उसको दो बार ले लें तो यह दूसरी बात है। अगर पोता भी अलग हो और वह अलग रहता हो, उसने भी तकावी ले ली हो, तो यह अलग बात है। मगर शामिल खाना खाते हों और शामिल रहते हों, ऐसे आदमी ने तीन बार या दो बार तकावी नहीं ली। इसके अलावा यह कहना कि अकाल के समय जो काम चला वह ठीक ढ़ंग से नहीं चला यह भी ठीक नहीं। मैं समझता हूँ कि अकाल सहायता का काम सुचारू ढ़ंग से चला और पैसा जिस काम में लगना चाहिए था, उसी काम में लगाया गया। यह जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने समय समय पर जाकर काम को देखा है कि काम सुचारू रूप से चल रहा है।

और यह कहना कि ४४ आदमियों की बजाय ५४ आदमियों की हाजिरी मांडी गई है। यह नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक दो की हाजरी गलत मंड गई हो। और किसी गांव में किसी मनचले आदमी ने कोई इस सम्बन्ध में गड़बड़ी की हो, मगर यह नहीं हो सकता कि ४४ आदमियों की जगह ५४ आदमियों की हाजरी जान कर दिखादी जाए। यह कहना ठीक नहीं है। हां, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अकाल भयंकर उस इलाके में था और आज भी है। और आज भी वहां से १०, १५ प्रतिशत लोग से बाहर चले गये हैं।

अभी मैंने बीकानेर जिले की तहसीलों का दौरा किया और करीब ५० गांवों में घूम कर देख आया हूँ और मैं जानता हूँ कि कितने गांवों में लोग आबाद रह सकते हैं, और कितने गांवों में लोगों की हालत खराब है, वहा खाने को नहीं मिल सकता है।

एक बात यह कही गई कि अकाल में जो सिंचाई वगैरा के लिए पैसा आया वह खर्च नहीं हुआ। इसके लिए यह कहूंगा कि बीकानेर और जोधपुर में लगने के लिए काफी पैसा

[श्री हंसराज आर्य]

आया मगर वह कहां लगा इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। यह २।। करोड़ रुपया आया जो सेंटर से आया और अकाल सहायता के नाम पर यानि सिंचाई वगैरह का इसके लिये कमेटी भी बनी थी और मीटिंग की तारीख भी रखी गई। उसके बाद क्या हुआ उन २।। करोड़ रुपयों का मुझे मालूम नहीं। यह रुपया बीकानेर और जोधपुर में खासतौर पर पीने के पानी में लगने के लिए था। मगर लगा नहीं यह मुझे जानकारी नहीं, कि वह रुपया कहां लगा है। लेकिन अकाल के बारे में मैं यह कहूंगा कि अकाल था, काम चला और उस काम में कोई गड़बड़ी नहीं थी। जिन अधिकारियों की इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया। जिम्मेवारी को ढंग से निभाया और जो पैसा लगा वह सुन्दर ढंग से लगा है। वह रुपया एक दिन के लिए नहीं बल्कि स्थायी तौर पर लगा है इस समय जो कुंड और तालाब वहां बनाए गये हैं वे सैकडों वर्षों तक काम देंगे। मुझे इस सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं कहना है और जो बातें उधर बैठने वालों की ओर से कही गई वे दूसरे ढंग से आलोचना करने के लिए कही गई हैं, उनमें मैं समझता हूं कि कोई तथ्य नहीं है। गलत कही गई हैं।

श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे जिले से आया हूं जहां अकाल का नाम नहीं होता। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद है कि मुझे ऐसे स्थान में जन्म दिया और मेरे को दुख होता है उन अभागे देशों पर जहां हर साल काल पड़ता रहता है, और सरकार से करोड़ों रुपयों की मांग करते रहते हैं। लेकिन मैं एक बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि जबसे राजस्थान का भाग्य हमारे प्रजातन्त्र शासन के हाथ में आया है, तब से साल में दो अकाल पड़ते हैं। पहले तो एक ही अकाल पड़ता था। आज कल दो अकाल पड़ने लग गये हैं। एक तो पिछले वर्ष की पूंछ आती है और दुबारा अगले वर्ष का सिर। इस तरह से दो अकाल साल में पड़ते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा बजट जो ऐसे समय में और तारीखों में बनाया जाता है कि जिस साल में अकाल सहायता देने के लिए हम निर्णय नहीं कर सकते कि वास्तव में अकाल कितना होगा और कितनी सहायता देने की आवश्यकता है। यही कारण है कि यहां और रुपयों की मांग इस साल की गई है। और मेरा ऐसा ख्याल है कि जब बजट आवेगा उसमें भी और मांग की जावेगी और इस तरह से यह ड्योढ़ा खर्चा हर साल चलता रहेगा।

इस जमाने की रफ्तार और जमाने को देखते हुए, आविष्कारों को देखते हुए मैं तो यही खयाल करता हूँ कि अकाल नाम की चीज इस जमाने में कोई रही ही नहीं। समझ में नहीं आता कि अकाल अकाल क्यों चिल्लाया जाता है। खास कर के अकाल की स्थिति उधर रेगिस्तान मुल्क की तरफ बताई जाती है। पर अकाल है क्या, अनाज का अकाल है? चारे का अकाल है? या पानी का अकाल है? क्या अकाल उधर व्यापक है या किन्हीं २ गांवों में ही सीमित है। जो हमारे सामने स्टेटमेंट आया उससे पता चला कि बीकानेर डिविजन की ४ या ३ डिस्ट्रिक्ट्स, जयपुर की झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और कुछ जालौर के हिस्सों के लिये दिया है। गत वर्ष की कम वर्षा होने के कारण यहां

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

अकाल घोषित किया गया है। एक तरह से तो इसको देख कर हंसी आती है कि अकाल तो ऐसी स्थिति होती है जो देश व्यापक होती है, वह स्थिति डिविज़न वाइज़ नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ नहीं होती, तहसील वाइज़ नहीं होती और तहसील वाइज़ हो कर भी गांव वाइज़ नहीं होती। समझ में नहीं आता कि अकाल इस तरह से राजस्थान में क्यों घोषित किया गया और क्यों रुपया खर्च किया जा रहा है ? कुछ सदस्यों ने बताया कि रुपये जो खर्च किये गये उनका सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग हुआ। यह बात ज्यादा कर के सही मालूम होती है। हालां कि इसका भी विरोध किया जा रहा है फिर भी इस तरह के समाचार मिलते हैं; पत्रों में इस तरह के समाचार पढ़ते हैं और वहां के या उस इलाके के पड़ोस के लोगों से जानकारी भी मिलती है जिससे यह कहावत सही लागू होती हुई मालूम होती है कि :

'आंधो बांटे सीरणी फिर फिर घरकों को देत।'

इस तरह की यह रुपयों की बरबादी गवर्नमेंट में हुई वह शोभा नहीं देता। यह देखा गया है कि चाहे कितनी किसी को जरूरत हो, दो-दो, चार-चार रुपये लोगों में बांट दिये और यह अकाल पीड़ितों की सहायता हो गई। समितियां बना लीं, अकाल सहायता समितियों के नाम से लाखों रुपया दिया गया और उन समितियों ने उस रुपये का क्या सदुपयोग या दुरुपयोग किया इसकी कोई जांच नहीं होती।

ऐसी हालत में यह कहना पड़ेगा कि फेमीन के मामलों में राज्य की ओर से अच्छी देख रेख नहीं की गई, ऐसी बात है। एक बात और है कि यू० पी० फेमीन कोड के आधार पर यहां काम हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं राजस्थान का फेमिन कोड बनाया जावे और क्यों नहीं उसी के माफिक काम चलाया जावे। अब तो राजस्थान में ग्राम ग्राम भर में पंचायतें हो गई हैं और जहां जहां नहीं हैं वहां भी होने जा रही हैं। भविष्य के लिए मैं समझता हूं कि सरकार उन ग्राम पंचायतों से सहायता लेकर फेमिन के बारे में इस रुपये का सदुपयोग करा सकती है। क्योंकि ये लोग भी जिम्मेवार आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष—कट मोशन के स्कोप के अन्दर ही बोलें, बाहर नहीं बोलें।

श्री हिम्मतसिंह—इसके स्कोप पर ही बोल रहा हूं कि यह रुपया इस तरह बर्बाद हो रहा है। इस दुरुपयोग को कैसे रोका जाय ? अगर हाउस की ऐसी ही मर्जी है कि रुपया ऐसे ही उड़ाया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह प्रजा का कमाया हुआ धन इस तरह बेरहमी से न लुटाया जावे।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, यह डिमाण्ड....

श्री खेतसिंह—(खड़े हुए श्री भैरोंसिंह बरकाणा की ओर इंगित करते हुए) साहब वे बोल रहे हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह– He hardly speaks, Sir.

श्री अध्यक्ष—The Hon ble Member should be vigilent and should be prompt in catching my eyes.

श्री जवानसिंह—He is a back bencher and he speaks very rarely, as such some leniency should be given.

श्री भैरोंसिंह बरकाणा—अध्यक्ष महोदय, आज सदन में काफी समय से अकाल पर बहस हो रही है। मेरा भी विचार हुआ कि मैं भी इस बारे में कुछ रोशनी डालूं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और खास कर गांवों के रहने वाले लोग खेती करते हैं। दुख इस बात का है कि खास कर जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में तो अक्सर अकाल पड़ ही जाता है। इसके चार कारण होते हैं, कभी बरसात नहीं होती है, कभी ज्यादा हो जाती है और तीसरे खास कर टिड्डियों का आक्रमण यहां हो ही जाता है और इस ओर सरकार द्वारा जो इसमें खर्चा किया जाता है उसका सदुपयोग नहीं होता है, दुरुपयोग होता है। मसलन तकावी हमारे यहां दो–दो, चार–चार दफा दी गई, पर वास्तव में जिन लोगों को तकावी की खास जरूरत थी उन लोगों को तकावी नहीं दी गई, जिनके बैल मर गये उनको तकावी नहीं दी गई और लोगों ने घास के बीज खा–खा कर गुजर किया है पर सरकार ने कोई परवाह नहीं की।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी थी कि घास के जो जोड़ थे उनको सरकार नीलाम नहीं करती तो आज की स्थिति में वह काम में आ सकते थे। आज जो सरकार को बाहर से घास मंगाने में लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ता। आज जो दूसरे प्रोवीन्सेज् से घास मंगाई जायगी तो वह मंहगी पड़ेगी। ऐसी हालत में जबकि यह अकाल की स्थिति होना हमारे यहां रोजाना का काम है। अत: घास के जो जोड़ हैं उनको सुरक्षित रखे जांय ताकि अकाल की स्थिति में उनसे काफी राहत मिलती रहेगी।

इसके अलावा सरकार का ध्यान उन नोट्स की ओर भी होना चाहिये जब बीकानेर जोधपुर आदि रियासतों के समय में जो सम्बन्ध में नोट्स लिखे गये थे उनको देखना चाहिए ताकि उनमें कोई अच्छे सुझाव हों तो उनको काम में लाना चाहिये।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि यह जो रुपया खर्च किया जाता है उसे किसी कमेटी द्वारा खर्च किया जाना चाहिये। तकावी या फेमीन का काम जिस डिस्ट्रिक्ट में हम करना चाहते हैं वहां एक कमेटी बनानी चाहिये और उसी कमेटी द्वारा उस रुपये का वितरण किया जाना चाहिये। अगर

[श्री भैरोंसिंह बरकाणा]

इस तरह किया जाता तो आज कुछ रुपये के दुरुपयोग के बारे में कहा जा रहा है, वह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

मुझे आशा है कि जिन चीजों की ओर मैंने सरकार का ध्यान दिलाया है उस ओर भविष्य में सरकार ध्यान रखेगी और इसी प्रकार रुपये को खर्च करेगी ताकि रुपये का अपव्यय न हो सके ।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री **भोगीलाल पंड्या** (अकाल सहायता मंत्री)—चेयरमेन महोदय, मेरे माननीय मित्रों ने अकाल के बारे में, जो रुपया खर्च हुआ उसके बारे में बहुत कुछ कहा । यह तो सिर्फ दो लाख रुपये जो पिछले वर्ष अकाल के कार्य के लिए खर्च हो गये थे, उसके लिए मन्जूरी चाही जा रही है, कोई और रुपया नहीं मांगा जा रहा है ।

सरकार यह भली भांति जानती है कि उसको अकाल का सामना करना है, अकाल पीड़ितों को हर तरह से सहायता देनी है । यह उसका कर्तव्य है । सरकार यह भी जानती है कि रुपया किन किन कामों पर खर्च किया जाना चाहिये । सरकार द्वारा सब से पहले यह ध्यान रखा जाता है कि यह रुपया ऐसे कामों में खर्च किया जावे जिससे जब कभी वर्षा कम हुई हो ऐसे समय में उन कामों से मदद मिल सके । तो इसके लिये पहले सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जाते हैं । जहां कहीं तालाबों से सिंचाई होती है वहां तालाबों की मरम्मत कराई जाती है या नये तालाब बनाये जाते हैं । इसी तरह से जिस क्षेत्र में कुओं से सिंचाई होती है वहां कुओं को गहरा करवाया जाता है, उनको ठीक रखने के लिये पैसा दिया जाता है और साथ ही नये कुए भी बनवाये जाते हैं । जहां ऐसे साधनों की गुंजाइश नहीं होती, वहां और तरह से काम शुरू किये जाते हैं । जैसे सड़कों का निर्माण, कोई गृह उद्योग आदि का खोलना या पीने के पानी की सुविधा पहुँचाना, पीने के पानी के साधन व्यवस्थित करना; इस तरह से कई काम चलाये जाते हैं ।

यह भी बतलाया गया कि रुपया जो रखा जाता है उसका पूरी तरह से सदुपयोग नहीं होता और उसे मनमाने ढंग से खर्च किया जाता है । यह बात कहना ठीक नहीं है । सरकार जहां कहीं अकाल पीड़ित क्षेत्र है वहां तहसील वाइज़ कमेटियों का निर्माण किया गया, है जिसमें उन स्थानों के माननीय सदस्य भी उन कमेटियों के सदस्य हैं और दूसरे भी जो सेवा भावी महानुभाव होते हैं उन्हें भी इन सलाहकार समितियों में लिया जाता है । साथ ही यह भी कहा गया कि जिन जिन क्षेत्रों से कांग्रेसी एम. एल. ए. आते हैं या मिनिस्टर महोदय आते हैं उन उन क्षेत्रों में तो रुपया खर्च किया जाता है दूसरे क्षेत्रों में नहीं किया जाता, इस प्रकार की बहुत सी बातें कही गईं । इसके लिये मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बाड़मेर जिला, जालोर जिला जहां पर कि अकाल का रुपया

[श्री भोगीलाल पंड्या]

ज्यादा खर्च हुआ है कि यहां का कौन मंत्री है और कौन कांग्रेस का एम. एल. ए. उस समय था जिस समय कि यह रुपया खर्च किया गया। यह तो साधारण सी बात हो गई, कुछ बने बनाये शब्द हैं जिनका प्रयोग ऐसे समय पर कर दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य द्वारा यह भी बतलाया गया है कि बीकानेर डिवीजन में भादरा तहसील के अन्दर एक गांव फेफाणा है, वहां रुपया ज्यादा खर्च किया गया और विरोधी दल के नेता की तरफ से यह भी कहा गया कि बीकानेर डिवीजन में इस कार्य के लिए उनकी सलाह नहीं ली गई, उनकी सलाह पर काम नहीं होता। वहां नहरें ठीक होनी चाहिए, पर वे ठीक नहीं होतीं। जहां तक मेरा ख्याल है, बीकानेर में ऐसी कोई नहर नहीं है जिसकी मरम्मत का ख्याल नहीं रखा जाता और जहां पानी इकट्ठा किया जाता है। एक ऐसा तालाब है जहां पानी आता है और वह पीने के काम में लिया जाता है। वह है तहसील कोलायत का मगरे का तालाब, जिसकी मरम्मत गत वर्ष ही कराई गई है। इस तरह से यह भी बताया गया कि एक गांव में जहां से एक मन्त्री महोदय आए हैं वहां रुपया ज्यादा खर्च किया गया...

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं तो चूरू से आया हूँ।

श्री भोगीलाल पंड्या—(अपना भाषण जारी रखते हुए) आपका गांव है फेफाणा। इसके लिए कहा गया कि उस गांव में ४४ हजार रुपया खर्च किया गया। और दूसरे गांवों को रुपया नहीं दिया गया। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने इस बात का निराकरण कर दिया है कि वहां अकाल के सम्बन्ध में एक पाई भी खर्च नहीं की गई। वहां तो उस तहसील के जितने भी गांवों में तकावी की आवश्यकता हुई उन सब को तकावी दी गई। यह कहना है कि एक ही गांव में सारी तकावी का रुपया बांट दिया गया। बड़ी ताज्जुब की बात है, मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह ख्याल ही उन माननीय सदस्य को कैसे हुआ!

दूसरे कामों में जो सार्वजनिक सेवा है जहांतक अकाल पीड़ित भाइयों की मदद करने का सवाल है, हमें इन सब बातों से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिए और काम करना चाहिए। सरकार द्वारा सब तहसीलों में ऐसी समितियां बनी हुई हैं और उन्हीं के सलाह के अनुसार रुपया खर्च किया जाता है। मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूं जालौर, बाड़मेर ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां ज्यादा रुपया खर्च किया है वहां से न कोई कांग्रेसी एम. एल. ए. आया था और न कोई वहां के मिनिस्टर महोदय ही हैं, इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि जितना भी पैसा खर्च किया जाता है उसमें यह ख्याल रखा जाता है कि कहां खर्च किया जाना चाहिए और कहां जनता की सेवा की आवश्यकता है वहीं रुपया खर्च किया जाता है।

एक माननीय सदस्य—एक जगह तो कांग्रेसी एम. एल. ए. हैं!

Page No.49

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, रुपया जिस समय खर्च किया गया उस समय वे नहीं थे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के लिये आप क्या कहते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं उसके लिये भी निवेदन कर दूंगा। इस तरह से जो रुपया खर्च किया जाता है वह रुपया किसानों को दिया गया, जहां पर उसको आवश्यकता थी वहीं पर रुपये को खर्च किया गया, उसमें यह दो लाख रुपया ज्यादा खर्च हुआ है उसके लिये सदन से मन्जूरी चाही जा रही है।

इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि अकाल पीड़ितों के लिये जो रुपया खर्च किया जाता है, वह पहले की अपेक्षा बहुत कम है। पहले रियासतों के समय में इसके लिये ज्यादा रुपया खर्च किया जाता था। पहले तो यह था कि छोटी छोटी रियासतें थीं। उनके पास बहुत कम रुपया था अतः वे जिस समय अकाल आता उस समय उसको खर्च करते थे। अब राजस्थान सरकार के पास काफी पैसा है और हमें भारत सरकार से भी इस बारे में बहुत मदद मिलती है अतः अकाल को रोकने के लिये प्रतिवर्ष रुपया खर्च किया जाता है और उसके लिये बजट में रकम रखी जाती है। अगली पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी के लिये १ करोड़ १५ लाख रुपया खर्च किया जायगा। विरोधी दल के नेता ने कहा कि कुछ अधिकारियों को यह भी पता नहीं होता कि कहां कहां अकाल पड़ा करते हैं। मतलब ऐसे अधिकारी नियुक्त हो जाते हैं कि जिनको स्थानीय परिस्थितियों का अनुभव नहीं होता और उनकी राय भी नहीं ली जाती। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कभी बीकानेर जाते हैं तो हम उनके यहां भोजन करते उनसे सलाह भी लेते हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—हमारी सुनता कौन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(अपना भाषण करते हुए) जब आपके यहां ठहरते हैं, भोजन करते हैं, आपका नमक खाते हैं, तो उस समय आप की बातों को सुनना भी जरूरी हो जाता है ..

कु० श्री जसवन्तसिंह—आप मित्रता के नाते आते हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—(जारी) मित्रता के नाते आते हैं, किन्तु अपना कर्तव्य भूलते नहीं हैं। कर्त्तव्य को साथ लेकर आते हैं। जैसे कि एक कहावत है :

"पग पुगल सिर मेड़ता बांहुज बाहड़मेर।
गिरतो फिरतो जोधपुर आंवज जैसलमेर॥"

इस तरह से लोगों को मालूम नहीं कि वहां पर किस समय अकाल पड़ेगा, अर्थात् विशेषकर वहां पर अकाल पड़ा ही करता है। यह भी कहा गया कि पिछले साल अकाल की सहायता कई

[श्री भोगीलाल पंड्या]

जगह नहीं दी गई । यह तो परमात्मा की कृपा थी कि अच्छी वर्षा हो गई और मदद की आवश्यकता नही रही । सरकार हमेशा बिना किसी भेदभाव के कमेटियों की सलाह पर रुपया खर्च करती है और प्रकार किया भी गया है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि एक जगह तो ऐसा भी हुआ कि झूठ मूठ ही हाजरी मांड़ दी गई और साथ में यह भी एक माननीय सदस्य ने बताया कि अमुक जगह जितना रुपया खर्च हुआ उसमें काफी मात्रा में उसका दुरुपयोग हुआ उस समय जांच होती तो पता चलता । मेरा यह निवेदन है कि अब भी उसकी जांच की शीट्स हमारे पास पड़ी हुई है । जांच करवाई जा सकती है । अगर सरकार ने जरूरत समझी तो वह अवश्य इन हाजरी शीट्स की जांच करवा सकती है । हमारी सरकार हमेंशा यह बात ध्यान में रखती है, जितना भी पैसा जनता से आता है उसकी एक एक पाई का सदुपयोग हो और जहां वास्तव में जरूरी होता है उसी जगह खर्च किया जाता है । इन बातों का सरकार हमेशा ध्यान रखती आई है और भविष्य में बराबर रखेगी ।

अत: अन्त में मेरा यही निवेदन है कि जो रुपया अकाल पीड़ितों के लिये खर्च कर दिया गया है उसकी मन्जूरी दिलाने की कृपया करेंगे ।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, मुझे विशेष निवेदन नहीं करना है, इस सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के सिलसिले में । मुझे कुछ सन्तोष तो अवश्य हुआ कि सरकार इस बात को महसूस तो अवश्य करती है कि जिस प्रकार से रुपया खर्च किया गया है वह तमाम का तमाम, जितना फेयर डिस्ट्रिब्युशन होना चाहिये था उस हद तक नहीं हुआ । लेकिन यह है कि कुछ हो मात्रा में इसका अपव्यय नहीं हुआ, इस चीज को कम से कम सरकार ने मान लिया है और इसमें इस बात को निहित मानता हूँ कि भविष्य में इन कमजोरियों को भी रफा करने के लिये सरकार हमेशा ध्यान देगी और इस आश्वासन से ही मैं यह उचित समझता हूँ कि मैंने जो मोशन रक्खा है उसे वापिस लेने के लिए मुझे इजाजत दे देंगे ।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह) —क्या सदन की अनुमति है कि श्री जवानसिंहजी को उनका कट मोशन वापिस लेने की आज्ञा दी जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री जवानसिंह—मैं अपना कट मोशन वापिस लेता हूँ ।

श्री तनसिंह—माननीय चेयरमेन, मुझे भी अपने संशोधन के विषय में अधिक नहीं कहना है, संशोधन नहीं, कट मोशन के विषय में । लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी मंत्री महोदय ने कहा था कि सधी सधाई स्कीम होती है, पर उससे कम सधा सधाया जवाब भी नहीं होता है ।

[श्री तनसिंह]

और मैंने तो यह भी नहीं कहा कि कांग्रेसी एम. एल. ए. रुपया वितरित करते हैं उसमें गड़बड़ करते हैं। जो कुछ मैंने कहा किसी और के विषय में भी हो सकता है। गड़बड़ करने वालों के लिए कांग्रेसी होना जरूरी नहीं और न कांग्रेसियों को ईमानदार होना ही जरूरी है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने सबका जवाब दिया था। आप का कोई खास नाम नहीं लया था।

श्री जवानसिंह—पर मेरे जिले का उदाहरण आया था और उन सदस्यों के लिए एम. एल. ए. होना जरूरी नहीं है और साधारण सदस्य होना भी जरूरी नहीं है। जो बेईमान हैं और बेईमानी करते हैं, बेईमानी करने वाला कोई भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह एम. एल. ए. ही हो या कोई मामूली सदस्य ही हो, तो जैसा हुआ करता है वैसा हुआ ही करता है।

पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ अब सहायता के कार्य किये जावें उनमें आगे इन बातों का ध्यान रखा जावे, ये गलतियां फिर न दोहराई जावें। इसके लिए ही इतना सब कुछ कहा गया है। इन शब्दों के साथ सदन से मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि श्री तनसिंह को इजाजत दी जावे कि वे अपना कट मोशन वापिस लें।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री तनसिंह—मैं अपना कट मोशन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह—मैंने तो मूव ही नहीं किया था।

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने तो बोलने की ही इजाजत चाही थी।

श्री सभापति—Demand No. L, Major Head 54—Famine.

The question is :

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 2 lacs be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955."

[श्री सभापति]

सदन का वोट लिया जाता है यह डिमान्ड पास करने के बाबत।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

अगली डिमान्ड, श्री भोगीलाल पंड्या।

अनुपूरक मांग संख्या ४६—कृषि

श्री भोगीलाल पंड्या—Sir, I beg to move, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,28,000/— be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending tha 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant NO. XLVI Major Head 40-Agriculture."

श्री सभापति—इसके बाबत केवल श्री भैरोंसिंह जी का एक कट मोशन आया है। पर वह भी चूंकि वक्त पर नहीं आया इसलिए अस्वीकृत हो गया है। अगर मन्त्री इन्चार्ज को कोई आब्जेक्शन फिर भी नहीं हो तो बोलने की स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह (१६)—एकोमोडेटिव स्पिरिट वे बतावेंगे ही साहब।

श्री भोगीलाल पंड्या—चेयरमेन महोदय, काफी चर्चा इस सम्बन्ध में इस सदन में हो चुकी है। इसलिए मेरे खयाल से और चर्चा की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। इसलिए अब इस डिमान्ड पर बहस न करके मन्जूर करने का प्रस्ताव सदन में पेश करें।

श्री भैरोंसिंह—ये टिड्डियां हर साल खाती हैं इसलिए हर साल इस विषय पर चर्चा होने की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में इस पर चर्चा करने के लिए मैं आशा करता हूं कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय एकोमोडेटिव स्पिरिट का परिचय देंगे।

श्री सभापति—मन्त्री महोदय को आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है इसलिए I put the demand to vote.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आपको भी पालीवाल जी ने सिखला दिया मालूम होता है।

(हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल—टिड्डियों के लिए क्या एकोमोडेटिव स्पिरिट ?

श्री सभापति—I put the supplementary demand to vote: the question is that the demand on Agriculture be granted.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

अनुपूरक मांग संख्या ४९–निर्माण कार्य

Demand No. 49, Major Head 50-Civil Works.

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मन्त्री)-Sir, I beg to move. "That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,61,000/—be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in ourse of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. XLIX, Major Head 50-Civil works."

श्री सभापति—श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—माननीय सभापतिजी, मेरा कट मोशन इस प्रकार है :

"That the demand for Grant N0. XLIX, Major Head 50-Civil works be reduced by Rs. 100/—(to discuss the state of affairs at the Government Hostel at Jaipur)."

यह कुछ ऐसा ही लगता है कि अपने रहने, खाने, पीने इत्यादि के विषय में कुछ शिकायत की जाती है, क्योंकि चाहिये तो हम लोगों से इस प्रकार का व्यवहार कि हम सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी आदि सभी इस प्रकार की शिकायतें हों उनको सहन किया करें और कर्तव्य कर्म में जुटे रहें। मेरे इस कटौती प्रस्ताव से यह भी अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि मैं किसी व्यर्थ की परेशानी पैदा करने के लिए यह प्रस्ताव रख रहा हूं बल्कि यह हमारे दैनिक व्यवहार में जो ऐसी बातें आती हैं, जिनको देखकर यहां रोष हमारा प्रकट होना अनिवार्य है और वह जब इस प्रकार का होता है कि जिसमें न केवल हमारे रहन सहन या हमारे दैनिक व्यवहार की कुछ बातें सम्मिलित हैं पर इस प्रकार की भी चीज़ें हैं जो अवांछनीय हैं। इस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सुविधाओं के लिए गवर्नमेंट होस्टल के लिए एक हाउस कमेटी का निर्माण हुआ है। तो हम इस प्रकार की हाउस कमेटी से अपेक्षा रखते हैं कि हाउस कमेटी हमारी सुखसुविधाओं की ओर ध्यान देगी। व्यक्तिगत बातों को सामने रखूं या नहीं यह इम्मेटेरियल है कि वह हमारी सुखसुविधाओं के लिए ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इसके पहले कुछ

[श्री तनसिंह]

निवेदन करूं, यह निवेदन कर देना चहता हूं कि हाउस कमेटी के सदस्य के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, न उनकी योग्यता के विषय में निवेदन करता हूं, मुझे यह कहना है कि हमें जो वहां पर सुविधाएं मिलती हैं उनका पूरी तरह स्पष्टीकरण नहीं है और ऐसी कई बार अड़चनें भी पैदा होती हैं। हमारे वहां रहने के लिए नियम बनाये हुए हैं और वह नियम जब हम यहां जब असेम्बली का पहला अधिवेशन प्रारम्भ हुआ था उस समय मिले थे उन नियमों के अन्दर विस्तार-पूर्वक यह बतलाया गया है कि किस प्रकार कमरे मिल सकते हैं और किस प्रकार कोई चीज़ की व्यवस्था हो। मैं कुछ आपके सामने ऐसे उदाहरण देता हूं कि जिन उदाहरणों से वहां के अधिकारियों की क्षुद्रता जाहिर होती है। यह मालूम होता है कि वहां के अधिकारी किसी के नियन्त्रण में नहीं है। वह इस प्रकार का बर्ताव करते हैं जैसे उन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। कमरों के लिए यह नियम है कि एक कोई व्यक्ति अपने लिए कोई कमरा रिजर्व कराना चाहे तो उस संबंध में पहले सूचना दे दे और यदि वह कमरा किसी को नहीं एलाट किया गया है तो वह चाहने पर किसी सदस्य को दिया जायगा, लेकिन, खैर, ऐसी छुट पुट बातें कई होंगी, मैंने यह भी सुना कि कई बार इस प्रकार के झगड़े भी हुए लेकिन मैं अपनी विशेष बात बताना चाहता हूं कि जब एक बार मैं गया और मैंने एक कमरा मांगा। जिस पर मुझे यह कहा गया कि वह कमरा किसी व्यक्ति विशेष के लिए रिजर्व है। मैंने उनसे कहा कि मुझे वह कागज या रजिस्टर जिसमें वह कमरा उनके नाम दर्ज किया गया है बतलाओ तो उसने बतलाया तो नहीं, लेकिन वह वहां से भागे और एक विशेष कमरे में गये और वहां जाकर पूछ-ताछ की और पूछ-ताछ करने पर संभवत: जिनसे पूछताछ की उन्हें आवश्यकता नहीं होगी, या जैसा भी कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहां से वापिस आने पर उन्होंने कहा, पहले तो बहुत आनाकानी की, लेकिन बाद में वह कमरा दे दिया। मुझे विशेष आपत्ति नहीं है कि मुझे कोई कमरा मिले या नहीं, लेकिन मुझे आपत्ति इस बात की है कि वहां इस प्रकार का सौतेली मां का व्यवहार करें और किसी को विशेष सुविधाएं दें, चाहे वे सुविधाएं ज्यादा दें, उसके लिए इस प्रकार का व्यहार करें, तो वह बहुत बुरी चीज़ है। वह हमारे व्यक्तिगत और दैनिक जीवन में आती है तो उसका असर समाजिक जीवन पर भी पड़ेगा। फिर दूसरी बार उसी कमरे के लिए गया तो कहा गया कि आप हमेशा से जिस कमरे को लेते आ रहे हैं वह लें। और कोई भी कमरा खाली नहीं है। मुझे झगड़ा नहीं करना था, इसलिए जिस कमरे में मैं तीन साल से रहता आ रहा हूं उसी कमरे में आगया। मुझे कमरे से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे अपत्ति मनोवृति से है कि वहां इस प्रकार व्यवहार किया जाता है।

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करना है कि वहां हमारे में बहुत से लोग अपनी सुविधाओं के लिए फेमिली क्वार्टर्स चाहते हैं, उनको वहां पर बड़ी अड़चन रहती है, वे छोटे से कमरे में रहते हैं, और चिक वगैरह लगानी पड़ती है। सब जगह ऐसा है, और यहां पर भी, मेरा ख्याल है, एक बार एक प्रस्ताव हाउस कमेटी में पास हुआ था और उन्होंने राज्य सरकार के सामने रखा होगा कि फेमिली क्वार्टस बनें, लेकिन मैंने जैसा सुना है कि इस प्रकार की कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है।

Page No.55

[श्री तनसिंह]

यही मालूम हुआ है कि अभी तक यह प्रस्ताव पड़ा हुआ है। मैं फिर भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इन सुखसुविधाओं के विषय में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जब एक हाउस कमेटी का निर्माण होता है और जो राज्य सरकार इस प्रकार यह चाहती है कि हमारी सुख-सुविधाओं की ओर ध्यान दें तो मैं यह चाहूंगा कि इस बात को सिर्फ बात के लिए न रख कर उसे गम्भीरता से क्रियान्वित करें।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक ठेकेदार को जो होस्टल में खाने पीने की व्यवस्था के लिए बैठा दिया गया है, वह प्रारम्भ से ही ठेकेदार है, और शायद दूसरी दार भी ठेका दिया गया होगा तो उसी को दिया गया होगा, वह अपनी निजी रेट रखता है।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, आप गवर्नमेंट होस्टल के बारे में जो कुछ कहते जा रहे हैं उसका संबंध सिविल वर्क्स से है नहीं। गवर्नमेंट होस्टल का मेनेजमेंट का काम जी. ए. डी. से ताल्लुक है। सिविल वर्क्स और पी. डब्ल्यू. डी से ताल्लुक नहीं है।

श्री तनसिंह—मुझे जो निवेदन करना है उसके लिए यह आवश्कता नहीं है कि उनका ताल्लुक आप ही से हो। जिससे ताल्लुक हो वही उत्तर दे दें।

श्री टीकाराम पालीवाल—लेकिन कट मोशन जब आता है तो वह स्पेसिफिक डिमान्ड पर आता है, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही पर बोलना चाहिए। कोई जनरल डिस्कशन नहीं हुआ है।

श्री तनसिंह—मुझे यों कहने दिया जाय कि इस प्रकार की व्यवस्था में रुपया बरबाद करने से कोई लाभ नहीं, मुझे इस प्रकार कहने दिया जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरा यह निवेदन है कि स्पेसिफिक डिमान्ड फोर ग्रान्ट पर कट मोशन रखा गया है तो उस कट मोशन पर बोलें।

श्री सभापति—ठीक है, वह समझ गये हैं। वह आपका आशय समझ गये। उसी के मुताबिक बोलेंगे।

श्री तनसिंह—मैं यह समझ गया हूं और गवर्नमेंट होस्टल की मांग इस बात के लिए रखी गयी है वहां नई चीजें लगा रहे हैं। पर्दे आदि के लिए इस बात की स्वीकृति चाही गई है। मेरे कट मोशन द्वारा यह कहना है कि इस प्रकार की चीजें बिल्कुल बेकार लगती हैं, पर्दों आदि पर खर्च बेकार है, स्वीकृत नहीं दी जावे। क्योंकि वहां पर कुव्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है,

[श्री तनसिंह]

इसलिए कट मोशन रखा है। इसलिए माननीय मंत्रीजी इससे अपना संबंध समझते हों तो उत्तर दें, वर्ना उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उससे अपना सम्बंध समझें वह मन्त्री उत्तर दे दें। मेरा जो कट मोशन है वह इस प्रकार से संबंधित जानकर ही मैंने रखा है, और उसका सम्बन्ध है।

श्री सभापति—यह कटमोशन श्री भैरोंसिंह का ऐन वक्त पर आया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह—इस पर इजाजत नहीं देंगे तो भी बोलूंगा।

श्री सभापति—मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। "That the demand for grant No..."

श्री टीकाराम पालीवाल—It is not in time.

श्री सभापति—You have an objection.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—मैं बोल सकता हूँ।

श्री सभापति—बोलिये।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—माननीय चेयरमेन साहब, अभी माननीय सदस्य श्री तनसिंह ने हाउस कमेटी के मुताल्लिक और गवर्नमेंट होस्टल के मुताल्लिक काफी कुछ चर्चा की है, जिसके मुताल्लिक दो-एक शब्द मैं कहना चाहता हूँ। हाउस कमेटी के जो मेम्बर बने वे ठीक ही बने, उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं और हाउस कमेटी के मेम्बरों ने जो अभी रद्दोबदल किया या उसके अन्दर तरक्की की उसके मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि अभी लॉन में पेड़ों के चारों तरफ बैठने की पर्मानेन्ट कुर्सियां बनाई। उनकी सूझ-बूझ में वह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं यह बनाने की कोई आवश्यकता नही थी। उससे लॉन का मैदान सारा ओछा (कम) पड़ गया है। वहां बजाय सीमेंट की कुर्सियें बनाने के मूवेबल लकड़ी की बैंच चेयर्स बनाते या आयर्न चेयर्स रखते तो सुन्दरता और बढ़ती, लेकिन उसमें बिल्कुल सुन्दरता नहीं रही। साथ ही मेरा ख्याल है कि वह नहीं जानते कि पेड़ों के चारों तरफ पक्की चीज़ बनाने से पेड़ों को कितना नुकसान पहुँचेगा; यह उनके ध्यान में नहीं आया। मैं यह कहता हूं कि उन पेड़ों को काफी नुकसान पहुँचेगा।

दूसरी बात, जब मैंने यह देखा कि बरंडे के चारों तरफ चिक्स लगाई गई हैं, तो यह ख्याल आया कि न मालूम किस मतलब से और क्यों लगाई गई हैं? यह तो वे ही अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है और दो-ढ़ाई वर्षों से हम इस होस्टल में रहते आये हैं, हमने इनकी अवश्यकता महसूस नहीं की। वहां जो चिक्स लगाई गई हैं समझ-बूझ कर लगाई

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

होंगी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि नकल की गई है। हमारे हाउस के बाहर बरंडे में जो चिकें लगी हुई हैं उसी की नकल वहां की गई है, लेकिन नक्ल में भी अक्ल की जरूरत थी। कम से कम इन चिकों को पहले देखते कि वे कैसी बनी हुई हैं और उनका इनसे मुकाबला करते। उनके अन्दर कोई बांस की खपच्ची ऐसी नहीं है जिसमें साल नहीं लगी हो, सभी खपच्चियें साल लगी हुई हैं। ये इस तरह की बनी हुई हैं कि गवर्नमेंट होस्टल के शान का सत्यानाश कर दिया गया है और तो क्या बताऊं। उनको बनाना ही था तो देख कर बनाते। इन दोनों में अंतर कितना है, यह देखने की बात है। नकल में भी अकल की जरूरत रहती है। किसी टेक्निशियन, इंजीनियर या कन्ट्रेक्टर से सलाह लेते तो अच्छा रहता।

अब हमारे कमरों में पर्दे लग रहे हैं। जब हम यहां पर हमारी फेमिली या बाल बच्चों के साथ नहीं रहते हैं तो हमें परदों की क्या जरूरत है?...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—सीक्रेसी रखने के लिये।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—सीक्रेसी होती है तो हमारे जाने के बाद सीक्रेसी की जरूरत रहती होगी और उस समय परदों की आवश्यकता रहती होगी। इस आवश्यकता को देखकर बनाते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन मेम्बर्स अकेले रहते हैं उनको पर्दों की क्या जरूरत है? जैसी व्यवस्था होनी चाहिये वैसी है लेकिन जो इज़ाफा किया गया है वह किस सूझ-बूझ से किया गया है, इसका पता नहीं, यह समझ में नहीं आया। दरअसल में जो करना चाहिये था वह नहीं किया गया। करना यह चाहिये था कि जो रूम्स मिले हुए हैं, जिनमें एक भैंस भी आराम से नहीं बैठ सकती।......

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कमरे आदमियों के बैठने के लिए हैं, न कि भैंस के बैठने के लिए।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—मेरा कहने का मतलब यह है कि जानवर भी नहीं रह सकते तो एम० एल० ए० कैसे रह सकते हैं? अगर किसी से दो-चार आदमी मिलने आवें तो उनको बैठाने के लिए भी जगह नहीं है। जितने कमरे हैं उनसे क्या तकलीफ है, यह वहां रहने वाले ही जान सकते हैं। बॉथरूम भी कॉमन है। कॉमन बाथरूम में क्या तकलीफ हो सकती है, वह तो वहां रहने वाले ही जानते हैं। एक आदमी अंदर की चटखनी लगाकर बाहर चला गया और दूसरे कमरे वाले को टट्टी-पेशाब लगी तो वह बैठा ही रहेगा, जब तक कि वह आदमी नहीं आजाय या वह दूसरे बॉथरूम में जायगा। कई मेम्बरों के महमान आ जाते हैं। एक तो सदस्य खुद और ५-६ उनके महमान आ गये। एक आदमी को कम से कम ७ मिनट टट्टी में लगे तो १० आदमियों में ७० मिनट यानि सवा घंटा लग जाता है। दूसरे कमरे में रहने वाले सवा घंटे तक कैसे बर्दाश्त

६

कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल करना था। २ साल से हम यहां पर रह रहे हैं और कॉमन बाथरूम को काम में ला रहे हैं। यह कम से कम सदस्यों के रहने के लिए तो ठीक नहीं है। किराये के लिये भले ही टीक हो। इसको होटल बना देते तो ठीक था। लेकिन यह सदस्यों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैंने हाउस कमेटी में सजेशन दिया था कि हरएक कमरे के पीछे जगह है, जिसमें टट्टी, गुसलखाना बन सकता है और पाइप लाइन ले सकते हैं, थोड़े खर्च से इम्प्रूवमेंट हो सकता है; फिर भी सारा पैसा चबूतरियों, पर्दों और चिकों में लग गया: समझ में नहीं आया कि उसका क्या हुआ ?

एक बात हमने साथ में और रखी। इस होस्टल में कमरों की कमी है। जो यहां ठहरने आते हैं उनको कहना पड़ता है कि हमारे पास जगह नहीं है। कमरे खाली नहीं है, ऐसी अवस्था में जो पिछली साइड़ के कमरे हैं उनमें २ कमरों के बीच में एक कमरे की साइज़ का बाथरूम और लेट्रिन बनाया गया है। इस तरह से सात–आठ कमरों की जमीन लेट्रिन और बाथरूम्स ने रोक रखी है। इस प्रकार के जो कमरे हैं उनके पीछे लेट्रिन और बाथरूम बन सकते हैं और जो लेट्रिन और बाथरूम बने हुए हैं वे कमरों के काम में लाये जा सकते हैं और सारे के सारे इन्डिपेन्डेन्टली बन सकते हैं। इसलिये चेयरमेन महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि किसी होशियार इंजीनियर से पूछकर, सलाह लेकर, पिछली लाइन में एक २ बाथरूम बना सकते हैं और डबल स्टोरी तक बनावें तो अभी जितने कमरे हैं उनसे १५ कमरों का नम्बर और बढ़ सकता है।

हमारा जो हॉल है वह कभी किसी को और कभी किसी को देते रहते हैं। इसकी क्या व्यवस्था है मालूम नहीं ? किसी को किराये देते हैं या प्राइवेट में देते हैं, यह पता नहीं है ? दूसरी बात यह है कि जो हॉल है ऊपर का कभी कभी उसमें जलसे होते हैं तो वह बहुत छोटा मालूम पड़ता है। उसके बढ़ाने के लिए काफी जगह है। यदि माननीय मंत्रीजी किसी इंजीनियर से सलाह लें तो इस हॉल का ड्योढ़ा बन सकता है और वह आसानी से बन सकता है। इस हॉल में कुछ हवा की व्यवस्था कम है। गर्मियों में गर्मी खूब रहती है। इसमें कूलिंग प्लॉन्ट लगा सकते हैं। यदि कूलिंग प्लान्ट ज्यादा मंहगा पड़े तो पंखों में इजाफा कर सकते हैं। यह तो रही होस्टल की बात। खाने—पीने की व्यवस्था तो शुरू से अच्छी देखी, उसमें रद्दोबदल कुछ नहीं करना है।

माननीय सदस्य, जब सदन की बैठक शुरू होती है तब इस होस्टल में आते हैं। दो-तीन साल से जिस कमरे में रहते आये हैं वह कमरा दुबारा मिलना दुश्वार है; कोई सदस्य किसी कमरे में चला जाता है और कोई किसी में। जो सदस्य पहले से रहते आये हैं उनके लिए फिर वही कमरा रिज़र्व होना चाहिये। यह रिज़र्वेशन के लिए लिखा है तो रिज़र्व हो जाना चाहिये, किराया चाहे

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

कुछ भी लगे । दूसरे पहले आते हैं तो कमरे रुक जाते हैं और जिन्होंने पहले रिज़र्व कराया उनको नहीं मिलता है, इस तरह से सारे कमरे भर जाते हैं। तब किसी सदस्य को दूसरे के साथ रहने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसी हालत में जो कमरे माननीय सदस्य चाहते हैं उनकी इच्छा के मुताबिक उनको मिलें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके बाद होस्टल के किराये के बाबत मैं कहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, कि इस होस्टल का किराया १ रु० छोटे कमरे का और बड़े कमरों का किराया २ रु० या पौने दो रुपये हैं। इस तरह से ३० रु० माहवार छोटे कमरों का किराया पड़ जाता है तो कोई सदस्य १२ महीनों के लिये उन्हें किराये नहीं ले सकता, क्योंकि यह मंहगा पड़ता है। अगर शहर में या अन्य जगह मकान किराये पर लेना चाहें तो हमें बहुत बड़ा बंगला ७० रु० या ८० रु० में मिल जाता है जिसमें चार पांच कमरे, किचन, लेट्रिन, बाथरूम होते हैं। हम उसमें ७ या ८ आदमी अच्छी तरह से रह सकते हैं। इसका हिसाब लगावें तो एक सदस्य को करीब ९ या १० रुपये तक पर-हैड आता है और उनको अच्छे कमरे मिल जाते हैं, वही व्यवस्था मिल जाती है तो फिर यह देखते हुए होस्टल का किराया ज्यादा है। यदि इसका किराया कम कर दिया जाय तो माननीय सदस्य १२ महीनों के लिये कमरा किराये पर ले सकते हैं। वे असेम्बली से मिले हुए सारे कागजात उस कमरे में रख सकते हैं क्योंकि इन कागजों की न मालूम कब जरूरत पड़ जाय। यदि वे इन कागजों को अपने घर ले जावें तो सब को वापिस अपने साथ नहीं ला सकते, इसलिये कमरे पर्मानेन्टली मिल जावें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। लेकिन ३० रुपयों में तो रखना मुश्किल है, क्योंकि ३० रुपये के लायक वे हैं नहीं। अगर ३० रु० के लायक होता तो रख लेते। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे किराये को वापिस देख भाल कर के ठीक करें।

अब मैं सिविल वर्क्स के लिये कहूंगा कि सिविल वर्क्स में जो रोड्स आती हैं, उनके लिये यह है कि राजस्थान बहुत बड़ा है। उतनी काफी सड़कें यहां नहीं बनी हैं कि जितनी बननी चाहिये और राजस्थान सरकार के पास भी इतना रुपया नहीं है कि आने वाले एक-दो साल में इतनी सड़कें बनवा सकें।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैंने अभी तो सड़कों पर बोलना शुरू ही किया है, ५ मिनिट में बोले देता हूं। जब तक सड़कें बनें तब तक मेरा सुझाव है कि गांव वालों के लिये बैल गाड़ी चलाने के लिये जो रास्ते वहां बीच में नदी-नाले आ जाते हैं। इसी वजह से इन कच्चे रास्तों में कभी कभी तो एक एक बैलगाड़ी के चार-चार बैल जोत कर उसे पास करना पड़ता है और हमारे उधर रेगिस्तान में तो ऐसी जगहों से गाड़ियों को निकालना मुश्किल होता है। जब तक कि पक्की सड़कें नहीं बनें तब तक के लिये इन रास्तों में नदी नाले बान्ध देने चाहिये। जब तक कि पक्की सड़कें नहीं बन जांय तब तक

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

के लिये मेरी सिफारिश है, सड़कें न मालूम कब बनेंगी। जिनके वोटों से जीत जीत कर आप लोग यहां बैठे हैं वे लोग भी समझेंगे कि हमारे लिये कुछ न कुछ कर रहे हैं।

दूसरे जो डेवेलपमेंट ब्लॉक्स खोले हैं उनमें बहुत ही सुस्ती से काम हो रहा है। बिलाड़ा में जो ब्लॉक है उसमें पी. डब्ल्यू. डी. का जो हाथ है वह काफी हद तक ज्यादा है। एक ट्रक और १ रोड़ रोलर उनके डिस्पोज़ल पर दे दिया जाय तो वहां के लोग श्रम दान में मेटीरीयल ला कर रख देगें और रोड़ रोलर सड़क कूटने, बनाने में कांम आयगा और इस तरह जल्दी और सस्ता काम हो जायगा।

इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां २ डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं वहां २ एक एक ट्रक और एक एक रोड़ रोलर दे दिये जायें।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, सिविल वर्क्स के सम्बन्ध में ११, ६१,०००, की मांग सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत की गई है। और बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य का कटौती का प्रस्ताव आया है, उसके समर्थन में मैं कुछ बातें सदन के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, इस मांग के बारे में जो एक्सप्लेनेटरी नोट प्रसारित किया गया है और जिन जिन बातों के लिये यह रकम खर्च होगी, उनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करूंगा। पहली बात आइटम नं० ३ के सम्बन्ध में है, यह सड़कों से सम्बन्धित है। इस एक्स्प्लेनेटरी नोट के आधार पर ऐसा मालूम होगा कि पंचवर्षीय योजना के बारे में ४ करोड़ रुपये खर्च करने का सरकार का इरादा था, वह ४ करोड़ से बढ़ा कर ५ करोड रुपया कर दिया गया है। जो मौजूदा है उसको पर्याप्त नहीं समझते हुए एवं डिफेन्स रोड़ की आवश्यकता समझते हुए ६५ लाख की स्वीकृति और मांगी गई है जो स्वीकृत होने वाली है। इस स्वीकृति के बाद इसे कैसे खर्च किया जायगा और इसे खर्च करने के लिये और इस योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिये ११,६१,०००, की रकम इस मद में स्वीकृति के लिये सदन में प्रस्तुत की गई है।

अभी तक ६५ लाख रुपया मिला नहीं, जिनके खर्च के लिये इस प्रकार के एस्टेब्लिशमेंट की, मकानों की और ऑफिसेज़ की सरकार को आवश्यकता महसूस हो। इसकी अभी तक निश्चित सूचना नहीं कि ६,५०,००० रुपया राजस्थान सरकार को फलां तारीख को मिल जायगा। उम्मीद की जाती है यह रुपया मिलने की और इसी उम्मीद के आधार पर इतना रुपया खर्च करने लग गये कि अपने इतने आदमियों को एम्पलॉयमेंट दे देंगे, इतने क्लर्क्स का एपाइन्टमेंट कर देंगे, इतने ओवरसियर्स को अभी से काम पर लगा देना चाहिये।

Page No.61

[श्री भैरोंसिंह]

जिस काम में हम इतना रुपया खर्च कर रहे हैं उसके बारे में हमें सोचना यह है कि ६५ लाख की रकम मिलेगी भी कि नहीं ? हम अगर पिछली सब स्कीमों (योजनाओं) को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत सरकार के पास राजस्थान सरकार की जितनी योजनाएं गई हैं उनमें रद्दोबदल करने के बाद कइयों को स्वीकार किया गया और कइयों को अस्वीकार कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने उम्मीद में कई प्रकार की योजनाएं बना कर उन पर बहुत सा रुपया खर्च कर दिया, अपेक्षा नीति के कारण बहुत सा खर्चा कर दिया, अंत में जा कर वही योजनाएं कई दफा या तो स्वीकार नहीं हुईं और स्वीकार हुईं भी तो बहुत रद्दोबदल के बाद। जब कि आज कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि हमको यह ६५,००,००० की रकम फलां तारीख तो निश्चित रूप से मिल ही जायगी। पर यह देखा गया कि यह ६५ लाख तो जब मिलेगा तब मिलेगा, पर जो हमारी खुशामद करते हैं उनको तो रोजगार मिले इस मंशा से यह मांग पेश करना, यह बिल्कुल अन्यायपूर्ण मांग होगी जिसको सदन स्वीकार करेगा।

दूसरे यह आइटम नं० ७ के बाबत है। सवाईमाधोपुर, उदयपुर और कोटा में ३ एग्रीकल्चर स्कूल खोलने के लिये पहले २ लाख १५ हजार की स्वकृति दी गई थी, फिर भी यह काम पूरा नहीं हो सका। इस काम को पूर्ति के लिये गत वर्ष ३५००० की स्वीकृति मांगी गई थी। इस पर भी यह काम पूरा नहीं हो सका, अब १,२१,५०० रुपयों की स्वीकृति और चाहीं गई है। इस मांग के सम्बन्ध में मन्त्रीजी उत्तर देंगे कि हमने पूरी योजना बना ली, परन्तु काम पूरा नह हो सका।

यदि इस मांग को देखा जाय तो उनकी योजना बनाने की क्षमता, इसमें कितना खच होगा, इस क्षमता का दिग्दर्शन। पहले २ लाख १५ हजार की स्वीकृति मांगी गई। उससे काम पूरा नहीं हुआ तो इसके बाद गत वर्ष फिर ३५ हजार रुपयों की स्वीकृति मांगी गई। फिर भी यह काम पूरा नहीं हुआ और अब १,२१,५०० रुपये की स्वीकृति और चाही गई है।

अब कहते हैं कि १ लाख २१ हजार की स्वीकृति चाहिये। समझ में नहीं आता कि जिस समय पहले एस्टिमेट बनते हैं उस समय सही योजना क्यों नहीं बनाई जाती ? हो सकता है कि ५, १० या १५ हजार का, एस्टीमेंट बनते समय फर्क रह सकता है और कभी बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन एक दफे ३५ हजार और फिर १ लाख ३५ हजार। मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो लोग एस्टीमेंट बनाते हैं उनकी एस्टीमेट बनाने की और योजना बनाने की क्षमता जो है उसका बिल्कुल ही दिवालियापन है और पब्लिक के पैसों का दुरुपयोग है।

माननीय उपाध्यक्ष, दूसरी चीज है आइटम ८ से लगाकर १३ तक...

श्री उपाध्यक्ष—अभी कट मोशन डिस्कस हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह—मैं इसी पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—कट मोशन...

श्री भैरूंसिंह—मैं तो पर्टिक्युलर आइटम पर ही बोल रहा हूं।

अब दूसरी बात आनटम नम्बर ८ से १३ तक की है। उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं। यह है डेवलपमेंट स्कीम के बारे में, पंचवर्षीय योजना के बारे में और उनमें खास कर कौन कौनसी चीजों को रखा गया है उसके बारे में वह है कुछ एग्रीकल्चर फार्मस की। मैं यह कहूंगा कि इसकी अभी तक कोई रूप रेखा नहीं बनाई। आपने तीन जगह एग्रीकल्चर फार्म खोलने की बात कही, बस्सी, नागौर और अलवर में। इन तीनों जगह एग्रीकल्चरल फार्मस बनेंगे। ये फार्म किस प्रकार के बनेंगे, यह मालूम नहीं, इसके लिए कोई योजना नहीं। इसमें इस प्रकार रुपया जरूर खर्च होगा केवल यह मालूम है :

(१) १ लाख ३० हजार रु० पहले में, ६२ हजार रु० दूसरे में व १६ हजार रु० तीसरे में। आज तक जितने भी एग्रीक्लचरल फार्म हुए हैं उनसे कितने कृषिकारों की सेवा हो सकी है यह किसी से छिपा नहीं है। यदि उन सब बातों को, एग्रीक्लचरल फार्म के इतिहास में देखें तो मुझे तो यह कहना पड़ेगा कि एग्रीकल्चरल फार्म में सरकार को अभी सक्सेस नहीं मिली और इस कारण से पैसे का दुरूपयोग होगा और अभी तक इन तीनों फार्मस क्या होगा सिवाय मंत्रीजी के किसी को भी मालूम नहीं है। अगर कोई स्कीम हमारे सामने आई होती तो उस पर विचार करना होगा। अगर डेवलेपमेंट के नाम पर भारत सरकार से या हमारी सरकार से रुपया मिलता हो या कहीं से इकट्ठा किया जाता हो, तो उसको इस प्रकार लगा दिया जावे तो, मैं कहूंगा कि इससे किसी प्रकार का जनता को फायदा होने वाला नहीं। आज इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं कि कृषि के फार्म खोले जावें। जयपुर राजस्थान की केपिटल होते हुए भी एग्रीकल्चर के लिये कोई फार्म नहीं और न कोई एक्सपर्ट ही है, जो आज के इस नये युग में खेती के बारे में जानकारी रखता हो और किसानों को उससे कोई फायदा होता हो। इसलिए मैं यह कहूंगा कि जिन स्थानों पर एग्रीक्लचरल फार्म खोले जाते हैं उन पर एक लाख ३२ हजार रुपया खर्च न किया जाकर अगर १०) १०) हजार रुपयों की रकम हर तहसील में दे कर एग्रीकल्चरल फार्म एक्सपेरिमेंट के तौर पर खोलते तो उसका उपयोग होता और उस डिस्ट्रिक्ट में खेती के सम्बन्ध में जितनी बीमारियें होती हैं उनका कोई हल और उपयोग किसानों को बताते। यह उपयोग उन्हीं फार्म के जरिये से हो सकता है। अकाल के बारे में भी मालूम हो सकता है। इसलिए आवश्यकता आज इस बात की है कि आज हम थोड़ा रुपया खर्च करके एक्सपेरीमेंटल एग्रीकल्चरल फार्म खोलें और इससे लोगों को ज्यादा जानकारी हो, अच्छे बीज और अच्छी खाद मिले और उसके उपयोग के साधन मालूम हों और नये तरीके मालूम हों। लेकिन आज हम तीन जगह एग्रीकलरचल फार्म खोल रहे हैं। एक जगह पहले था और दो जगह इसलिए खोला जा रहा है कि मंत्रियों के पास तक पहुँचने वाले लोगों का उसमें हाथ है। इससे वे पब्लिक को खुश करेंगे और जनता को कह सकेंगे कि इतना रुपया आपके यहां पर खर्च कर दिया

[श्री भैरोंसिंह]

गया है। इसके अलावा जनता के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जहां यह मांग की गई है मैं कहूंगा कि यह मांग की जावे कि तहसील में जगह जगह ऐसे स्थान खोले जावें, उसमें चाहे हम ५, १० हजार रुपया ही दें। चाहे हम तकावी के रूप में ही दें। इससे वह किसानों की सेवा कर सकेगा। बस इतना ही मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य के कट मोशन का समर्थन करता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो कटौती का प्रस्ताव आया है...

श्री उपाध्यक्ष—आप डिमान्ड पर ही बोल सकते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं इसका समर्थन तो करता ही हूं, लेकिन जिन माननीय मन्त्री जी ने यह डिमान्ड रखी है वे फाइनेन्स मिनिस्टर भी हैं, उनको यह डिमान्ड मांगनी नहीं चाहिये थी, क्योंकि फाइनेन्स भी उनके पास है और पी० डब्ल्यू० डी० भी उन्हीं के पास है। परन्तु जितनी भी ११ लाख ६१ हजार की डिमान्ड है वह ऐसी है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्यों कि लोग वैसे ही मकान देने के लिये तैयार हैं डिस्पेन्सरीज़ के लिये। डिस्पेन्सरीज़ के लिये ११ लाख और कुछ हजार की मांग की है, मैं यह कहूंगा कि जागीरदारों के मकान इतने खाली हैं कि जिनको कोई पूछने वाला नहीं। इसके अलावा दूसरे लोग भी ऐसे हैं जो ऐसे कामों के लिये मकान देने के लिये तैयार हैं। लोग मुफ्त में मकान देने के लिये तैयार हैं। जब लोग मुफ्त में मकान देने लिये तैयार हैं तो फिर ये मकान बनाने की क्या जरूरत? अगर इस तरह की डिमांड करें तो हर जगह के आदमी मकान देने के लिये तैयार होंगे। आज जागीरदारों और पूंजीपतियों के मकान जो जयपुर, शेखावाटी, बीकानेर में काफी हैं अगर उनसे कहा जावे, बात की जावे तो पूंजीपति करोड़ों रुपये देने के लिये तैयार हैं। उनको कई दफे सरकार के सामने मिलाया है। मगर सरकार उनको सुविधा देने के लिये तैयार नहीं। यह कहती है कि ११ लाख कई हजार की रकम दे दो।

दूसरी बात एग्रीकल्चरल फार्म्स की है, बसी के लिये कहा गया है। जब जयपुर स्टेट थी उस समय भी बसी का फार्म कामयाब नहीं हुआ। तो राजस्थान सरकार के वक्त में कोई सक्सेसफुल होने की उम्मीद नहीं। एग्रीकल्चरल फार्म वर्षा में हो रहा है, वहां पर किसी को ट्रेनिंग के लिये भेजा जाना चाहिये जो वहां से ट्रेनिंग ले कर आये हैं। काश्तकारों को सारी बात बता कि यह स्कीम है और उनको इस तरह से करना चाहिये। यह ज्यादा अच्छा होता बनिस्पत इसके कि आप एग्रीकल्चरल फार्म्स में यहां रुपया खर्च कर देंगे जो नहीं करना चाहिये। पहले ४ करोड़ थे वे अब ५ करोड़ किये। ४ करोड़ में कितना रुपया सेंक्शन हो गया। दो करोड़ रुपया भी सेंक्शन नहीं हुआ। बाकी के लिये ६ महिने चाहिये। पहले एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री के पास कागज जावेगा, उसके बाद सेक्रेट्री और फिर मिनिस्टर के पास जावेगा और बाद में जब पास हो कर आवेगा तो समय रहेगा। तो जल्दी जल्दी में मकान और सड़कें बनाई जाती हैं जो खराब बनती हैं। जब बजट नहीं होता तो टेन्डर नहीं मांगे जाते। इसलिये जब काफी समय खर्च हो जाता है और तीन चार

श्री मुक्तिलाल मोदी]

महीने रहते हैं तो उसमें अनाप-सनाप तरीकों पर रात दिन काम किया जाता है और पैसे फालतू खराब होते हैं। इसके अलावा ठेकेदार और गवर्नमेंट के आपस में मुकदमें होते हैं। कभी गवर्नमेंट पर ठेकेदार और कभी ठेकेदार पर गवर्नमेंट केसेज़ करती है।

तो इस तरह से कोई भी रुपया अगर सरकार डिमान्ड करे तो कम से कम यह तो सोचे कि चार करोड़ रुपया पहले दिया गया, एक करोड़ रुपया और मिल रहा है उसके लिए अभी से सारी योजनाएं बनाये और रुपये में चार, छ, आठ आना तो काम हो। कोई काम सड़क का हुआ, तीन महीने में रात-दिन काम करेंगे और उसका नतीजा होगा कि वह सड़क टूट जावेगी।

रिफ्यूजी कॉलोनी की सड़कें माननीय पी० डब्ल्यु० डी मिनिस्टर ने देखी हैं, चीफ मिनिस्टर ने भी देखा हैं। लाखों रुपया मिट्टी में चला गया है। फ्लड को रोकने के लिए इन्जीनियर साहब के पास कोई व्यवस्था नहीं। सड़कें टूट गईं और उन इन्जीनियर साहब पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। रुपया इससे चार गुना लीजिये, पब्लिक एतराज नहीं करेगी। अतः वे फाइनेन्स मिनिस्टर भी हैं और पी० डब्ल्यु० डी० मिनिस्टर भी हैं तो उनको सोच कर ही वह डिमान्ड मांगनी चाहिये।

(घंटी)

दूसरी बात यह है कि स्टाफ के लिए एक लाख और कई हजार रुपये मांगे हैं। आज इसका सारा तात्पर्य यह है कि सभी कागज देर से निकलते हैं। डेट टू डेट कागज निकालें तो १ लाख और कई हजार रुपया की आवश्यकता नहीं पड़ती, परन्तु मिनिस्टर नहीं सोचते हैं कि कौन सेक्रेटरी है या असिस्टेन्ट सेक्रेटरी है जो डे टू डे कागज नहीं निकालते हैं। इसीलिए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु माननीय मन्त्रीजी यह सोचें कि इन्जीनियर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने कितने दिनों में प्लान पूरा किया, आगे जो प्लान बनने वाला है वह कितने दिनों में पूरा कर दिया गया तब ही उस काम को करना है। आज की सड़कों को देखिये और जो पचास साल पहले बनी हैं उनको भी देखिये। इस वक्त की सड़कें तो टूट जाती हैं और जो पचास साल पहले की हैं वे नहीं टूटती है।

('मरम्मत तो हो सकती है' ऐसी आवाज)

मरम्मत जरूर हो सकती है और मैं तो यहां तक कह सकता हूँ कि मरम्मत भी नहीं करें तब भी चल सकता है। यही मकान देख लीजिये। कितना मजबूत है। आज बना लीजिये तो जल्दी टूट जायगा।

:)

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

ऐसी हालत में आप सोचते हैं कि डिमान्ड तो मंजूर होगी, चाहे खिलाफ बोलें। भले ही थोड़ा घणा चिल्ला लेंगे, ये तो मंजूर होगी ही, मैं सही अर्ज करता हूं डिप्टी स्पीकर साहब।

(हंसी)

आधा रुपया लेप्स होगा। पूरा कोई काम नहीं होने वाला है। अभी तो नक्शे बन रहे होंगे, फिर वे इन्जीनियर साहब के पास जावेंगे, वहां से फिर वे असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के पास, फिर डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के पास और फिर कहीं मिनिस्टर के पास पहुँचेंगे। असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के पास ही पहले तो तीन महीने पड़े रहेंगे। फिर अपोइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेंट में जावेंगे। पचासों झगड़े होंगे। परन्तु इसमें होगा क्या ? सबका कारण यही है कि जनता को खिलाफ करना। उन सारी बातों का तात्पर्य मैं यह समझता हूँ कि डिमान्ड मंजूर कराना है और प्रलोभन देना है कि तुम्हारे गांव में यह होगा, तुम्हारे गांव में वह होगा। कहने का मतलब यह है कि सरकार असेम्बली के सामने रुपये मंजूर कराती है तो उससे पहले फेक्ट्स एन्ड फीगर्स रखना चाहिए कि चार करोड रुपये मंजूर किये थे, उनमें से इतने रुपये खर्च हो गये हैं, ये ये काम शुरू हो गये, इतनी सडकों के टेन्डर मांग लिए। मैं सही अर्ज करता हूँ कि दो करोड रुपये भी खर्च नहीं हुए होंगे जब कि चार करोड़ रुपये सेन्क्शन किये गये थे। ऐसी हालत में सारे प्रान्तों वाले कहते हैं कि राजस्थान सबसे गया बीता प्रान्त है। प्लानिंग के लिए कितने लाख रुपये बंगाल और बिहार ने लिये हैं और वे उनके यहां किस तरह खर्च करते हैं ? वे तीन तीन महीने पहले प्लान बना कर रख देते हैं। राजस्थान के ऑफिसर्स में पोलिटियक्स एम. एल. एज. और मिनिस्टरों ने घुसेड़ दी है इसलिए राजस्थान डूब रहा है। यदि पोलिटिक्स उसमें नहीं घुसेड़ें तो राजस्थान का सबसे अधिक भला हो सकता है। मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि डिमान्ड जो मूव की है उसके अन्दर यह भी देखें और कुछ पूंजीपतियों और जागीरदारों से एप्रोच करें ताकि वे मकान देने के लिए तैयार हों। थोडी घणी टूट फूट हो तो उसको सुधार लें। उनमें थोड़ा सुधार करके डिस्पेन्सरी, एग्रीकल्चर, वेटेनरी सेन्टर आदि कायम करें। मकान तो वैसे ही पड़े हैं और उनमें चमचेड़े बोलतीं है, उनका भी उपयोग होगा। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल—उपाध्यक्ष महोदय, कट मोशन के सम्बन्ध में दो तीन पोइन्ट्स उठाये गये हैं। गवर्नमेंट होस्टल की व्यवस्था में खराबी का एक प्रश्न रखा गया, जैसा मैंने बीच में निवेदन किया था कि जहां तक कमरों के अलॉटमेंट का या इस प्रकार की व्यवस्था सम्बन्धी बातों का सम्बन्ध है वे तो आती ही नहीं हैं इस कट मोशन के अन्दर। लेकिन चूंकि फिर भी हाउस में बोलने की प्रत्येक सदस्य को स्वतन्त्रता है और उसका पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए, तो सब कुछ कहा गया। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वह व्यवस्था सारी हाउस कमेटी द्वारा की जाती है और मैं मानता हूँ कि हाउस कमेटी के माननीय सदस्य जो इस सदन के भी माननीय सदस्य है वे उतना ही ठीक करते होंगे। यदि इस विषय में कोई शिकायत हो तो वह उनसे की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि वे ठीक करेंगे।

Page No.66

[श्री टीकाराम पालीवाल]

कुछ पेड़ों के आस पास गमले लगाने की कुछ त्रुटियां बतलायीं, सुझाव दिये गये, वह मेरे ख्याल से क्योंकि अधिकारी व्यक्ति की ओर से आये हैं, इसलिए वे संज्जन हाउस कमेटी के सदस्यों से बात करेंगे। पेड और गमलों के विषय में यदि सुधार किया जा सकता है तो करें।

इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि ५४ हजार रुपयों की रकम जो दी गई है यह बिलकुल बेकार है और इसके लिए अन्दाजे पर ही चल रहे हैं और कुछ आशा है उसके आधार पर जो खर्चा हो रहा है वह फालतू होगा। मेरा ख्याल है कि वे ठीक नहीं समझ पाये हैं। वह केवल डिफेन्स रोड्स के लिए ही नहीं है। सारे प्रोग्राम को ज्यादा अच्छी तरह से एक्सपीडिशियस्ली एक्ज़ीक्यूट करने के लिए तीन डिवीजन्स बनाये जा रहे हैं उसके लिए यह खर्चा है। डिफेन्स रोड्स भी हैं। As a matter of fact सारे आर्गनाइज़ेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, ६५ लाख रुपयों की, जिसकी आशा ही आशा है उसके लिए ऐसा प्रोविजन किया जा रहा है। कहा यह गया है कि फालतू खर्चा हो जायगा। पहले, यह कहना बहुत सही नहीं है कि आशा के आधार पर नहीं चलना चाहिए। हमें आशा के आधार पर चलना चाहिए। यदि नहीं चलें तो कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। इस हाउस के बनाने पर, इस आशा पर कि वे माननीय सदस्य यहां चुन कर आवेंगे, यह कटौती प्रस्ताव रखा है। तो कोई भी प्लानिंग बगैर आशा के नहीं हो सकती है और मैं कोई कारण नहीं देखता कि आशायें क्यों न सफलीभूत होती हैं?

७५ लाख रूपये रोड्स के एक्सपीडिशन के लिये रखे हैं। उसके अनुसार व्यय भी हुआ है।

इसके अलावा और भी प्रश्न उठाये गये। तीन स्कूल्स के लिये जो रकम दी गई है उसके लिये यह कहा गया है कि यह गवर्नमेन्ट के प्लानिंग का दिवलियापन है। मुझे नहीं मालूम कि इतनी छोटी सी चीज में गवर्नमेन्ट का दिवालियापन हो सकता है। मुझे जरूर ऐसा लगता है कि इसमें गवर्नमेन्ट के प्लानिंग का दिवालियापन पाया गया या नहीं, किन्तु इतना तो जरूर है कि इन चीजों को समझने में माननीय सदस्य की कमी जरूर पायी गयी है। यह कहना सही नहीं है कि दो लाख १५ हजार रूपये पहले रखे गये, वे खर्च किये गये, बाद में ३५ हजार रूपये और खर्च किये गये फिर भी काम पूरा नहीं हुआ और अब १,२५ हजार की और मांग की जा रही है, ऐसा नहीं है। १ लाख, २५ हजार की जो मांग की जा रही है यह ग्रान्ट ओरीजिनल २ लाख १५ हजार की रकम के ऊपर रखी गई थी, उसके सिवाय रकम नहीं है। दो लाख १५ हजार का कुल खर्चा है, उसमें से कुछ खर्च हो चुका और इस साल ३५ हजार ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। ३५ हजार की रकम नाकाफी है। इसलिये १ लाख ३५ हजार ५०० रूपये की डिमान्ड की गई। कुल मिलाकर २,१५ हजार रूपये ही होने वाले हैं। थोडी सी शब्दों के समझने में भूल रही। अगर शब्दों को समझने की कोशिश की जाती तो यह भ्रम नहीं हो सकता था।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इन सब दृष्टियों से तीन स्कूल जो बनये जाने वाले हैं उनकी जरूरत है। बसी के स्कूल के लिये यह कहा गया कि यह रियासती जमाने में भी सफल नहीं हुआ, इसलिये अब भी सफल नहीं हो सकता। यह तो कोई सही बात नहीं है। जो चीज रियासती जमाने में सफल न हो सकी, हो सकता है इस समय वह सफल हो जाय। हो सकता है, इस समय काम ज्यादा अच्छी तरह हो। उस समय यह सफल नहीं हुई तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि अब सफल नहीं हो सकती। इस प्रकार वाइड जनरलाइजेशन करना किसी बात का ठीक नहीं है।

इस संबन्ध में बहुत कुछ कहा गया किन्तु जो रिलेवेन्ट पोइन्ट्स थे उनका मैंने जवाब दे दिया। जो मुख्य मुख्य बातें थी उनके ऊपर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। अब मैं आशा करता हूं को इस ग्रान्ट को पास किया जायगा।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी ने जवाब में बताया कि सदस्यों को जो बोलने की सुविधा थी उसका पूरा पूरा लाभ उन्होंने उठाया, परन्तु माननीय मंत्रीजी को भी जवाब देने की पूरी पूरी सुविधा थी जिसका लाभ उनको भी उठाना चाहिए था। दूसरे मंत्रीगण भी इस प्रकार का लाभ उठा लेते तो ठीक रहता। अब मैं सदन से अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं क्योंकि मैं वापिस लेने के अधिकार का भी पूरा पूरा लाभ उठा लूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री तनसिंह को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत).

अनुमति प्रदान की गई।

श्री तनसिंह—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—The questison is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,61,000 be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955 in respect of Demand for Grant No, XLIX-Major Head XLIX-civil Works."

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ५३-राज्य सरकार द्वारा लोन्स एन्ड एडवान्सेज़

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir,I move,"That a supplementary sum not exceeding Rs. 32,00, 000 be granted to H,H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955 in respect of Demand for Grant No, LIII-Major Head R-Loans and Advances by State Government''.

श्री उपाध्यक्ष—श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—Mr Dy.Speaker, Sir, I beg to move,"That the Demand for Grant No. LIII for a sum of Rs, 32,00,000/- in respect of Major Head R-Loans be reduced by Rs. 1/- (to discuss the failture of the Government to provide necessary loans to Agriculturists)."

इस सप्लीमेंटरी ग्रान्ट की तहत मैं अपने कटौती प्रस्ताव के जरिये यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से काश्तकारों को लोन्स दिये जाने चाहिये और जिन कामों के लिये लोन्स दिये जाते हैं, जिस निश्चित आधार पर लोन्स दिये जाते हैं उन चीजों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पहला प्रश्न यह है कि राजस्थान की तमाम भूमि की सिचाई करने के लिये किन किन आधारों का आश्रय लिया है और हमने अलग अलग विभिन्न तरीकों का समन्वय किया है या नहीं, इन बातों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा।

राजस्थान में आमतौर से सिंचाई या तो कुओं से होती है या तालाबों से या नदियों के बन्ध से होती है। अपने पांच-साला प्रोग्राम में हम नदियों तथा तालाबों के बन्ध बनवाने के सिलसिले में मोटी धनराशि खर्च करना देखते हैं और उसकी तहत में काफी काम भी हो रहा है और हुआ भी है। लेकिन राजस्थान का काफी हिस्सा है जहां पर इस तरह के साधन प्राकृतिक असुविधा के कारण नहीं जुटाये जाते और इसलिये वहां पर दूसरे तरीकों से काम लेने की बहुत आवश्यकता है। मैं राजस्थान के उस बड़े भू-भाग की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो जोधपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन की तहत में है और जिसका कुछ हिस्सा जयपुर डिवीजन में भी है। हम अभी तक इस बात को देखने में असफल से रहे हैं कि सरकार ने जहां तक सिंचाई के साधन हैं उनका अभी तक किसी प्रकार भी समन्वय किया हो। यह सब ओर से आवश्यक माना गया है कि गैर सरकारी आदमियों की ओर से और सदन के तमाम सदस्यों की ओर से यह मांग की जाती रही है कि इन चीजों का समन्वय होना चाहिये और सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये। उदयपुर और कोटा डिवीजन में जहां पर प्राकृतिक सुविधा है, जहां तालाबों और नदियों से

[श्री जवानसिंह]

बान्ध बनाये जाते है वहां पर जितने भी सिंचाई के साधन हैं उनकी ओर ध्यान अवश्य देना है । जहां पर नदियों के बान्ध नहीं बनाये जाते, जहां पर वर्षा अधिक नही होती, जहां पर कूओं से सिंचाई होती है उनके पास; काश्तकारों के पास इसके अलावा और कोई साधन नहीं रह जाता है। इसलिये इस ओर ध्यान देना नितान्त आवश्यक है । इस चीज को हमें मानकर चलना है.। मैं इस बात के लिये इसलिये जोर देना चाहता हूं कि जब कि सरकार ने इसलिये यह मान लिया है जब तक अमुक प्रतिशत उसको लाभ नहीं दिखाई देगा तब तक सरकार ऐसे काम में रुपया खर्च नहीं करेगी । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमे राजस्थान के अलग २ भागों की जनता के जीवन के आधारों को निश्चित नहीं करना है, वहा पर जहां इस प्रकार की प्राकृतिक सुविधायें नहीं हैं, उन जगहों के लिये भी यह सोचना कि इतने प्रतिशत आमदनी होगी तभी यह काम किया जायगा, यह ठीक नहीं हैं । हम इस तरह की नीति राजस्थान के तमाम भाग पर लागू नहीं कर सकते । और इसलिये अलग अलग जगहों में हमको इस आधार के अलावा दूसरा आधार यह भी देखना है कि हम जनता के हित को भी देखें । हमें इस आधार को भी मानना है और वह आधार यह है कि जनता को जीवित रखने के लिए साधन देना ।

क्या राजस्थान के अलग अलग भागों में जो नदियों के ऊपर पुल बनाने के लिए, उदयपुर डिविजन में और कोटा डिवीजन में जिस प्रकार से जितनी धन राशि खर्च की गई है क्या हम इस बात को उस रिपरिट में हम देखते हैं कि जैसलमेर और बीकानेर में भी इतनी धन-राशि खर्च की गई है या खर्च की जाने वाली है। साथ में हम यह भी देखें कि इन आदमियों को भविष्य में जीविका उपार्जन के ऐसे साधन देने के लिए हमने कोई योजना बनाई है या नहीं । हमें अब तक तो यह सुनने को मिला है कि वहां पर सरकार को कोई रिटर्न उस मिक्दार में जो कि नियत है वह नही मिलता इसलिये उन भूभागों में तालाबों, नहरों आदि में रुपया नहीं लगाया जा सकता, इसलिये ये काम अमुक भूभागों में नहीं किये जा सकते । पर यह आधार गलत है । मैं मानता हूं कि सरकार इस चीज की ओर जरूर ध्यान देती है और जहां तक लोन्स देने का सवाल है, जितनी भी धन-राशि खर्च को जा रही है इसमें चन्द असुविधाएं लोगों को होती हैं, कुछ पैसा गलत रास्ते पर भी जाता है और जिन आदमियों को इसका लाभ असलियत में मिलना चाहिये उन तक वह पैसा नहीं पहुंचता । पर मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि काफी हिस्सा उन आदमियों के लिये पहुंचता है जो इसके जरूरतमन्द हैं और इन बातों को एप्रीशियेट किये बिना नहीं रह सकता कि इस डिपार्टमेंट के हैड को इसी तरह रहना चाहिये। केवल टेक्नीकल ही वह नहीं हो, पर जो अपने अनुभव के जरिये इस डिपार्टमेंट की देख भाल ठीक तरह से कर सके और इस बात में भी काफी सन्तोष हो कि यह मौजूदा उनका ढंग खास हमारे विभागों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि और विभागों में भी इसी तरह से इसी आधार को आगे रख कर काम किया जावेगा ।

[श्री नवानसिंह]

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक इस भू-भाग का ताल्लुक है और जहां तक खर्च करने का ताल्लुक है वहां उन भू-भागों के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है ; जैसे बाड़मेर, जालोर का काफी हिस्सा है और जैसलमेर है और कुछ हिस्सा सिरोही का भी है कि जहां पर कूओं से सिंचाई आवश्यक रूप से हो सकती है और दूसरी तरफ वह अपनाया जा सकता है रास्ता।

मैं आपका इस ओर भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि बार बार इस ओर सरकार का ध्यान दिलाने पर कि सिरोही में ऐसी भी जगह हैं कि जहां बारह माह पानी अपने आप रहता है और उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। सरकार का इस ओर आवश्यक रूप से ध्यान दिलाया गया है कि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जावे, इस पानी के बांध से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जावे। इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, पर नतीजा अभी तक तो कम से कम सिफर ही मिला है। शायद भविष्य में इस पर कदम उठाया जावे और वहां के लोगों को फायदा मिल सके।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की धन-राशि जो कुओं के लिये दी गई है क्या वे सोचते हैं कि वह धन राशि उन एरियाज़ के लिए जहां वर्षा बहुत होती है और प्राकृतिक साधन बहुत है और उन एरियाज़ के लिए जहां पानी नहीं है, वर्षा बहुत कम होती है और प्राकृतिक साधन भी बहुत थोड़े हैं, इन दोनों प्रकार के एरियाज़ के लिए बराबर हो खर्च की जा रही है या इसमें कोई अन्तर है ?

मेरा तो खयाल है कि जोधपुर डिविजन के काफी हिस्से में, बीकानेर डिविजन के काफी हिस्से में, इसकी काफी जरूरत है। ऐसे हिस्से के लोगों को, कम से कम जीवित रखने के लिए आवश्यक रूप से खर्च करने चाहिये। बनिस्पत इसके कि उन हिस्सों को और अधिक फायदा पहुंचाया जावे, जहां पहले से ही प्राकृतिक सुविधाएं वैसे ही मौजूद है वहां पर इतना रुपया खर्च न भी किया जावे तो ज्यादा हानि होने कि सम्भावना नहीं है। तो हमें इसके लिए प्रायोरिटी तो करनी है और इसमें हम देखते है कि उन लोगों के लिए ज्यादा खर्च करने जा रहे है, जो वैसे ही प्राकृतिक साधनों से भरे हैं जहां वर्षा होती है, पानी का अभाव नहीं है और एक तरफ उस इलाके की तरफ कतई ध्यान नहीं दे रहे है कि जहां प्राकृतिक साधन नहीं है, डेजर्ट एरिया है और जहाँ से पैसा खर्च करने पर जितना सरकार चाहती है उतना रिटर्न नहीं मिल सकता है। तो रिटर्न मिलने की जो थ्योरी (theory) है उसे सब जगह आपको काम में नहीं लेना है, कहीं पर आपको जनता के हित को भी देखना पड़ेगा, जनता के हित के सिद्धान्त को भी मानना होगा। तो मैं इस बारे में खास तौर से निवेदन करूंगा कि वे अपने सारे प्रोब्लेम्स को निरे इकोनॉमिस्ट की तरह से हल करने की कोशिश न करें। जहां लोगों को साधन-सुविधाएं देने के लिए ऐसे कामों की ज्यादा जरूरत हो वहां ऐसे कामों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिये, चाहे फिर इकोनोमिस्ट की दृष्टि से वहां उस पैसे का उतना रिटर्न उनका न भी मिले और भविष्य के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर आप खास तौर से ध्यान देंगे, और

[श्री जवानसिंह]

उन एरियाज में जहां कुओं से ही सिंचाई होती है इसके लिए खास तौर से धन राशि खर्च करेंगे। मैं इसको भी समुचित नहीं मानता कि जो छोटी सी रकम मन्जूरी के लिए आई है वह इतनी ही क्यों हो ? अधिक रकम मांग कर भी उन हिस्सों की, जिनमें प्राकृतिक साधनों के अभाव में कूओं आदि के लिये अधिक धनराशि की आवश्यकता है, पूर्ति की जा सकती थी। तो केवल इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने इस कटौती प्रस्ताव को रखा है। आशा है इन बातों को आप ध्यान में रक्खेंगे और भविष्य में इससे ज्यादा धनराशि की जरूरत मन्द एरिया में खर्च करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल(वित्त मन्त्री)—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझ सका हूँ इसमें दो एक पोइन्ट्स रेज किये गये हैं कि जो रुपया दिया जाता है वह हमेशा ही उपयुक्त और सही आदमियों तक नहीं पहुंच पाता आसानी से। इस बारे में मेरा निवेदन करना सिर्फ इतना ही है कि रेवेन्यू विभाग में इस बारे में निश्चित नियम बनाये हुए हैं। कुछ निश्चित फोर्म्स बने हुए हैं और उनके आधार पर उनके अनुसार ही रुपया दिया जाता है। यह हो सकता है कि कहीं पर कुछ थोड़ा प्रबन्ध करने में समय लग जावे तो इसके लिए अधिकारियों को यह और आदेश दिये जा सकते हैं कि वे समय पर प्रबन्ध करें। इसके लिये तरीके और सोचे जा सकते है कि समय और कम लगे। बाकी कोई अव्यवस्था जैसी है ऐसी बात नहीं है, और मुझे सन्तोष है कि इसे माननीय सदस्यों ने भी स्वीकार किया है कि अधिकांशतः जैसी कोर्स तो काम ठीक ठीक ही होता है। जहां तक इर्रिगेशन स्कीमों का ताल्लुक है, सिंचाई का ताल्लुक है, यह सही बात है कि कुछ क्षेत्र हमारे यहां ऐसे हैं कि जहां पर पानी की बहुत कमी है, बरसात की भी कमी रहती है और हम सब की सहानुभूति है वहां के लोगों के साथ कि वहां भी कुछ न कुछ सिंचाई के साधन होने चाहिये। वहां कुछ सिंचाई के साधन होना चाहिये, यह भी सूझाव रक्खा गया। हमेशा ही रिटर्न के बारे में ध्यान न दिया जावे, इसकी पाबन्दी न लगाई जावे कि अमुक प्रतिशत रिटर्न होगा तभी कोई काम हाथ में लिया जावेगा! तो यह हम सब जानते हैं कि हमारे यहां जितना इर्रिगेशन वर्क हो रहा है वह प्रधानतया, केन्द्रीय सरकार की सहायता से ही हो रहा है और उन्होंने कुछ शर्तें लगाई हैं जिनके अनुसार ही हमें काम करना पड़ता है। हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि हम इन शर्तों को खत्म कर दें हम कोशिश करते हैं कि सारी ही रकम इर्रिगेशन के लिये, कि इर्रिगेशन वर्क पर अमुक रिटर्न हो, चार परसेन्ट रिटर्न हो, तभी वह काम हाथ में लिया जावे,उसी पर खर्च नहीं की जावे, पर कुछ थोड़ी रकम स्केअरसिटी एरियाज़ के लिए भी रक्खी गई है, जिसमें इस शर्त को ढीला करने की सहूलित दे रक्खी है। वह रुपया अवश्य ऐसे कामों पर जो उत्पादक हैं, पर उन शर्तों के अनुसार न हो, खर्च किया जावेगा और किया भी जा रहा है।

अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रुपया लगाने में और इससे जो उत्पादन होता है उसमें कोई रीज़नेबल रिटर्न न रहे, तब आप यह मानेंगे कि इस प्रकार के कामों को हाथ में नहीं लिया जाना चाहिये।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

जैसलमेर वालों से हमारी सहानुभूति है पर हम मानते हैं कि अगर कूए हम वहां खुदवाने लगें तो वहां इतना बड़ा खर्चा होगा और इतना काम लम्बा होगा कि वहां कोई बड़े पैमाने पर काम हाथ में नहीं लिया जा सकता। यह ठीक है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं, बाहर से पानी लाने के लिए। इर्रिगेशन वर्क का पानी बाहर से लाया जा रहा है और एक बड़ी योजना है वह। वह योजन जिस दिन सफल हो गई तो इसमें सन्देह नहीं कि वह सफल होगी। पर वह समय लेगी और समया पर जब सफल होगी तो जैसलमेर का काफी अच्छा भाग इससे सिंचित हो सकेगा और काफी पानी वहां मिल सकेगा।

लेकिन जब तक यह नहीं होता है तब तक माइनर इर्रिगेशन वर्कस और दूसरे छोटे छोटे कामों पर रुपया खर्च करते है तो उनके साथ में यह ध्यान रखना होगा कि जैसलमेर और बाड़मेर की ओर रुपया लगाया जाय तो इन कामों में चार पर्सेन्ट न सही, तीन पर्सेन्ट न सही, २ परसेन्ट या एक पर्सेन्ट हो सही, आखिर कोई अनुपात निश्चित हो। यह सारी चीजें ध्यान में लेने की हैं। यह सीमाएं हैं जिनमें हम काम करते हैं, यह लिमिटेशन्स हैं जिनके आधीन काम करते हैं। बाकी जो भावनाएं माननीय सदस्य ने इस विषय में व्यक्त की हैं उनका मैं आदर करता हूँ, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन जो गवर्नमेंट की सीमाएं हैं, लिमिटेशन्स हैं, मजबूरियां हैं, मैं आशा करता हूँ, उनको वह भी स्वीकार करेंगे।

इन सबके बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस ग्रान्ट को पास किया जाय।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय संतोष प्रकट करने में काफी कन्जूस रहे। जहां तक मेरा सवाल है वहां तक, संतोष प्रकट करने का मौका होते हुए भी उन्होंने (संतोष) प्रकट नहीं किया। मुझे तो यह निवेदन करना था कि इकोनॉमिस्ट की हैसियत से जो सीमाएं या प्रतिबन्ध राजस्थान सरकार या केन्द्रीय सरकार ने इसमें लगाये हैं उन चीजों के लिए जहां तक कुएं खुदवाने का सवाल है इस प्रकार की कोई भी रोक नहीं है और राजस्थान सरकार उन एरियाज़ में जहां पर दूसरा और कोईसहारा नही सिंचाई का वहां परी अगर रीजनेबल तरीके से, रीज़नेबल सर्चे से कूए खुदवा सकती है तो वहां पर आवश्यक रूप से कूए खुदवा लेना चाहिए। केवल उन्हीं हिस्सों में ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए; जैसे उदयपुर और कोटा डिविजन पर हो कि जहां कि आसानी से कूए खुदवाये जा सकते हों या तालाब बनाये जा सकते हों बल्कि उन हिस्सों में भी जहां कि कुओं के अलावा और कोई चारा नहीं है वहां पर आवश्यक रूप से कूए खुदवाना चाहिए। उसी ओर मेरा संकेत है, उन्होंने मेरा भावना का आदर किया है लेकिन मैं यह तभी उचित समझता हूं कि जब उस भावना को समुचित रूप से क्रियान्वित किया जाय। इसी विश्वास पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अपने कटोतो के प्रस्ताव को वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री जवानसिंह को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री जवानसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs,32lacs be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in cours eof payment during the year ending the 31st day of March, 1955 in respect of Dema-nd for Grant No. LIII, Major Head R Loans and Advances by State Government,"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

अनुपूरक मांग संख्या ५४—सामान्य प्रशासन

श्री उपाध्यक्ष—श्री जयनारायण व्यास।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव उपस्थित करता हूं, "कि ३१ मार्च, सन् १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के सिलसिले में आने वाले उन खर्चों को निबटाने के लिए एक अतिरिक्त राशि जो ३,६६,००० रुपयों से नहीं बढ़ती हो, एच. एच. राज प्रमुख को अनुदान संख्या ५४. मेजर हेड २५- सामान्य प्रशासन के लिए स्वीकार की जाय।"

यह जो रकम इस समय मांगी जा रही है वह दो कामों के लिए मांगी जा रही है। एक काम तो यह है कि इस असेम्बली में थोड़ी सी सुविधाएं देने की आवश्यक्ता है। वह अधिक सुविधाएं भी ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस असेम्बली की व्यवस्था को, इसमें बैठने की व्यवस्था को, रोशनी की व्यवस्था को और खास तौर से पंखों की व्यवस्था का सुधार है। यह छोटी सी रकम इसी सिलसिले में मांगी गई है।

दूसरी रकम ३,५०,००० की है। यह है उन टी.ए. बिल्स वगैरह को चुकाने के लिए जो सन् १९५१ में खर्च हुए थे। एक अजीब सी बात मालूम होती है कि ऐसे टी.ए. बिल्स अब क्यों चुकेंगे ? दरअसल वह चुनाव राजस्थान में पहला चुनाव था और उस पहले चुनाव में किसी को कुछ पता नहीं था कि यह टी.ए. बिल्स कहां से चुकेंगे ? आम तौर पर अलग अलग विभाग के व्यक्ति चुनावों में लगे हुए थे और वह यही समझते थे कि हमको तो अपने विभाग से टी.ए. बिल मिल

श्री जयनारायण व्यास]

जायगा। उन्होंने अपने विभाग में वह टी.ए. बिल भेज दिये। विभागों में चुनाव के सिलसिले में, यात्रा के खर्चे की कोई गुन्जाइस नहीं थी, इसलिए वहां से उत्तर आ गया कि हमारे यहां तो बजट में कोई गुन्जाइश नहीं है, और दरअसल यह टी.ए. का खर्चा था। वह भी एक झगड़े का खर्चा था। हम यह सारा खर्चा अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं थे और फिर बाद में पत्र-व्यवहार हुआ भारत सरकार से। इसमें उनको भागीदार होना पड़ेगा और हमारे अकेलों का खर्चा नहीं हो, क्योंकि पार्लियामेंट का भी इलेक्शन है जो कि केन्द्रीय सरकार का खर्चा है; तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के सिलसिले में आपको खर्चा देना चाहिए और अन्त में जाकर यह तय हुआ कि आधा खर्चा राजस्थान सरकार दे और आधा खर्चा भारत सरकार दे। जब तक यह तय नहीं हुआ तब तक खर्चा तो कुछ देना ही पड़ा और कुछ देना बाकी भी है, लेकिन खर्चा किया है, पर मद निश्चित नहीं हुई उसको ठीक करना है। अब यह तय हुआ है कि भारत सरकार आधी रकम देगी और राजस्थान सरकार आधी रकम दे, और यह अतिरिक्त रकम मांगकर सारे पुराने हिसाब को साफ कर दिया जाय और जहां कहीं पहले दे दिया है, वह अलग अलग स्थानों के अन्दर खर्चा हुआ है। यह इसीलिये जरूरी है। इन चीजों पर खर्च करना जरूरी है चालू वर्ष में। इसलिए यह अतिरिक्त मांग उपस्थित की गई। मैं आशा करता हूं कि यह स्वीकार की जायगी।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस मांग पर कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए केवल दो शब्द ही निवेदन करता हूं कि अभी जो खर्च किया जा रहा है इस सदन के ऊपर, इस सदन की बिल्डिंग के ऊपर वह वास्तव में ठीक होगा और उससे सुविधाएं बढ़ेंगी। वह खर्च के नाम पर रकम रह जायगी।

इस सिलसिले में मुझे कुछ निवेदन करना है। मैं यह थोड़े से में निवेदन करूंगा कि अभी गई गर्मियों में हमें कुछ खर्चा करना पड़ गया, इस बिल्डिंग में गर्मियों में बैठने के लिए और वह खर्चा इसी साल होकर रह जायगा, वापिस नहीं किया जायगा, ऐसी बात मैं नहीं मानता। हमें शायद इस प्रकार का खर्चा हर साल करना पड़ेगा, और वह अनावश्यक खर्चा है। उस खर्चे को बचाने के ख्याल से मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार का खर्चा करने के बजाय अगर हमेशा के लिए पर्मानेन्ट बेसिस पर कोई खर्चा किया जाय और उससे हमेशा के लिए कोई सुविधा प्राप्त हो तो वह बेहतर होगा, बनिस्बत इसके कि २-३ दिन में यह हुक्म जी.ए.डी. का होता है कि यह खस के टट्टे लगाओ। बाजार में भाव२५),३०) रु० मन खस का है लेकिन चूंकि जी.ए.डी. का हुक्म है कि २,३ दिन में तैयार करो, इसलिए उसकी कीमत बढ़ जाती है, ५००) रु० प्रति मन खस की। इस प्रकार का यह खर्चा खर्च नहीं रहता है, यह अपव्यय हो जाता है, और मेरा ख्याल है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस बात का ख्याल रखेंगे, हमें जो भी खर्चा करना है पर्मानेन्ट बेसिस पर करना है। इसी आधार पर फेन्स पर खर्चा किया जाय तो ज्यादा उचित होगा बनिस्पत इसके कि हम इस प्रकार का खर्चा करते जायं। खासतौर से जिस प्रकार के फेन्स इस सदन में इस्तेमाल किये

[श्री जवानसिंह]

जा रहे हैं, उनसे साफ तौर से विदित हो जाता है कि ये किस तरह के हैं। कुछ दिन पहले हुई दुर्घटना को देखते हुए मैं नहीं कहता कि इस प्रकार की दुर्घटना रोज हो सकती है, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि यह गलत तरीका है। इस कमरे में सुविधा के नाम से चीज़ होने पर भी असुविधा हो जाती है, और बहुत बड़ी दुर्घटना होने के आसार हो जाते हैं। एक चीज़ हमारे सामने आवे उसको ही नहीं देखना है, इस सदन में जो तमाम सुविधाऐं हैं, उन तमाम को पर्मानेन्ट बेसिस पर सुधारना है और पर्मानेन्ट बेसिस पर करना है। जो भी खर्चा मुख्य मन्त्रीजी करें वह पर्मानेन्ट बेसिस पर और ठीक ढग से ही किया जाय।

कुं. श्री **जसवन्तसिंह**—एक मिनट में मुझे इसके समर्थन में कुछ कहना है। यह जो इलेक्शन का खर्चा केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में ५०–५० के बेसिस पर लिया जाता है उसमें ३ लाख ५० हजार रुपयों की रकम मुख्य मन्त्री जी ने मांगी है। टी. ए. के सवाल को मैं छोड़ सकता हूं। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यदि वे इस महकमे के काम पर तवज्जोह दें तो उनको मालूम होगा। मैं अपनी याददाश्त से कह रहा हूं और मेरा ख्याल है कि याददाश्त दुरुस्त है। लाखों रुपये या कम से कम कई लाख रुपयों की रकम ऐसी है जो राजस्थान सरकार की गफलत से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा हमें नहीं दी जा रही है। मैं उनसे कहूंगा कि इस बात पर वे गौर करें। अपने यहां जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है उसके बीच में और अकाउन्टेन्ट जनरल के बीच में खतोकिताबत है और जो ओब्जेक्शन्स किये जाते हैं, उनका जवाब इस डिपार्टमेंट द्वारा सालों तक नहीं दिया गया है और नतीजा यह रहा है कि सब खर्चा राजस्थान सरकार पर पड़ रहा है और जो पचास-पचास के बेसिस का प्रिन्सिपल सरकार ने नियुक्त किया है उसके होते हुए भी लाखों रुपये की रकम सेन्ट्रल गवर्नमेंट में बाकी है और अभी तक नहीं बताई गई है। मैं अधिक नहीं कह सकता। मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि उनको मेरी बातें सही मालूम हों तो उसके लिए भरसक कोशिश करें। सरकार उसके लिए क्या कर रही है और सरकार ने रकम मंगाने की क्या व्यवस्था की है, इस पर ध्यान देना चाहिए।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री **जयनारायण व्यास** (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् जवानसिंह जी ने अपने कटौती प्रस्ताव के सिलसिले में दो–तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान खींचा है। एक तो यह कि खर्चा जो किया जाता है, खस के टट्टों पर खास तौर से, अस्थाई होता है और स्थाई चीज़ होनी चाहिए और दूसरा पंखे के दुर्घटना की तरफ ध्यान खींचा है। उनका खास मतलब यह है कि जो भी व्यवस्था हो, स्थाई तौर पर हो। यद्यपि इस व्यवस्था से १९ हजार रु. की रकम से शायद उतना ताल्लुक नहीं है क्योंकि उसमें पंखों का ही जिक्र है, लेकिन दूसरी व्यवस्था है वह स्थाई हो तो ज्यादा अच्छा हो।

Page No.76

[श्री जयनारायण व्यास]

विरोधी पक्ष के माननीय नेता कुंवर जसवन्तसिंहजी ने सरकार का ध्यान उस रकम की ओर दिलाया है जो भारत सरकार से लेनी है और गफलत की वजह से रुक जाती है। मैं सदन को, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा वह सूचना दूं कि हम खुद चाहते हैं कि यह बहुत अच्छा भवन हो और इस भवन में जो भी व्यवस्था हो वह बहुत सुन्दर होनी चाहिए और जो है उससे भी वह सुन्दर होनी चाहिए। स्थाई रूप से होने की जरूरत है, बशर्ते कि हम स्थाई रूप से इसे अपना समझ लें। इस भवन का उपयोग हम कर सकते हैं लेकिन टेक्निकली यह भवन अपना नहीं है। यह भवन श्रीमन् राजप्रमुख का है।....

कुं० श्री जसवन्त सिंह—महाराजा जयपुर का है।

श्री जयनारायण व्यास—महाराजा जयपुर का है। आपको धन्यवाद है इस सूचना के लिए। मैं श्री जवानमलजी से....

श्री जवानसिंह—कम से कम किसी का नाम तो मत बिगाड़िये।

श्री अध्यक्ष—Shri Jawan Singhji.

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस भावना का आदर करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि मैं यह बात श्रीमन् राजप्रमुख के ध्यान में लाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि महरबानी करके यह भवन हमको दे दो ताकि इसमें स्थायित्व और अस्थायित्व का सवाल पैदा नहीं हो और जिस कदर है उससे बढ़कर बनादें।...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसको एयर कंडीशन्ड बना दें।

श्री जयनारायण व्यास—एअर कंडीशन्ड के लिए उनसे नहीं कहूंगा। इसके लिये तो सदन से निवेदन करूंगा कि वह मंजूरी दे दे। कोई स्थाई करते हैं तो स्थाई करने की चीज में करते हैं। बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था जरूर है, वह इसलिये कि सदन के माननीय सदस्यों से दिमागी काम लेना चाहते हैं। वह गर्मी में बहुत गर्म रहे तो दिमाग पर गर्मी का असर पड़ता है, इसलिए ठंडक रहनी चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह—हाउस के बाहर दिमाग ज्यादा बिगड़ता है।

श्री जयनारायण व्यास—हाउस के बाहर दिमाग बिगड़ता है तो उसको हाउस में संभाल लेंगे। हाउस इसलिए बनाया है कि बाहर दिमाग बिगड़ते हैं उनको यहां सुधारें। पंखे की जो दुर्घटना थी उसके लिए ...

श्री अध्यक्ष—That is subject to enquiry.

श्री जयनारायण व्यास—वह सब्जेक्ट टू एन्क्वायरी है। खुश किस्मत से या बद किस्मती से पंखा गिरा, उस वख्त उपस्थित होते तो शायद दूसरा ही आदमी आज उपस्थित होकर जवाब देता। उधर गिरता तो उधरवालों को नुकसान होता। हम खास तौर से बच गये नहीं तो नहीं बचते। उसकी कल्पना ही काफी सताने वाली है। मैं इतना विश्वास दिलाऊंगा माननीय सदस्यों को अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, कि जो पंखा मंगाया गया था वह खासकर ऐसा डेमेज्ड नहीं था कि किसी की गरदन काट दे। यह तो इन्क्वायरी से ही पता चलेगा कि वास्तव में क्या बात थी? यह जरुर है कि इतनी अच्छी व्यवस्था की जाय कि हाउस के शोभा के लायक हो, इसको हाउस स्वीकार करेगा।

मैं श्री जसवन्तसिंह जी को बताना चाहूँगा कि भारत सरकार और हमारे बीच जितना लेन-देन था वह सब साफ हो गया है केवल पौने दो लाख रुपयों का लेन-देन बाकी है, जिसका समझौता पत्र-व्यवहार से हो जायगा और भविष्य में जो चुनाव होगा वह समझ में आ गया है कि कौन से विभाग से लेना है और कितना राजस्थान सरकार दे और कितना केन्द्रीय सरकार दे। भविष्य में गड़बड़ होने की आशंका नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिया जायगा, मांग स्वीकार की जायगी।

श्री जवानसिंह—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री जवानसिंह अपना संशोधन वापिस लें?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री जवानसिंह—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर जो मांग श्री मुख्य मन्त्री ने रखी है वह स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया।

अनुपूरक मांग संख्या ४६-पशु-चिकित्सा

श्री भोगीलाल पंड्या—(श्री मोहनलाल सुखाड़िया की ओर से)

Sir, I beg to move, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 20,000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955. in respect of Demand for Crant No. XLVII-Major Head 41-Veterinary."

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं मानकर चलता हूं कि मेरा कटौती का प्रस्ताव जो मूव हो चुका है उसके विषय में मुझे सिर्फ इतना ही निवेदन करना है कि बाड़मेर और जैसलमेर के हिस्सों में पिछले एक साल से विशेष प्रकार की भयंकर बीमारी पशुओं में फैली हुई है और उस बीमारी के कारण गायों के आगे के दोनों पैरों के हिस्से जो होते हैं वे बन्द हो जाते हैं जिससे गायें चल फिर नहीं सकती हैं और फिर उनकी दूसरे दिन मृत्यु हो जाती है। ऐसी बीमारी को प्रारम्भ हुए बारह महीने हो गये हैं और उससे काफी नुकसान हुआ हमारे राजस्थान के पशुधन को। जो नुकसान हुआ है वह काफी ज्यादा है। सैंकडों ही नहीं बल्कि हजारों की तादाद में गाये मर गई हैं और गरीब लोग मवेशी बगैर हो गये हैं। जो सरकार की ओर से प्रयत्न किये गये हों वे उनकी दृष्टि से काफी हों किन्तु फल की दृष्टि से कुछ भी नहीं हुआ है। राजस्थान के डॉक्टर्स में से किसी ने नहीं कहा कि कौनसी बीमारी है। उनको इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसी सूरत में इस बढ़ते हुए नुक्सान को रोकने के लिए सरकार को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से विशेषज्ञों को बुलाकर राय जाननी चाहिए और इस बीमारी को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि यह बहुत आवश्यक है, अन्यथा पशु-धन नष्ट हो जायगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्व का प्रश्न है और माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की कुछ भूतपूर्व रियासतों की ओर से ऑल इन्डिया केटल शो कमेटी को ९,७०० रुपया चंदे के रूप में दिया जाता था। मंत्री, ऑल इन्डिया केटल शो कमेटी की ओर से रुपयों की मांग आयी और मालूम हुआ कि यह कमेटी पशुओं की नस्ल सुधार और अन्य कार्य भी करती है, अतः सरकार ने दस हजार रुपया देना तय किया। पिछले दो वर्षों का रुपया देना बाकी था इसलिए उसको कांटिन्जिसी से दे दिया गया। इसकी इसीलिए मंजूरी चाही गई हैं।

इन रुपयों का सम्बन्ध तो उस अच्छे सुझाव से नहीं था जो कि मेरे मित्र ने अभी दिया है और गवर्नमेंट को सतर्क रहने के लिए भी बताया। मैं उनसे निवेदन करूं कि बात यह थी कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले में आस-पास के हिस्सों में नई तरह की बीमारी शुरू हुई और इस

[श्री भोगीलाल पंड्या]

बीमारी से लगभग पांच हजार मवेशियों के मरने की सूचना मिली है। इस बीमारी का लक्षण यह था कि मवेशी अगले पांवों से लंगड़ाने शुरु हो जाते थे और उनका तापमान बढ़ जाता था, मवेशी खाना-पीना भी छोड़ देते थे और उसकी वजह से दो, तीन, पांच दिनों के अन्दर वह मवेशी मर जाया करते थे। साथ ही इस बीमारी का बूढ़े पशुओं से अतिरिक्त जवान पशुओं पर भी ज्यादा असर हुआ है जहां जहां से भी इस बीमारी की सूचना मिली डिप्टी डाइरेक्टर, वेटेरिनरी डिपार्टमेंट एन्ड केटल डिज़ीज़ेज़ और जो ऑफिसर्स थे वे अपने अमले के साथ उन क्षेत्रों में गये। उन्होंने काफी इस बीमारी की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया, किन्तु वे निदान नहीं कर सके। तब भारत सरकार को सूचना दी गई और वहां से दो स्पेशलिस्ट यहां आये। उन्होंने भी इसकी जांच की। वे भी अन्तिम निदान या पूरा निदान इस बीमारी का नहीं कर सके। उन्होंने हमारे यहां के डॉक्टर्स ने जो इलाज़ किया था उसको ठीक समझा अर्थात् जो डाक्टर्स ने सीरम और दूसरी चीज़ों के इन्जेक्शन दिये थे उनको ठीक समझा, मवेशी मर जाती थी और उसको केरोसीन ऑइल से जला दिया जाता था; उसको भी उन्होंने ठीक समझा और उन्होंने यह भी बताया कि यहां जो जो भी प्रयत्न किये गये वे काफी और संतोषजनक थे। सरकार ने इसके लिए २५ हजार की अतिरिक्त मंजूरी दी और काफी प्रयत्न करने के बाद इस बीमारी पर काबू पाया। सरकार पूरी जानकारी रखने का प्रयत्न करती है और भविष्य में भी पूरा पूरा प्रयत्न यह करेगी, यह मैं आश्वासन दिलाता हूं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह आशा की जाय कि इस बीमारी से आयन्दा क मवेशी नहीं मरेंगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं कोई परमात्मा तो हूं नहीं कि कह सकूं कि ऐसी बीमारी आयगी या नहीं। (हंसी) मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि ऐसी बीमारी नहीं आयगी। किन्तु मैंने तो यह आश्वासन दिया है कि उस बीमारी को रोकने का भरसक प्रयत्न किया जायगा।

श्री तनसिंह—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री तनसिंह को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री तनसिंह—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो डिमान्ड नं० ४७, मेजर हैड ४१-वेटेरीनरी के बारे में श्री महोनलाल सुखाडिया की ओर से श्री भोगीलाल पंड्या ने प्रस्ताव रखा है उससे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अनुपूरक मांग संख्या ४५-जन स्वास्थ्य

श्रीकुंभारामआर्य—मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि ३१ मार्च सन् १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुपूरक मांग संख्या ४५, मेजर हैड ३९-जन-स्वास्थ्य के लिए व्यय करने के हेतु श्रीमन् राजप्रमुख को ३० हजार रुपया की अनुपूरक राशि स्वीकार कीजावे ।

श्री अध्यक्ष—कटौती का प्रस्ताव, श्री जवानसिंह ।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी जो सप्लीमेंटरी मांग पेश की गई है, उस पर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं । मैं अपने कटौती के प्रस्ताव के जरिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सिरोही जिले में फोर्मर सिरोही स्टेट के वक्त में करीबन तीन चार ऐसी गाड़ियां थीं कि जो घूमते फिरते दवाखानों के नाम से मशहूर थीं और उनमें एक कम्पाउन्डर और एक डॉक्टर खास तौर पर मलेरियल सीज़न में और उसके अलावा यदि कोई एपेडेमिक फैल जाय तो उस वक्त में दौरा किया करते थे । उससे लोगों को काफी राहत मिलती थी । लेकिन राजस्थान बनने के बाद उस व्यवस्था को एक दम खत्म कर दिया गया है और उन गाड़ियों को यह राजधानी जयपुर में सिरोही से मंगा लिया गया है । उसके बाद में उनकी जो दुर्गति हुई वह चीज़ जब मेरे ध्यान में आती है तो बड़ा दुख होता है । उन गाड़ियों में से किसी को एडल्ट एजुकेशन ऑफिस में भेज दिया गया है तो किसी को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है । जिन गाड़ियों पर काफी खर्चा करके व्यवस्था की गई दवाइयों के लिए अलमारियों की, बेडस् आदि की व्यवस्था के लिए खर्चा किया गया उन तमाम को बरबाद किया गया और दूसरे डिपार्टमेंट, जिनको कि ऐसी गड़ियों की जरूरत नहीं है वहां भेज दिया गया, जहां कि वे इस काम में आती है कि जयपुर शहर मे ऑफिसर्स बैठ कर घूमा करें, सेक्रेटेरियेट से दफ्तर चले जायं और दफ्तर से घर चले आंय । तो इस तरह से उन गाड़ियों की दुर्गति हुई है । उन गाड़ियों को देखकर वाकई दुख होता है और अभी एक गाड़ी सिरोही डिस्ट्रिक्ट के हैडक्वार्टर पर पड़ी हुई है और उसकी यह हालत है कि वह बिना रिपेयर्स के पड़ी हुई है ।

स्टेशन वेगन मौजूद है, ड्राइवर मौजूद है, क्लीनर मौजूद है । डाक्टर गाड़ियों के लिये होने चाहिये, वे भी मौजूद हैं । अगर हैं गाड़ी की रिपेयर करा दी जावे तो मेरा ख्याल है कि एपिडेमिक चले उस समय जनता को बहुत राहत मिल सकती है और दवाइयें लोगों को मिल सकती हैं जहां तक दवाइयों का प्रश्न है डी. एम.एच. ओ. के ऑफिस से वे मिल सकती हैं । इसलिये कोई विशेष

[श्री जवान सिंह]

इजाजत की जरूरत नहीं। लेकिन इस तरह की चीज़ पहले मौजूद थी उसको नष्ट कर दिया गया और जो कुछ भी अभी मौजूद है उसको भी अगर ठीक करने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो यह बहुत बुरी चीज़ है। मेरा तो यह कहना है कि राजस्थान के हर हिस्से में ऐसी गाड़ियों के दवाखाने होने चाहिये। ऐसे जमाने में जब हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम हर जगह दवाखाना खोल सकें, बिल्डिंग बना दें तो ऐसी सूरत में केवल यही एक ऐसा उपाय रह जाता है कि इस तरह के दवाखाने मोटरों में घूमते हुए रखे जावें तो वास्तव में जनता का भला हो सकेगा। मेरा तो निश्चित मत यही है कि जहां जहां आप मकान नहीं बना सकते हैं और मैं भी इस बात को मानता हूं कि एक साथ मकान बनाना मुमकिन नहीं हो सकता इसलिये इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिये कि जब बीमारी फैले तो लोगों को दवाइयों का लाभ मिल सके और उनकी सेवा हो सके। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन चीजों की ओर अवश्य ध्यान दें और फिर व्यवस्था करें, जिससे लोगों को फायदा मिले और जो व्यवस्था आज मौजूद है उसको नष्ट नहीं होने दें।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं यह मान कर चलता हूं कि मेरा कटौती का प्रस्ताव मूव हो चुका है।

एक बीमारी जिसे नाहरु कहा करते हैं और कई जगह बाला भी कहते हैं वह पहले कहीं कहीं नजर आती थी, लेकिन अब वह इतनी बढ़ गई है कि जगह जगह नजर आने लगी है। खासकर यह बीमारी बाड़मेर और जैसलमेर की तरफ बहुत ज्यादा है। ये बीमारी पानी खराब हो वहां निकलती बताई जाती है और खासकर वर्षा की मौसम में निकलती हैं। लेकिन अब तो वह ऐसी बढ़ गई है कि अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि कई जगह लोगों की जीभ और आंखों में भी निकलने लग गयी है। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों को बहुत कष्ट होता है। जब जीभ में बाले हो जाते हैं तो उस समय उसकी गंदी राद पेट में जाने के कारण दूसरी बीमारियें फैलने का डर रहता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बीमारी का कोई वैज्ञानिक इलाज डाक्टरों के पास सिवाय चीराफाड़ी के नहीं है। फिर भी इस प्रकार के इलाज में पूरी तरह से कामयाब नहीं होते। इसलिये इससे पब्लिक परेशान होती है। इसलिये राजस्थान सरकार को कुछ एक्सपर्टों की ओपीनियन लेकर इस बीमारी की रोक थाम करनी चाहिए तो बहुत ही अच्छा है। कई लोग यह कहते हैं कि यह बीमारी पानी से होती है। जिन इलकों में पानी की कमी रहती है वहां पर जैसा पानी मिलता है वैसा ही पीना पड़ता है। इसलिये यह कारण है उसको तो रोकना मुश्किल है। हो सकता है कि दूसरे कोई तरीके हों जिससे इसको रोका जा सकता है। इन शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष, आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में कुछ विशेष तौर से अपना मनतव्य प्रकट करें।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जहां तक दो माननीय सदस्यों का मत है •••

Page No.82

श्री भोपालसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं भी नासूर, भगन्दर और बवासीर की बीमारी है उसके लिये अर्ज कर देना चाहता हूं, कि इनका भी पूरा इलाज होस्पिटलों में नहीं होता है। इसके लिये हल्दियों के रास्ते पर एक ऐसा दवाखाना है जिसमें इसका शर्तिया इलाज होता है। इसलिये उसका लाभ उठाया जावे तो बहुत बेहतर होगा। वहां इसका शर्तिया इलाज होता है और अक्सीर इलाज करता है जिससे कष्ट भी नहीं होता। यह पुरानी प्रणाली अच्छी है। आप इस सम्बन्ध में दर्याफ्त करें और पुरानी प्रणाली जो है उसको काम में लें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, वह जो तनसिंहजी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। २० हजार रुपया एक स्टेशन वेगन के लिये और १० हजार उनके और कामों के लिये। कुछ समय पहले मेरी एक बहिन ने बताया था कि भीलवाडा, डूंगरपुर और उदयपुर डिवीज़न के दूसरे हिस्सों में गंदा पानी होता है और उसको पीने से यह नाहरू की बीमारी होती है, इस पानी को ठीक करने के लिये एक ऐसा डाक्टर होना चाहिये कि राजस्थान में पानी को शुद्ध करके साफ करने के लिये ऐसी दवाई डाल दे जिससे पानी अच्छा हो जावे। परन्तु उसकी व्यवस्था राजस्थान सरकार ने नहीं की। इसके बाद एक एम्बुलेन्स पर और स्टेशन वेगन पर २० हजार रुपया और १० हजार रुपया और दवाइयों पर लाखों रुपया खर्च करती है परन्तु मेरी बहिन श्रीमती योशोदा बहिन के बताने पर भी अब तक कोई भी इलाज नहीं किया और पानी को शुद्ध करने के लिये सरकार ने कोई भी योजना नहीं बनाई। नाहरू की बीमारी ऐसी बीमारी है कि एक निकला और कई निकलते हैं और इससे सारा शरीर खराब हो जाता है और यह इस तरह की बीमारी है कि इसको दूर करने के लिये सरकार को बहुत जल्दी सोचना चाहिये, कि नाहरु को निकाल दें और फिर उसका पूरा इलाज करें। इसका असली इलाज होना चाहिये, ताकि वह फिर न हो। पानी गंदा क्यों पीया जाना चाहिए। जहां पर इस प्रकार की बीमारी होती है वहा पर लाखों रुपयों की माग करके कुन्ड और तालाबों पर खर्च किये जाने चाहिये और जो लोग इससे परेशान होते हैं उनको परेशानी को दूर करने का हल गवर्नमेंट को सोचना चाहिये। ऐसे डाक्टर होने चाहिये जो इसके लिये रिसर्च करें। ऐसे डाक्टर दूसरे प्रांतों में हों जो पानी को शुद्ध कर सकें तो उन्हें बुलाया जाना चाहिये और भी कई बीमारियें हैं जो पानी की खराबी से उत्पन्न होती हैं। और लाखों रुपया जो मेडिकल में खर्च हो रहा है वह नहीं होगा अगर अच्छा पानी पब्लिक को पीने के लिये मिल जावेगा।

दूसरी बात यह है कि सब बिजनेस अंग्रेजी में हमारे पास भेजा जाता है साब, और माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिजनेस हिन्दी में भेजा जावे, हमें दूसरों से पढ़ाना पड़ता है। यह एक भयंकर बीमारी है इसे दूर करें।

श्री अध्यक्ष—मेरा काम तो इधर से आया और उधर दे देने का है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इतना ही कह कर मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि अंग्रेजी में बिजनेस भेजने की बीमारी नाहरू की बीमारी से भी खराब है। हम तो सिर्फ इधर उधर पूछ कर थोड़ा सा दिमाग काम करता है उससे काम चलाते हैं।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—आपका दिमाग काम देता भी है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष,...

श्री अध्यक्ष—जितना बोलेंगे उतना ही ठहरना पड़ेगा।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, अभी माननीय श्री तनसिंहजी ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में एक-दो शब्द कहना चाहता हूँ। उन्होंने नाहरू की बीमारी के लिए कहा। वास्तव में यह एक बड़ी भयंकर बीमारी है। मैं यह कहूँगा कि सरकार ने इस बीमारी के लिए एक कदम उठाया किन्तु दूसरा कदम वह उठाना भूल गई। जोधपुर में एक बाला हकीम है। वह इतना एक्सपर्ट है कि यदि नाहरू किसी भी जगह है तो वह एक-दो-मिनिट में ही निकाल देता है। मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। कटौती प्रस्ताव में सुझाव रखा था उस हकीम को एक जगह रखने से अधिक फायदा नहीं हो सकता है। इसलिए उसे एक गाड़ी दे दी जाय जिससे वह गांवों में जा कर बाला निकाल दिया करे। दो सौ, ढ़ाई सौ में रखा गया है, उसके पास मरहम पट्टी का भी सामान नहीं, वह बेकार बैठा है। मैंने पहले सुझाव रखा था कि उसे महात्मा गांधी होस्पिटल के एक कौने में बिठा दिया जाय ताकि वह बाला निकाल दे और मरहम पट्टी दूसरी जगह हो सके, एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। एक जगह बिठा देने से काम नहीं कर सकता है। अतः मेरा यह सजेशन है कि या तो उसको क्वार्टर दे दिया जाय या उसको एक जीप दे दी जाय जिससे वह गांवों में जा कर जिनके नाहरू है वह निकाल दिया करे।

इस कटौती प्रस्ताव से अलग एक मेरा और एतराज़ है। एक कमेटी बैठी थी हैल्थ डिपार्टमेंट में और दवाइयां लेने की तजवीज़ थी। दो सौ व्यौपारी आये और उन्होंने अपने टेन्डर दिये। जो मंजूर किये उनमें कई पांच रुपया वाले और दो रुपया वाले भी थे। मुझे आज मालूम नहीं था कि यह डिमान्ड ले ली जायगी अन्यथा मैं जो मेरे पास फहरिस्त है वह पेश कर देता। दो लाख रुपयों का फर्क टोटल में है।

तो मैं माननीय मंत्रीजी से यही कहूँगा कि उसके लिए एक कमेटी बिठा कर उसकी जांच करायें। काफी फर्क निकलेगा और उस फर्क से आप एक शफाखाना नया बना सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—उत्तर दीजिये।

श्री कुम्भाराम आर्य (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर की गई शंकाओं के सम्बन्ध में थोड़ासा निवेदन करना चाहता हूं। सिरोही से आये हुए सदस्य महोदय ने वहां चलते-फिरते अस्पतालों के बारे में अधिक चिन्ता प्रकट की है और इस बात से की है कि वहां पर तीन-चार गाड़ियां चल रही थीं और अब एक गाड़ी भी वहां नहीं चलती है और जो गाड़ियां चल रही थीं और अब एक भी गाड़ी वहां नहीं चलती है और जो गाड़ियां वहां चला करती

[श्री कुम्भाराम आर्य]

थीं वे जयपुर में लाई जा कर उस काम के अलावा दूसरा काम उनसे लिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि राजस्थान का ज्योंही एकीकरण हुआ त्योंही उन विभागों का एकीकरण भी होना अनिवार्य था। इसलिए जो पूर्व रियासतों की परम्परायें थीं या उस समय की जो व्यवस्थायें थीं वे वैसी ही वहां रखी जानी राजस्थान के लिए अनिवार्य हो सकती थीं या नहीं, यह एक प्रश्न था? लेकिन फिर वहां पर एक स्टेशन वैगन रखा गया। अब एक जिले के हिसाब से कम नहीं पड़ेगा। सिरोही जिले की जन संख्या करीब तीन लाख के आस पास हो सकती है और इससे बड़े २ ऐसे बहुत से जिले हैं जिनकी जन संख्या सिरोही से दुगुनी, चौगुनी और पांच गुनी से ज्यादा है। ऐसे जिलों में अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई फिर भी सिरोही के अन्दर एक वान है। यदि उसमें कमी है, खराबी है और जिसकी वजह से वह काम नहीं दे रहा है तो यह डिपार्टमेंट का काम है और उसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी होनी चाहिये यह एक प्रश्न है। जहां तक उस वान के मरम्मत की बात है तो वह जल्दी होनी चाहिये लेकिन जहां यह बात है कि तीन-चार गाड़ियें हैं वे वहां की वहां ही रहनी चाहिये यह बात इतने बड़े राजस्थान के इतने से छोटे जिले के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती और इस बात को ध्यान में रख कर ही यह किया गया था यदि सदस्य महोदय के जिम्मे यह काम होता तो वे भी इसी तरह करते और संतोष प्रकट करना पड़ता क्योंकि सारे राजस्थान के लिए एकसा व्यवहार करने के लिए यह जरूरी था।

इसके अलावा दूसरे माननीय सदस्य ने नाहरू की बीमारी के बारे में एक बड़ा एतराज किया है। यह सही है कि आम तौर पर नाहरू बाहर गांवों में फैलता है; वह बीमारी उस मौके पर आती है जब कि लोगों को खेती-बाड़ी पर लगना होता है। ज्यों पानी बरसता है त्योंही यह आता है, ज्योंही किसान खेती की ओर बढ़ता है त्योंही नाहरू भी उस ओर लपकता है। यह समस्या गंभीर है। ऐसा माने, यह भी नहीं है कि इस ओर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया। लेकिन यह कहना कि पहले ज्यादा निकलता था और अब कम निकलता है, ठीक नहीं, पहले कम निकलता था और न अब ज्यादा निकलता है। वह तो बरसाती पानी पर निर्भर करता है, जहां जहां लोगों को बरसात का पानी उपयोग करना पड़ता है वहां वहां वह निकलता है। पानी को ठीक कराये जाने के लिए राज्य की ओर से १ करोड़ रुपया पंच वर्षीय योजना में रखा गया है और उससे कूए बावड़ियों को ठीक कराने की कोशिश की जा रही है और यह सारा रुपया पंचायतों के मार्फत ही खर्च किया जाता है और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस ओर ध्यान दे रहे हैं और, जो इससे बचना चाहते हैं वे कुओं बावड़ियों की मरम्मत के लिए कोशिश करते हैं और गांवों की हालत को सुधारते हैं। जहां जहां का पानी सुधरता जाता है वहां वहां इस नारवे की बीमारी से छुट्टी भी मिली है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि नाहरू को निकालने के लिए एक हकीम है वह व्यवस्था आयुर्वेद की ओर से चलती है। उस आदमी को जिन श्रीमान् ने देखा है देखा होगा वह नाहरू को आसानी से निकाल देता है; एक यह भी आपत्ति की कि उनके पास दवाइयां व औजार नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस तरीके से वह नाहरू को निकाल देता है उसके औजार हर एक कारखाने में मिल सकते हों, ऐसा नहीं है। उसके पास

[श्री कुम्भाराम आर्य]

अपना एक तरीका है, किसी की बुद्धि को नहीं लेता है और किसी की बात को पकड़कर वह नहीं चलता है। वह तो अपने ही ढंग से और तरीके से नाहरू को निकालता है। उसको उस काम में इतना तजुर्बा हो गया है कि उसको कभी दिक्कत नहीं होती। जितने औजार उसको चाहिये वे उसके पास में है। जितने साधन उसको चाहिये उतने उसके पास हैं। यह भी कह गया कि उसको महात्मा गांधी हॉस्पिटल में रख दिया जाय। यह कहना तो अच्छा हो सकता है किन्तु यह व्यवहार में ठीक नहीं होगा। नाहरू की बीमारी गांवों के अन्दर होती है, शहरों में नहीं। गांवों के आदमी जो नाहरू की बीमारी से पीड़ित होते हैं वे गांवों से नहीं जाते। जैसी कि कहावत कि "बाला घर का रखवाला"। वह तो एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना जितना समय उसको लेना है लेता ही है और बीमार गांव या घर छोड़कर नहीं जाता है। वह आदमी जो नाहरू से पीड़ित है वह तो घर में पड़ा रहता है और उसकी देख-भाल के लिये एक और आदमी को रखना पड़ता है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—कार दे दीजिये जिससे गांवों में जा सके।

श्री कुम्भाराम आर्य—यह बता भी दूंगा। बीमार आदमी जब गांव छोड़कर नहीं आते हैं तो फिर उसको होस्पिटल में रखना भी उतना लाभदायक नहीं होगा जितना कि गांव में।

इनके लिए मैं यह भी सदन को बता दूं कि इनको गांवों में जाने की छूट है। गांवों में जाने की छूट के साथ साथ यह कोई आवश्यक नहीं कि इनको जीप भी मिले। ऊंट पर चढ़कर भी जाया जा सकता। यह बात नहीं कि उनको सफर ही करना पड़ता है, उनको गांवों में जाकर ज्यादा से ज्यादा मरीजों का आपरेशन भी करना पड़ता है उनके लिए यह भी जरूरी नहीं कि वे सबेरे उठकर दूसरे गांव को चल दें। वे चाहें तो वहां शाम को भी रहें और दूसरे दिन भी रह सकते हैं। उनको कोई सफर तय नहीं करना होता है। बीमार लोग कितने हैं उनको दृष्टि से उनको काम करना पड़ता है। मुझे जहां तक याद पड़ता है उनको यह भी आदेश दिये गये हैं कि वे केवल जोधपुर में ही न बैठ जांय। उनको बांसवाड़ा और डूंगरपुर के गांवों में भी भेजा जायगा जहां इस नाहरू की बीमारी का ज्यादा प्रकोप होता है। उनको एक ही जगह नियुक्त करने का यह मतलब नहीं कि उनको राजस्थान के दूसरे हिस्सों में नहीं भेजा जायगा। जहां बाले ज्यादा निकलते हैं—वहां वहां पर इनको भेजा जायगा, ऐसे हालत में जीप का देना अनिवार्य नहीं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—उनके पास असिस्टेंट्स रखकर काम क्यों नहीं सिखाया जाता ?

श्री कुम्भाराम आर्य (अपना भाषण जारी रखते हुए)—नहीं सिखलाते हों, ऐसी बात नहीं। लेकिन सीखने वालों को सार्टिफिकेट देना उन्हीं का काम है। जब तक उनके पास काम

[श्री कुम्भाराम आर्य]

सीखा हुआ व्यक्ति पूरा उस्ताद नहीं हो जाता तब तक हम मरीजों की जिन्दगी उन पर छोड़ नहीं सकते।

वे कोई युनिवर्सिटी से तो काम सीखकर आये नहीं। उन्होंने गांव में रह कर ही तजुर्बा हांसिल किया है। जब तक वे किसी आदमी के लिए यह नहीं कह दें कि यह बाला ठीक कर सकता है तब तक हम किसी व्यक्ति को इस काम के लिए नहीं रख सकते। यदि हम ऐसा करते हैं तो बीमार के साथ यह एक प्रकार की अठखेली होगी। उनके पास वाकई लोग काम सीखते हैं और ज्यों ज्यों काम सीखते जायंगे उन लोगों को उचित स्थान पर लगाया जायगा। डिवीजन वाइज़ और बाद में जिले वाइज़ भी हम ऐसे आदमियों को लगाने के विषय में सोच रहे हैं और जहां जिस इलाके में यह बीमारी ज्यादा है वहां बाला-हकीम को रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मूल छिपा हुआ है पानी के अन्दर। जब तक हम तालाब, बावड़ियों और कुओं के पानी को ठीक नहीं करेंगे तब तक इस नाहरू की बीमारी से छुटकारा पाना मुश्किल है। अगर आपके एक नाहरू निकलता है और उसके बाद आप उसी बावड़ी या कुएं का पानी पी लेते हैं तो १० नाहरू और निकल सकते हैं। तो इस तरह से आपके कितने बाले निकालते जायेंगे। अत: हमें पहले इसके मूल को पकड़ना है और पानी को शुद्ध करना है। जितनी हम पानी की व्यवस्था ठीक कर देंगे उतनी ही मात्रा में इस बीमारी का प्रकोप घट जायगा। हम इस साल और अगली पंच-वर्षीय योजना में इसी तरह आगे बढ़ते गये तो हमारी पानी की समस्या भी हल हो जायगी और कोई स्थान ऐसा नहीं रहेगा जहां कि पानी के अन्दर नाहरू की शिकायत मिलती हो।

एक माननीय सदस्य ने दवाई के टेन्डर के बारे में कुछ बातें कहीं। इस तरह छोटे-बड़े टेन्डर दवाइयों के आते रहते हैं। यह डिपार्टमेंड का काम है। इसके अन्दर कोई गलती हुई होगी तो उसका सुधार किया जायगा। हो सकता है कि यह काम नीचे से हो गया हो और बाद में पता न चल पाया हो। अगर इसमें किसी प्रकार की गलती रह गई होगी तो ज्यों ही यह सरकार के ध्यान में आयगी वह ठीक हो जायगी।

इसके अलावा जो कुछ भी सदस्य महोदयों ने शंकायें प्रगट कीं उनको मेरे इस वक्तव्य से सन्तोष हुआ होगा। अत: उन्होंने शंकाओं के आधार पर जो कटमोशन्स रखे हैं वे वापिस लेने की कृपा करेंगे और जो प्रस्ताव मैंने सदन के सामने स्वीकृति के लिए रखे हैं उसको पास करने की अनुमति देंगे।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, चूंकि माननीय मन्त्री यह स्वीकार करते हैं कि जो गाड़ी वहां पर पड़ी है वह बेकार पड़ी है और उसकी रिपेयर्स जल्दी करा दी जायगी जिससे जनता को काफी फायदा होगा, तो इस आश्वासन के बाद मैं सदन से अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री तनसिंह—मैं भी अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री जवानसिंह और श्री तनसिंह को अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिये जायं।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री तनसिंह—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री जवानसिंह—मैं भी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो मांग नं० ४५, मेजर हैड ३६-पब्लिक हैल्थ के लिये श्री कुम्भारामजी आर्य ने रखी उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ४८—विविध विभाग

Demand No. 48, Miscellaneous Departments.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—The Question is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 35,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. XLVIII, Major Head 47- Miscellaneous Departments".

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ५२-केपिटल अकाउंट -ऑफ सिविल वर्क्स आउट साइड दी रेवेन्यु अकाउंट

Demand No, 52.

(विराम)

The Question is "That a supplementary sum not exceeding Rs.3,6,000 be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of march, 1955, in respect of Demand for Grant No. LII, Major Head 81- Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account".

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६५४ (विचार विमर्श एंव पारित)

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir, I beg leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the consolidated Fund of the State for the services of the year ending on the 31st day of March, 1955.

श्री अध्यक्ष—Motion Moved.

(विराम)

The Question is that leave be granted for the introduction of the Appropriation Bill,1955

(स्वीकृत)

Leave is granted to introduce the Appropriation Bill.Introduce the

Appropriation Bill

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir, I introduce the Bill

श्री भैरोंसिंह—इसको कल पारित किया जाय। क्योंकि हम लोगों ने डिमान्ड फोर ग्रान्ट्स के लिये कट मोशन्स दिये थे, किन्तु समय पर न आने के कारण उनको अलाउ नहीं किया गया; अतः इस पर बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—What is the wish of the House ? Should we detain ?

कु. श्री जसवन्तसिंह—I don't think it is necessary. It can be passed.

श्री टीकाराम पालीवाल—I beg to move "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the consolidated Fund of the State for the service of the year ending on the 31st day of March, 1955, be taken into consideration."

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

The question that the leaue to consider the Bill be granted.

(स्वीकृत)

The motion is carried.

(कुछ चुप्पी के अनन्तर)

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir, I move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अप्रोप्रिशन बिल को पास किया जाय।

(स्वीकृत)

एप्रोप्रियेशन बिल पारित किया गया।

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble Members do not turn up in time. I wish that they should be in their seats at the appointed time. So we keep the time at 8-30 instead of 8 A. M ?

[श्री अध्यक्ष]

Before the Hon'ble Members depart I would say for their information that we will be taking up the Tenancy Bill tomorrow and if time permits the Sales Tax Bill as well. So those Members who have not received the agenda, they may please take the trouble of taking it up from the Notice Office.

कुं. श्री जसवन्तसिंह—And then we would adjourn.

श्री अध्यक्ष—I think so. We are coming to a close. Unless the House decides to pass the Tanancy Bill, we would adjourn tomorrow or day-after-tomorrow for meeting after Diwali.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह में १२ बज कर ४५ मिनट पर कल दिनांक १९ अक्टूबर, १९५४ के ८. ३० प्रातः तक के लिए स्थगित हुई ।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, १८ अक्टूबर, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गए तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है ।)

प्रश्न

२०१२. (३८७/आर. एम.) **श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ८७**—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे:—

(क) चालू वर्ष में किशनगढ़ के गूदोलाव तालाब में कितनी मरतबा पाउडर डाला गया ?

(ख) क्या यह सही है कि प्रथम मरतबा पाउडर डालने पर किशनगढ़ की जनता एवं स्थानीय म्युनिसिपल बोर्ड ने उक्त पाउडर डालने का विरोध किया ?

(ग) यदि हां, तो उक्त विरोध के बाद भी पाउडर डालने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त पाउडर के विषैले प्रभाव से कई जानवर मर गये ?

(ङ) क्या यह सही है कि उक्त पाउडर का विषैला प्रभाव कूओं के पानी पर भी पड़ा हैं ।

(च) पाउडर डालने के लिये किन-किन लोगों ने मांग की थी ?

(छ) क्या यह सही है कि जिन लोगों ने मांग की थी उन लोगों का पर्सनल इन्टरेस्ट इसमें था ?

उत्तर

(क) एक बार ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Page No.92

(घ) नहीं।

(ङ) नहीं।

(च) यह मांग कीर लोगों ने की थी क्योंकि उनकी फसल तालाब में खड़ी थी।

(छ) हां। क्योंकि उनकी फसल नष्ट हो रही थी।

शुद्धि-पत्र

१८-१०-५४

१. कृपयाँ पृष्ठ संख्या ७०५६, ७०५८, ७०५६, ७०६०, ७०६१ के शीर्षक में शब्द 'सामुहिक' के स्थान पर शब्द 'सामुदायिक' पढ़े ।

२. कृपया पृष्ठ संख्या ७०५७ के शीर्षक में 'सन् ५४-५५ के अनुपूरक अनुदानों के ब्योरे पर वाद-विवाद करने सम्बन्धी' के स्थान पर 'अनुपूरक मांग संख्या ५१—सामुदायिक विकास योजना' पढ़ें ।

३. कृपया पृष्ठ संख्या ७१०० व ७१०१ के शीर्षक में 'अनुपूरक मांग संख्या' के स्थान पर 'अनुपूरक मांग संख्या ४६—निर्माण कार्य 'पढ़ें ।

४. कृपया पृष्ठ संख्या ७१२० की प्रथम पंक्ति में 'संख्या ४६' के स्थान पर 'संख्या ४७ पढ़ें' ।